




सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे 2016-17



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

विनियोग लेखे

2016-17

झारखण्ड सरकार

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	iii
विनियोग लेखे का सारांश	iv - xvi
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	xvii - xviii
विनियोग लेखे-	
1. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1-26
2. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	27-43
3. भवन निर्माण विभाग	44-48
4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	49-50
5. राज्यपाल सचिवालय	51-52
6. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	53
7. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)	54
8. परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	55-56
9. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	57-60
10. ऊर्जा विभाग	61-65
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	66-68
12. योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	69-74
13. ब्याज संदाय	75-78
14. ऋण की वापसी/अदायगी	79-81
15. पेंशन	82-85
16. योजना-सह-वित्त विभाग (राष्ट्रीय बचत प्रभाग)	86
17. वाणिज्यकर विभाग	87-89
18. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	90-101
19. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	102-109
20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	110-133
21. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	134-144
22. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	145-155
23. उद्योग विभाग	156-166
24. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	167-169
25. योजना-सह-वित्त विभाग (सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभाग)	170
26. श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	171-184
27. विधि विभाग	185-187
28. झारखण्ड उच्च न्यायालय	188
29. खनन एवं भू-तत्व विभाग	189-191
30. कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	192-196

31. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग)	197
32. विधान सभा	198-200
33. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	201-202
34. झारखण्ड लोक सेवा आयोग	203
35. योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	204-208
36. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	209-214
37. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग)	215
38. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	216
39. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	217-223
40. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	224-228
41. पथ निर्माण विभाग	229-236
42. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	237-250
43. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	251-256
44. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	257-258
45. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	259-262
46. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	263-265
47. परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	266-269
48. नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	270-283
49. जल संसाधन विभाग	284-293
50. जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	294-299
51. कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	300-318
52. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	319-325
53. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	326-333
54. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	334-344
55. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	345-349
56. ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	350-354
57. नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	355
58. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	356-365
59. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	366-373
60. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	374-397
परिशिष्ट	398

प्रस्तावना

वर्ष 2016-17 के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

2. इन लेखाओं में :

“मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।

“अनुपूरक” अनुपूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।

“पुनर्वि०” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्यर्पण या अभ्यर्पण का द्योतक होता है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे टाईप में दर्शाये गए हैं।

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
1. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)				
दत्तमत	14,49,77,77	5,51,76,00	9,23,73,11	4,35,40,29
2. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)				
दत्तमत	2,92,82,73	74,42,19	1,97,23,62	12,03,45
3. भवन निर्माण विभाग				
दत्तमत	1,21,91,26	5,73,62,00	98,77,81	4,41,62,94
4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)				
दत्तमत	55,37,08	00	43,54,12	00
5. राज्यपाल सचिवालय				
प्रभारित	9,46,50	00	7,30,13	00
6. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग				
दत्तमत	71,58,07	00	67,25,23	00
7. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)				
दत्तमत	20,19,65	00	19,48,65	00
8. परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)				
दत्तमत	19,51,86	2,39,47,61	17,69,69	2,03,13,51
9. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)				
दत्तमत	3,29,51,26	48,53,20	3,21,85,78	14,52,69
10. ऊर्जा विभाग				
दत्तमत	19,60,64,87	15,43,25,00	17,88,39,15	12,28,76,00

सारांश			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

5,26,04,66	1,16,35,71	00	00
95,59,11	62,38,74	00	00
23,13,45	1,31,99,06	00	00
11,82,96	00	00	00
2,16,37	00	00	00
4,32,84	00	00	00
71,00	00	00	00
1,82,17	36,34,10	00	00
7,65,48	34,00,51	00	00
1,72,25,72	3,14,49,00	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग				
दत्तमत	24,57,83	30,00,00	17,83,07	10,00,00
12. योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)				
दत्तमत	62,40,37	74,40,00	42,93,37	52,46,44
13. ब्याज संदाय				
प्रभारित	44,42,64,51	00	41,72,25,13	00
14. ऋण की वापसी/आदायगी				
प्रभारित	2,00,00,00	20,67,46,36	00	20,77,88,30
15. पेंशन				
दत्तमत	47,89,67,00	00	41,35,29,04	00
16. योजना-सह-वित्त विभाग (राष्ट्रीय बचत प्रभाग)				
दत्तमत	2,55,47	00	2,00,98	00
17. वाणिज्यकर विभाग				
दत्तमत	71,46,00	8,00,00	51,98,13	22,40
18. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोगता मामले विभाग				
दत्तमत	15,15,53,39	52,70,00	11,20,57,42	50,71,40
19. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग				
दत्तमत	6,24,34,18	00	4,96,03,64	00
20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग				
दत्तमत	26,64,64,37	7,33,06,85	19,57,38,21	5,11,54,63
21. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)				
दत्तमत	11,58,62,42	00	10,03,27,03	00

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
6,74,76	20,00,00	00	00
19,47,00	21,93,56	00	00
2,70,39,38	00	00	00
2,00,00,00	00	00	10,41,94
6,54,37,96	00	00	00
54,49	00	00	00
19,47,87	7,77,60	00	00
3,94,95,97	1,98,60	00	00
1,28,30,54	00	00	00
7,07,26,16	2,21,52,22	00	00
1,55,35,39	00	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
22. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)				
दत्तमत	36,22,83,43	2,53,35,34	32,79,69,72	1,88,85,39
23. उद्योग विभाग				
दत्तमत	4,45,64,85	10,00,00	2,92,64,20	5,00,00
24. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग				
दत्तमत	1,41,07,36	10,50,00	1,30,19,66	8,84,92
25. योजना-सह-वित्त विभाग (सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभाग)				
दत्तमत	1,92,77	00	1,15,96	00
26. श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग				
दत्तमत	2,81,42,60	46,82,00	1,70,65,78	24,26,95
27. विधि विभाग				
दत्तमत	2,95,45,39	00	2,50,10,04	00
28. झारखण्ड उच्च न्यायालय				
प्रभारित	70,84,80	00	58,23,77	00
29. खनन् एवं भू-तत्व विभाग				
दत्तमत	49,54,83	7,14,00	29,06,36	00
30. कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)				
दत्तमत	2,11,73	1,15,30,00	1,14,37	81,02,49
31. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग)				
दत्तमत	78,45	00	57,83	00
32. विधान सभा				
दत्तमत	71,08,00	00	65,68,71	00
प्रभारित	35,20	00	67,80	00

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

3,43,13,71	64,49,95	00	00
1,53,00,65	5,00,00	00	00
10,87,70	1,65,08	00	00
76,81	00	00	00
1,10,76,82	22,55,05	00	00
45,35,35	00	00	00
12,61,03	00	00	00
20,48,47	7,14,00	00	00
97,36	34,27,51	00	00
20,62	00	00	00
5,39,29	00	00	00
00	00	32,60	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
33. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)				
दत्तमत	36,07,53	2,00,00	25,40,88	2,00,00
34. झारखण्ड लोक सेवा आयोग				
प्रभारित	8,52,50	00	7,65,67	00
35. योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)				
दत्तमत	3,65,68,43	3,00,00	2,70,12,44	3,00,00
36. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग				
दत्तमत	15,48,93,67	2,91,75,00	13,05,85,64	2,20,96,60
37. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग)				
दत्तमत	18,04,09	00	17,77,99	00
38. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)				
दत्तमत	22,52,11	00	19,76,82	00
39. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)				
दत्तमत	12,95,30,19	00	5,25,40,87	00
40. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)				
दत्तमत	5,25,55,77	27,12,46	3,64,44,05	26,54,32
41. पथ निर्माण विभाग				
दत्तमत	3,07,42,30	43,04,88,88	2,28,68,60	42,92,34,09
42. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)				
दत्तमत	47,23,25,41	5,66,36,78	34,69,80,15	5,30,94,15

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

10,66,65	00	00	00
86,83	00	00	00
95,55,99	00	00	00
2,43,08,03	70,78,40	00	00
26,10	00	00	00
2,75,29	00	00	00
7,69,89,32	00	00	00
1,61,11,72	58,14	00	00
78,73,70	12,54,79	00	00
12,53,45,26	35,42,63	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
43. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग) दत्तमत	1,73,58,62	1,76,65,00	1,44,32,13	1,76,63,05
44. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग दत्तमत	7,14,90	00	6,04,01	00
45. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग दत्तमत	1,57,61,71	33,50,00	1,23,67,99	26,70,45
46. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग) दत्तमत	49,81,18	76,00,00	38,93,38	74,26,61
47. परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग) दत्तमत	2,30,58,10	17,72,00	2,24,23,81	9,51,70
48. नगर विकास एवं अवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) दत्तमत	34,49,57,14	78,00,00	27,57,81,78	70,37,72
49. जल संसाधन विभाग दत्तमत	3,98,64,45	15,10,87,00	2,65,88,16	11,21,10,69
50. जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) दत्तमत	95,21,44	6,13,46,00	63,33,49	3,89,80,39
51. कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग) दत्तमत	19,14,63,91	2,36,31,77	13,16,17,13	1,83,01,30
52. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग) दत्तमत	1,01,88,32	21,50,00	74,27,89	20,18,00
53. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)				

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

29,26,49	1,95	00	00
1,10,89	00	00	00
33,93,72	6,79,55	00	00
10,87,80	1,73,39	00	00
6,34,29	8,20,30	00	00
6,91,75,36	7,62,28	00	00
1,32,76,29	3,89,76,31	00	00
31,87,95	2,23,65,61	00	00
5,98,46,78	53,30,47	00	00
27,60,43	1,32,00	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
दत्तमत	79,91,11	89,77,25	58,81,44	51,06,38
54. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)				
दत्तमत	3,21,83,83	19,00,00	2,21,39,64	9,47,91
55. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)				
दत्तमत	22,28,67,21	15,92,90,00	21,16,53,95	15,43,62,69
56. ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)				
दत्तमत	18,94,67,86	6,00,00	16,71,36,37	3,30,46
57. नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)				
दत्तमत	25,23,51	25,50,00	25,16,21	25,50,00
58. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)				
दत्तमत	17,14,57,14	6,00,00	12,02,17,31	4,98,20
59. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)				
दत्तमत	67,93,64,11	25,00,00	54,34,74,30	25,00,00
60. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग				
दत्तमत	31,78,55,96	2,65,10,00	24,14,67,70	1,16,96,42
कुल दत्तमत	5,18,05,64,99	1,43,60,76,33	4,09,13,04,81	1,21,95,74,63
कुल प्रभारित	47,31,83,51	20,67,46,36	42,46,12,50	20,77,88,30
कुल जोड़	5,65,37,48,50	1,64,28,22,69	4,51,59,17,31	1,42,73,62,93

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
21,09,67	38,70,87	00	00
1,00,44,19	9,52,09	00	00
1,12,13,26	49,27,31	00	00
2,23,31,49	2,69,54	00	00
7,30	00	00	00
5,12,39,83	1,01,80	00	00
13,58,89,81	00	00	00
7,63,88,26	1,48,13,58	00	00
1,08,92,60,18	21,65,01,70	00	00
4,86,03,61	00	32,60	10,41,94
1,13,78,63,79	21,65,01,70	32,60	10,41,94

विनियोग लेखे का सरांश-क्रमांत

निम्नलिखित दत्तमत्त अनुदान में अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है:-

राजस्व प्रभाग:

32- विधान सभा

निम्नलिखित प्रभारित विनियोगों में अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है:-

पूँजी प्रभाग :

14- ऋण की वापसी/अदायगी

चूँकि अनुदान और विनियोग, व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के लिये हैं, अतएव उनके सामने दर्शाये गये व्यय के आँकड़ों में वे वसूलियाँ सम्मिलित नहीं है जिनका समायोजन लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में किया जाता है। निवल व्यय के आँकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं।

वर्ष 2016-2017 के विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दिया गया है:-

	दत्तमत्त		प्रभारित	
	राजस्व (₹ हजार में)	पूँजी	राजस्व (₹ हजार में)	पूँजी
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय घटाएँ -	4,09,13,04,81	1,21,95,74,63	42,46,12,50	20,77,88,30
कुल वसूलियाँ	70,13,35	00	00	00
निवल कुल व्यय जैसा कि वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दिखाया गया है।	4,08,42,91,46	1,21,95,74,63	42,46,12,50	20,77,88,30

उपर्युक्त में संदर्भित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाऊचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाइनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियाँ के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले झारखण्ड सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

दिनांक : 01 मार्च, 2018
नई दिल्ली



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुदान संख्या 1 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2435-अन्य कृषि कार्यक्रम, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय)

परिव्यय :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	12,47,07,64	14,49,77,77	9,23,73,11	(-)5,26,04,66
अनुपूरक	2,02,70,13			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

5,19,13,48

(29 अगस्त 2016 : 95,00
11 नवम्बर 2016 : 10,31,00
मार्च 2017 : 5,07,87,48)

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,51,76,00	5,51,76,00	4,35,40,29	(-)1,16,35,71
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

1,16,35,71

(मार्च 2017)

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 5,26,04.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 91,88.00 लाख), नवंबर 2016 (₹ 39,75.36 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 71,06.77 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,02,70.13 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता है।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 5,19,13.48 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,26,04.66 लाख) से ₹ 6,91.18 लाख कम था।

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2401-00.102.04 - बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम-कृषकों को धान एवं अन्य बीजों की उपलब्धता (योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,26.85 लाख की बचत, जो कि ₹ 26,29.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.102.A0- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (के.प्रा.यो.)	मूल	16,80.00	5,02.13	5,02.13	0.00	₹11,77.87 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹2,17.00 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा उद्व्यय की कम अनुशंसा (₹ 1,97.50 लाख) एवं निधि की कम विमुक्ति (₹ 19.50 लाख) के कारण हुई थी। ₹9,60.87 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,77.87				
2401-00.102.A0- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (योजना)	मूल	11,10.00	2,69.99	2,69.99	0.00	₹9,70.01 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹1,12.01 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा कर्णांकित उद्व्यय (₹1,03.01 लाख) के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने एवं निधि (₹9.00 लाख) के कम विमुक्ति के कारण हुई थी। ₹8,58.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	1,30.00				
	पुनर्वि.	(-)9,70.01				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.102.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के.प्रा.यो.)	मूल	10,80.00	3,63.63	3,63.63	0.00	₹8,07.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	91.00				
	पुनर्वि.	(-)8,07.37				
2401-00.102.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (योजना)	मूल	7,20.00	4,94.19	4,94.19	0.00	₹3,17.81 लाख की प्रत्याशित बचत कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्णांकित उद्व्यय के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	92.00				
	पुनर्वि.	(-)3,17.81				
2401-00.102.AE- समेकित मोटे अनाज के विकास की योजना (योजना)	मूल	1,50.00	33.92	33.92	0.00	₹1,16.08 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,16.08				
2401-00.102.AS- परंपरागत कृषि विकास योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	0.00	60.94	60.94	0.00	₹1,49.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	2,10.00				
	पुनर्वि.	(-)1,49.06				
2401-00.102. AS- परंपरागत कृषि विकास योजना (योजना)	मूल	0.00	40.63	40.63	0.00	₹99.37 लाख की प्रत्याशित बचत कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्णांकित उद्व्यय के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	1,40.00				
	पुनर्वि.	(-)99.37				
2401-00.102.AU- कन्वर्सन ऑफ फ़ैलो लैंड इन्टु क्रॉड एरिया (योजना)	मूल	0.00	10,95.80	10,95.80	0.00	₹1,94.20 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	12,90.00				
	पुनर्वि.	(-)1,94.20				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.104.A2- बीज उत्पादन (योजना)	मूल	60.00	28.60	28.60	0.00	₹31.40 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31.40				
2401-00.105.AP- जैविक खेती का प्रमाणीकरण योजना (योजना)	मूल	9,00.00	6,00.00	6,00.00	0.00	₹3,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2401-00.108.02- ईख की खेती (गैर-योजना)	मूल	1,42.14	84.14	84.14	0.00	₹58.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)58.00				
2401-00.108.93- विशेष फसल योजना-केला उत्पादन (योजना)	मूल	1,50.00	1,54.38	1,54.38	0.00	₹48.40 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	52.78				
	पुनर्वि.	(-)48.40				
2401-00.109.01- प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना (गैर-योजना)	मूल	51,12.84	42,86.05	42,83.62	(-)2.43	₹8,26.79 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,26.79				
2401-00.109.08- क्षेत्र परीक्षात्मक सेवा की योजना (गैर-योजना)	मूल	1,51.22	1,06.77	1,06.77	0.00	₹44.45 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)44.45				
2401-00.109.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के.प्रा.यो.)	मूल	16,20.00	8,48.14	8,48.14	0.00	₹7,71.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,71.86				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.109.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (योजना)	मूल	10,80.00	5,56.82	5,56.82	0.00	₹5,23.18 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹3,43.18 लाख की बचत कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्णांकित उद्व्यय के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹1,80.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,23.18				
2401-00.109.99- नेशनल मिशन ऑफ एग्रिकल्चर एक्स्टेंशन एवं तकनीक (के.प्रा.यो.)	मूल	9,90.00	6,68.74	6,68.74	0.00	₹3,21.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,21.26				
2401-00.109.99- नेशनल मिशन ऑन एग्रिकल्चर एक्स्टेंशन एवं तकनीक (योजना)	मूल	6,60.00	3,64.57	3,64.57	0.00	₹2,95.43 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹2,35.43 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा कर्णांकित उद्व्यय (₹ 1,80.43 लाख) के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने एवं उद्व्यय (₹55.00 लाख) के पुनरीक्षण के कारण हुई थी। ₹60.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,95.43				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.109.A4- प्रशिक्षण, भ्रमण, प्रोत्साहन, पुरस्कार, प्रचार-प्रसार (योजना)	मूल	60.00	8.92	8.92	0.00	₹51.08 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)51.08				
2401-00.109.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	10,80.00	4,56.51	4,56.51	0.00	₹6,23.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,23.49				
2401-00.109.AH- सिंगल विंडो सेंटर की स्थापना (योजना)	मूल	4,50.00	3,12.68	3,12.68	0.00	₹1,37.32 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,37.32				
2401-00.113.AK- महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन की योजना (योजना)	मूल	6,00.00	4,27.89	4,27.89	0.00	₹1,72.11 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,72.11				
2401-00.113.AL- छोटे और सीमांत कृषकों तथा स्वयं सहायता समूहों/ किसान क्लब को पम्पसेट का वितरण (योजना)	मूल	18,00.00	15,01.80	15,01.80	0.00	₹2,98.20 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,98.20				
2401-00.113.AT- सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन (के.प्रा.यो)	मूल	0.00	32.00	32.00	0.00	₹58.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	90.00				
	पुनर्वि.	(-)58.00				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.113.AT- सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन (योजना)	मूल	0.00	32.52	32.52	0.00	₹43.98 लाख की प्रत्याशित बचत कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्णाकित उद्व्यय के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	76.50				
	पुनर्वि.	(-)43.98				
2401-00.114.04- तिलहन विकास (के.प्रा.यो.)	मूल	45.00	89.60	89.60	0.00	₹41.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	86.00				
	पुनर्वि.	(-)41.40				
2401-00.114.97- समेकित तिलहन विकास योजना (योजना)	मूल	1,50.00	1,06.63	1,06.63	0.00	₹43.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)43.37				
2401-00.114.AA- नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम (योजना)	मूल	30.00	49.12	49.12	0.00	₹40.88 लाख की प्रत्याशित बचत कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्णाकित उद्व्यय के समतुल्य निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	60.00				
	पुनर्वि.	(-)40.88				
2401-00.119.01- उद्यान विकास योजना (फल विकास योजना सहित) (गैर-योजना)	मूल	4,18.77	2,49.20	2,49.20	0.00	₹1,69.57 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,69.57				
2401-00.119.05- सब्जी विकास योजना (रोग मुक्त प्रमाणित आलू बीज योजना) (गैर-योजना)	मूल	3,13.23	1,22.54	1,22.54	0.00	₹1,90.69 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,90.69				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.119.94- राज्य बागवानी मिशन गैर क्रियान्वित जिला (योजना)	मूल	6,30.00	14,25.53	14,25.53	0.00	₹1,64.47 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	9,60.00				
	पुनर्वि.	(-)1,64.47				
2401-00.119.AM- गृह वाटिका (योजना)	मूल	2,70.00	1,34.33	1,34.33	0.00	₹1,35.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,35.67				
2401-00.789.02- बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम (योजना)	मूल	3,00.00	7,77.50	7,77.50	0.00	₹1,25.50 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	6,03.00				
	पुनर्वि.	(-)1,25.50				
2401-00.789.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के.प्रा.यो.)	मूल	5,40.00	2,79.71	2,79.71	0.00	₹2,60.29 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,60.29				
2401-00.789.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (योजना)	मूल	3,60.00	1,86.47	1,86.47	0.00	₹1,73.53 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹1,13.53 लाख की बचत कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्णाकित उद्व्यय के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 60.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों की सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,73.53				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.99- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीकी (के.प्रा.यो.)	मूल	3,30.00	2,20.69	2,20.69	0.00	₹1,09.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,09.31				
2401-00.789.99- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीकी (योजना)	मूल	2,20.00	99.32	99.32	0.00	₹1,20.68 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹1,00.68 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा कर्णांकित उद्व्यय (₹ 82.68 लाख) के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने एवं उद्व्यय (₹ 18.00 लाख) के पुनरीक्षण के कारण हुई। ₹20.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,20.68				
2401-00.789.A0- नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल एग्रीकल्चर (के.प्रा.यो.)	मूल	5,60.00	1,41.11	1,41.11	0.00	₹4,18.89 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹72.00 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा उद्व्यय (₹ 65.50 लाख) की निधि की कम अनुशंसा एवं केंद्रांश (₹ 6.50 लाख) की कम विमुक्ति के कारण हुई थी। ₹3,46.89 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,18.89				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.A0- नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल एग्रीकल्चर (योजना)	मूल	3,70.00	58.58	58.58	0.00	₹3,24.42 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹38.42 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा कर्णाकित उद्व्यय (₹ 35.42 लाख) के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने एवं केंद्रांश (₹ 3.00 लाख) के कम विमुक्ति के कारण हुई थी। ₹2,86.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	13.00				
	पुनर्वि.	(-)3,24.42				
2401-00.789.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के.प्रा.यो.)	मूल	3,60.00	1,04.35	1,04.35	0.00	₹3,31.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	76.00				
	पुनर्वि.	(-)3,31.65				
2401-00.789. A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (योजना)	मूल	2,40.00	1,59.87	1,59.87	0.00	₹1,27.13 लाख की प्रत्याशित बचत कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्णाकित उद्व्यय के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	47.00				
	पुनर्वि.	(-)1,27.13				
2401-00.789.AE- समेकित मोटे अनाज के विकास की योजना (योजना)	मूल	50.00	10.27	10.27	0.00	₹39.73 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.73				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	10,00.00	5,15.68	5,15.68	0.00	₹4,84.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,84.32				
2401-00.789.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (योजना)	मूल	6,70.00	3,31.25	3,31.25	0.00	₹3,38.75 लाख की प्रत्याशित बचत कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्णांकित उद्व्यय के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,38.75				
2401-00.789. AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा.यो)	मूल	3,60.00	1,57.90	1,57.90	0.00	₹2,02.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,02.10				
2401-00.789.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (योजना)	मूल	2,40.00	2,21.30	2,21.30	0.00	₹48.70 लाख की प्रत्याशित बचत कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्णांकित उद्व्यय के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	30.00				
	पुनर्वि.	(-)48.70				
2401-00.789.AH- सिंगल विंडो सेंटर की स्थापना (योजना)	मूल	1,50.00	61.08	61.08	0.00	₹88.92 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)88.92				
2401-00.789.AJ- डबल क्रॉपिंग राईस फैलो स्कीम (योजना)	मूल	3,15.00	1,86.19	1,86.19	0.00	₹1,28.81 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,28.81				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.AK- महिला स्कूल सहायता समूहों के लिए यंत्रिकीकरण प्रोत्साहन की योजना (योजना)	मूल	2,00.00	1,24.00	1,24.00	0.00	₹76.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)76.00				
2401-00.789.AL- छोटे और सीमांत कृषकों तथा स्वयं सहायता समूहों/किसान क्लब को पम्प सेट का वितरण (योजना)	मूल	6,00.00	4,66.80	4,66.80	0.00	₹1,33.20 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,33.20				
2401-00.789.AP- जैविक खेती का प्रमापीकरण योजना (योजना)	मूल	3,00.00	2,00.00	2,00.00	0.00	₹1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2401-00.789.AS- परम्परागत कृषि विकास योजना (के.प्र.यो.)	मूल	0.00	20.31	20.31	0.00	₹49.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	70.00				
	पुनर्वि.	(-)49.69				
2401-00.789.AS- परम्परागत कृषि विकास योजना (योजना)	मूल	00.00	13.54	13.54	0.00	₹36.46 लाख की प्रत्याशित बचत कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्णाकित उद्व्यय के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	(-)36.46				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.AU- कन्वर्सन ऑफ फ़ैलो लैंड इन्टू क्रॉप एरिया (योजना)	मूल	0.00	2,92.67	2,92.67	0.00	₹1,37.33 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	4,30.00				
	पुनर्वि.	(-)1,37.33				
2401-00.796-02- बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम (योजना)	मूल	18,00.00	40,91.02	40,91.02	0.00	₹7,08.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	30,00.00				
	पुनर्वि.	(-)7,08.98				
2401-00.796.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (कं.प्रा.यो.)	मूल	32,40.00	16,94.50	16,63.75	(-)30.75	₹15,76.25 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,45.50				
2401-00.796.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (योजना)	मूल	21,60.00	11,23.16	11,23.16	0.00	₹10,36.84 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 6,76.84 लाख कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्णांकित उद्व्यय के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं कये जाने के कारण हुई थी। ₹ 3,60.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,36.84				
2401-00.796.93- विशेष फसल योजना-केला उत्पाद (योजना)	मूल	3,00.00	2,47.04	2,47.04	0.00	₹52.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)52.96				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.94- राज्य बागवानी मिशन गैर क्रियान्वित जिला (योजना)	मूल	12,60.00	94.53	94.53	0.00	₹11,65.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,65.47				
2401-00.796.95- कृषि क्लीनिक (योजना)	मूल	1,80.00	98.68	98.68	0.00	₹81.32 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)81.32				
2401-00.796.97- समेकित तिलहन विकास कार्यक्रम (योजना)	मूल	3,00.00	1,48.08	1,48.08	0.00	₹1,51.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,51.92				
2401-00.796.99- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक (के.प्रा.यो.)	मूल	19,80.00	10,17.15	10,17.15	0.00	₹9,62.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,62.85				
2401-00.796.99- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक (योजना)	मूल	13,20.00	6,09.66	6,09.66	0.00	₹7,10.34 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹5,90.34 लाख की बचत भारत सरकार के द्वारा कर्णांकित उद्व्यय (₹ 4,43.34 लाख) के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने एवं उद्व्यय में पुनरीक्षण (₹ 1,47.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹1,20.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,10.34				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.A0- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (कं.प्रा.यो.)	मूल	33,60.00	7,44.66	2,38.66	(-)5,06.00	₹26,15.34 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹4,34.00 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा केंद्रांश (₹ 39.00 लाख) के विमुक्त नहीं किये जाने एवं उद्व्यय (₹ 3,95.00 लाख) के कम अनुशंसा किये जाने के कारण हुई थी। ₹21,81.34 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹5,06.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26,15.34				
2401-00.796.A0- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (योजना)	मूल	22,20.00	1,59.55	1,59.55	0.00	₹20,60.45 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹3,44.45 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा कर्णांकित उद्व्यय (₹ 3,26.45 लाख) के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने एवं केंद्रांश (₹ 18.00 लाख) के कम विमुक्त किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 17,16.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,60.45				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के.प्रा.यो.)	मूल	21,60.00	8,37.33	8,37.33	0.00	₹17,31.67 लाख की प्रत्याशित बचत कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्णाकित उद्व्यय के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	4,09.00				
	पुनर्वि.	(-)17,31.67				
2401-00.796.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (योजना)	मूल	14,40.00	8,74.50	8,74.50	0.00	₹8,51.50 लाख की प्रत्याशित बचत कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्णाकित उद्व्यय के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	2,86.00				
	पुनर्वि.	(-)8,51.50				
2401-00.796.A2- बीज उत्पादन (योजना)	मूल	1,20.00	66.69	66.69	0.00	₹53.31 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)53.31				
2401-00.796.A4- प्रशिक्षण भ्रमण, प्रोत्साहन पुरस्कार, प्रचार-प्रसार (योजना)	मूल	1,20.00	15.65	15.65	0.00	₹1,04.35 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,04.35				
2401-00.796.A5- नर्सरी की स्थापना एवं विकास (योजना)	मूल	3,00.00	2,59.99	2,59.99	0.00	₹40.01 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.01				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.AA- नेशनल मिशन ऑन ऑयल सिड्स एंड ऑयल पाम (के.प्रा.यो.)	मूल	90.00	37.90	37.90	0.00	₹1,77.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	1,25.00				
	पुनर्वि.	(-)1,77.10				
2401-00.796.AA- नेशनल मिशन ऑन ऑयल सिड्स एंड ऑयल पाम (योजना)	मूल	60.00	32.18	32.18	0.00	₹1,12.82 लाख की प्रत्याशित बचत कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्णांकित उद्व्यय के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	85.00				
	पुनर्वि.	(-)1,12.82				
2401-00.796.AE- समेकित मोटे अनाज के विकास की योजना (योजना)	मूल	3,00.00	1,38.56	1,38.56	0.00	₹1,61.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,61.44				
2401-00.796.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	60,00.00	36,93.76	37,18.15	+24.39	₹23,06.24 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹24.39 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)23,06.24				
2401-00.796.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (योजना)	मूल	40,20.00	20,99.89	20,85.21	(-)14.68	₹19,20.11 लाख की प्रत्याशित बचत कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्णांकित उद्व्यय के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹14.68 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,20.11				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	21,60.00	8,83.73	8,83.73	0.00	₹12,76.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,76.27				
2401-00.796.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (योजना)	मूल	14,40.00	14,75.49	14,75.49	0.00	₹6,62.51 लाख की प्रत्याशित बचत कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्णांकित उद्व्यय के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	6,98.00				
	पुनर्वि.	(-)6,62.51				
2401-00.796.AH- सिंगल विंडो सेंटर की स्थापना (योजना)	मूल	9,00.00	7,99.01	7,99.01	0.00	₹1,00.99 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.99				
2401-00.796.AJ- डब्ल क्रॉपिंग राइस फैलो योजना (योजना)	मूल	18,90.00	13,22.85	13,13.15	(-)9.70	₹5,76.85 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,67.15				
2401-00.796.AK- महिला स्वयं समूहों के लिए यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन की योजना (योजना)	मूल	12,00.00	9,50.82	9,50.82	0.00	₹2,49.18 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,49.18				
2401-00.796.AM- किचन गार्डन (योजना)	मूल	5,40.00	2,37.63	2,37.63	0.00	₹3,02.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,02.37				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.AP- जैविक खेती का प्रमाणीकरण योजना (योजना)	मूल	18,00.00	12,00.00	12,00.00	0.00	₹6,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				
2401-00.796.AS- परम्परागत कृषि विकास योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	0.00	1,21.88	1,21.88	0.00	₹2,98.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	4,20.00				
	पुनर्वि.	(-)2,98.12				
2401-00.796.AS- परम्परागत कृषि विकास योजना (योजना)	मूल	0.00	81.25	81.25	0.00	₹2,03.75 लाख की प्रत्याशित बचत कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्णांकित उद्व्यय के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	2,85.00				
	पुनर्वि.	(-)2,03.75				
2401-00.796.AT- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन (के.प्रा.यो.)	मूल	0.00	1,40.44	1,40.44	0.00	₹39.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	1,80.00				
	पुनर्वि.	(-)39.56				
2401-00.796.AT- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन (योजना)	मूल	0.00	97.80	97.80	0.00	₹55.20 लाख की प्रत्याशित बचत कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्णांकित उद्व्यय के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	1,53.00				
	पुनर्वि.	(-)55.20				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.AU- कन्वर्सन ऑफ फ़ैलो लैण्ड इन्टू क्रॉप एरिया (योजना)	मूल	0.00	16,65.96	16,65.96	0.00	₹9,14.04 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	25,80.00				
	पुनर्वि.	(-)9,14.04				
2401-00.796.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी (के.प्रा.यो.)	मूल	0.00	45.48	45.48	0.00	₹36.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	82.00				
	पुनर्वि.	(-)36.52				
2401-00.800.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	30,00.00	23,60.10	23,60.10	0.00	₹6,39.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,39.90				
2401-00.800.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (योजना)	मूल	20,10.00	11,64.57	11,64.57	0.00	₹8,45.43 लाख की प्रत्याशित बचत कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्णांकित उद्व्यय के समतुल्य निधि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,45.43				
2402-00.101.01- सर्वे स्थापना (गैर-योजना)	मूल	2,11.81	1,58.89	1,58.89	0.00	₹52.95 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.03				
	पुनर्वि.	(-)52.95				
2402-00.102.04- क्षेत्रीय स्थापना (गैर-योजना)	मूल	23,70.67	9,36.12	9,36.12	0.00	₹14,34.55 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,34.55				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2402-00.102.11- जलनिधि (गैर-योजना)	मूल	18,00.00	15,77.48	15,77.48	0.00	₹2,22.52 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,22.52				
2402-00.789.11- जलनिधि (योजना)	मूल	6,00.00	3,70.46	3,70.46	0.00	₹2,29.54 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,29.54				
2402-00.796.11- जलनिधि (योजना)	मूल	36,00.00	28,36.17	28,36.17	0.00	₹7,63.83 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,63.83				
2415-01.004.02- मिट्टी जाँच प्रयोगशाला (गैर-योजना)	मूल	1,03.43	57.45	57.45	0.00	₹45.98 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.98				
2415-01.277.02- प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र (गैर-योजना)	मूल	1,47.26	1,14.72	1,14.72	0.00	₹34.54 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	2.00				
	पुनर्वि.	(-)34.54				
2415-80.796.04- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को सहाय्य अनुदान (योजना)	मूल	60,00.00	51,01.25	51,01.25	0.00	₹23,64.50 लाख की प्रत्याशित बचत बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा डी.सी.ए.आर. के 25 प्रतिशत के लिए निधि की मांग नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	14,65.75				
	पुनर्वि.	(-)23,64.50				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2435-01.796.14- मिट्टी जाँच से सम्बन्धित भुगतान (योजना)	मूल	0.00	1,65.61	1,65.61	0.00	₹82.01 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	2,47.62				
	पुनर्वि.	(-)82.01				

(4) निम्नलिखित मामलों में संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकव्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.102.AI- खाद्यान्न फसलें (योजना)	मूल	12,90.00	0.00	0.00	0.00	₹12,90.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,90.00				
2401-00.108.AO- विशेष फसलें-हल्दी एवं अदरख प्रत्यक्षण (योजना)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	₹1,50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				
2401-00.789.67- मृदा सुधार एवं प्रबंधन की योजना (योजना)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2401-00.789.AI- खाद्यान्न फसलें (योजना)	मूल	4,30.00	0.00	0.00	0.00	₹4,30.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,30.00				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकव्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.AN- सब्जी उत्पादन का प्रत्यक्षण (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2401-00.789.AO- विशेष फसलें-हल्दी एवं अदरख प्रत्यक्षण (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2401-00.796.64- झारखंड कृषि कार्ड योजना (योजना)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹60.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
2401-00.796.67- मृदा सुधार एवं प्रबंधन की योजना (योजना)	मूल	12,00.00	0.00	0.00	0.00	₹12,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों की सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,00.00				
2401-00.796.AI- खाद्यान्न फसलें (योजना)	मूल	25,80.00	0.00	0.00	0.00	₹25,80.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25,80.00				
2401-00.796.AN- सब्जी उत्पादन का प्रत्यक्षण (योजना)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹3,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकव्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.AO- विशेष फसलें-हल्दी एवं अदरख का प्रत्यक्षण (योजना)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹3,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2401-00.800.64- झारखण्ड कृषि कार्ड योजना (योजना)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹30.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2401-00.800.68- मृदा सुधार, प्रबंधन एवं भूमि विकास की योजना (योजना)	मूल	6,00.00	0.00	0.00	0.00	₹6,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				

पूँजी :

- (5) शीर्ष 4402-00.203.02- वर्षा जल संचयन इकाई-डोभा (योजना) के अंतर्गत ₹ 4,70.60 लाख की बचत, जो कि ₹ 60,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4401-00.101.09- कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कृषि विभाग के आधारभूत संरचना, भू-अर्जन एवं अन्य सुविधाओं के विकास की योजना (योजना)	मूल	4,50.00	2,18.99	2,18.99	0.00	₹2,31.01 लाख की प्रत्याशित बचत निदेशालय द्वारा निधि की माँग नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,31.01				

अनुदान संख्या-1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4401-00.796.09- कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कृषि विभाग के आधारभूत संरचना भू-अर्जन एवं अन्य सुविधाओं के विकास की योजना (योजना)	मूल	9,00.00	5,20.60	5,20.60	0.00	₹3,79.40 लाख की प्रत्याशित बचत निदेशालय द्वारा निधि की माँग नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,79.40				
4402-00.203.01- बंजर भूमि एवं राइस फैलो विकास योजना (योजना)	मूल	1,01.02.00	85,33.34	85,33.34	0.00	₹15,68.66 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,68.66				
4402-00.789.01- बंजर भूमि एवं राइस फैलो विकास योजना (योजना)	मूल	33,69.00	26,26.56	26,26.56	0.00	₹7,42.44 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों की सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,42.44				
4402-00.789.02- वर्षा जल संचयन इकाई-डोभा (योजना)	मूल	20,00.00	7,04.78	7,04.78	0.00	₹12,95.22 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,95.22				
4402-00.796.01- बंजर भूमि एवं राइस फैलो विकास योजना (योजना)	मूल	2,02,05.00	1,68,40.40	1,68,40.40	0.00	₹33,64.60 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33,64.60				
4402-00.796.02- वर्षा जल संचयन इकाई-डोभा (योजना)	मूल	1,20,00.00	85,66.21	85,66.21	0.00	₹34,33.79 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34,33.79				

अनुदान संख्या-1 क्रमांत

(6) निम्नलिखित मामले में संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ in lakh)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4401-00.789.09- कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कृषि विभाग के आधारभूत संरचना, भू-अर्जन एवं अन्य सुविधाओं के विकास की योजना (योजना)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	₹1,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत निदेशालय द्वारा निधि की माँग नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)1,50.00			

**अनुदान संख्या 2 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2403-पशुपालन, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत्त :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	2,58,04,06	2,92,82,73	1,97,23,62	(-)95,59,11
अनुपूरक	34,78,67			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

95,59,11

पूंजी:

दत्तमत्त:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	70,20,00	74,42,19	12,03,45	(-)62,38,74
अनुपूरक	4,22,19			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

62,38,74

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 95,59.11 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 34,68.07 लाख) और जनवरी 2017 (₹ 10.60 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 34,78.67 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

(2) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत , जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.001.04- अधीक्षण (गैर-योजना)	मूल	1,79.99	1,59.45	1,59.45	0.00	₹ 20.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.54				
2403-00.101.02- पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका-चालू योजना) (के.प्रा.यो.)	मूल	90.00	24.05	24.05	0.00	₹ 1,73.95 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	1,08.00				
	पुनर्वि.	(-)1,73.95				
2403-00.101.02- पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका-चालू योजना) (योजना)	मूल	90.00	37.31	37.31	0.00	₹ 1,24.69 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	72.00				
	पुनर्वि.	(-)1,24.69				
2403-00.101.03- अस्पताल, औषधालय और अन्य स्थापनाएं (गैर-योजना)	मूल	61,16.86	52,47.15	52,47.15	0.00	बकाये का भुगतान किये जाने के कारण ₹ 38.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 8,31.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,69.71				
2403-00.101.24- अस्पताल, औषधालय और अन्य स्थापनाएं (योजना)	मूल	4,01.00	2,80.63	2,80.63	0.00	₹ 1,20.37 लाख की प्रत्याशित बचत मित्तव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,20.37				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.101.30- इपीडेमिओलौजीकल एवं अनुश्रवण कोषांग (योजना)	मूल	1,00.00	72.10	72.10	0.00	₹ 27.90 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27.90				
2403-00.101.67- पशुधन रोग नियंत्रण (पी.पी.आर. नियंत्रण कार्यक्रम) (के.प्रा.यो.)	मूल	62.50	77.05	77.05	0.00	₹ 81.45 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता तथा मानदेय की राशि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	96.00				
	पुनर्वि.	(-)81.45				
2403-00.101.67- पशुधन रोग नियंत्रण (पी.पी.आर. नियंत्रण कार्यक्रम) (योजना)	मूल	62.50	45.37	45.37	0.00	₹ 81.13 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता तथा मानदेय की राशि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	64.00				
	पुनर्वि.	(-)81.13				
2403-00.102.06- पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना (प्रमाणित साँढ़ों के ग्राम्य क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय विस्तार प्रखण्ड में वितरण सहित) (गैर-योजना)	मूल	18,60.66	15,35.95	15,35.95	0.00	₹ 3,24.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,24.71				
2403-00.103.03- रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना (गैर-योजना)	मूल	2,67.11	1,67.59	1,67.59	0.00	₹ 99.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)99.52				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.103.05- कुक्कुट एवं बत्तख प्रक्षेत्र (योजना)	मूल	8,89.00	7,28.76	7,28.76	0.00	₹ 1,60.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः समय पर लाभूकों का चयन नहीं होने एवं राशि की निकासी 15 प्रतिशत तक सीमित किये जाने ₹ 1,60.03 लाख के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,60.24				
2403-00.103.61- कुक्कुट विकास (75:25) (के.प्रा.यो.)	मूल	0.00	13.34	13.34	0.00	₹ 52.09 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 33.00 लाख की प्रत्याशित बचत मशीन क्रय नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 19.09 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	65.43				
	पुनर्वि.	(-)52.09				
2403-00.103.61- कुक्कुट विकास (75:25) (योजना)	मूल	0.00	1.21	1.21	0.00	₹ 20.60 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 11.00 लाख की प्रत्याशित बचत मशीन क्रय नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 9.60 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	21.81				
	पुनर्वि.	(-)20.60				
2403-00.104.34 - बकरा प्रजनन प्रक्षेत्र (योजना)	मूल	9,12.00	8,16.70	8,16.70	0.00	₹ 95.30 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः समय पर लाभूकों का चयन नहीं होने एवं राशि की निकासी 15 प्रतिशत तक सीमित किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)95.30				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.105.32- सूकर प्रजनन इकाई (योजना)	मूल	8,07.00	5,02.50	5,02.50	0.00	₹ 3,04.50 लाख की प्रत्याशित बचत समय पर लाभकों का चयन नहीं होने एवं राशि की निकासी 15 प्रतिशत तक सीमित किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,04.50				
2403-00.106.12- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पशु स्वास्थ्य शिविर) (के.प्रा.यो.)	मूल	89.40	53.70	53.70	0.00	₹ 35.70 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता एवं निधि की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35.70				
2403-00.106.12- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पशु स्वास्थ्य शिविर) (योजना)	मूल	59.60	25.53	25.53	0.00	₹ 34.07 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता एवं निधि की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.07				
2403-00.106.37- राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र (योजना)	मूल	1,99.00	1,54.51	1,54.51	0.00	₹ 44.49 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)44.49				
2403-00.107.56- चारा टेसटिंग लैब का आधुनिकीकरण (के.प्रा.यो.)	मूल	82.00	18.90	18.90	0.00	₹ 63.10 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता एवं निधि की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)63.10				
2403-00.107.56- चारा टेसटिंग लैब का आधुनिकीकरण (योजना)	मूल	54.00	33.49	33.49	0.00	₹ 20.51 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता एवं निधि की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.51				
2403-00.109.26- प्रसार एवं प्रशिक्षण (योजना)	मूल	2,38.00	1,64.53	1,64.53	0.00	₹ 73.47 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)73.47				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.789.13- सूकर प्रजनन इकाई (योजना)	मूल	1,65.00	1,04.50	1,04.50	0.00	₹ 60.50 लाख की प्रत्याशित बचत समय पर लाभूकों का चयन नहीं होने एवं राशि की निकासी 15 प्रतिशत तक सीमित किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.50				
2403-00.789.23- कुक्कुट इकाई का वितरण (योजना)	मूल	1,72.00	1,36.24	1,36.24	0.00	35.76 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः समय पर लाभूकों का चयन नहीं होने एवं राशि की निकासी 15 प्रतिशत तक सीमित किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35.76				
2403-00.789.27- पशु अस्पतालों की स्थापना एवं सुदृढीकरण (के.प्रा.यो.)	मूल	20.00	5.01	5.01	0.00	₹ 37.69 लाख की प्रत्याशित बचत अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के फलस्वरूप मशीनों एवं उपकरणों की खरीद नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	22.70				
	पुनर्वि.	(-)37.69				
2403-00.789.27- पशु अस्पतालों की स्थापना एवं सुदृढीकरण (योजना)	मूल	20.00	2.37	2.37	0.00	₹ 32.76 लाख की प्रत्याशित बचत अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के फलस्वरूप मशीनों एवं उपकरणों की खरीद नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	15.13				
	पुनर्वि.	(-)32.76				
2403-00.789.34- बकरा प्रजनन प्रक्षेत्र (योजना)	मूल	1,77.00	1,37.53	1,37.53	0.00	₹ 39.47 लाख की प्रत्याशित बचत समय पर लाभूकों का चयन नहीं होने एवं राशि की निकासी 15 प्रतिशत तक सीमित किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.47				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.789.45- पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण (योजना)	मूल	1,10.00	76.43	76.43	0.00	₹ 33.57 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33.57				
2403-00.789.67- पशुधन रोग नियंत्रण (पी.पी.आर. नियंत्रण कार्यक्रम) (के.प्रा.यो.)	मूल	37.50	16.96	16.96	0.00	₹ 44.54 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता तथा मानदेय की राशि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	24.00				
	पुनर्वि.	(-)44.54				
2403-00.789.67- पशुधान रोग नियंत्रण (पी.पी.आर. नियंत्रण कार्यक्रम) (योजना)	मूल	37.50	12.12	12.12	0.00	₹ 41.38 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता तथा मानदेय की राशि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	16.00				
	पुनर्वि.	(-)41.38				
2403-00.796.06- कुक्कुट प्रक्षेत्र (योजना)	मूल	3,73.00	2,87.61	2,87.61	0.00	₹ 85.39 लाख की प्रत्याशित बचत समय पर लाभूकों का चयन नहीं होने एवं राशि की निकासी 15 प्रतिशत तक सीमित किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)85.39				
2403-00.796.13- सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र (योजना)	मूल	3,50.00	2,84.10	2,84.10	0.00	₹ 65.90 लाख की प्रत्याशित बचत समय पर लाभूकों का चयन नहीं होने एवं राशि की निकासी 15 प्रतिशत तक सीमित किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65.90				
2403-00.796.24- अस्पताल, औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना (योजना)	मूल	2,19.00	1,51.08	1,51.08	0.00	₹ 67.92 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)67.92				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.796.26- प्रसार एवं प्रशिक्षण (योजना)	मूल	1,10.00	34.79	34.79	0.00	₹ 75.21 लाख की प्रत्याशित बचत लक्ष्य के अनुसार प्रशिक्षण कार्य एवं अन्य कार्यों के पूर्ण नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75.21				
2403-00.796.34- बकरा प्रजनन प्रक्षेत्र (योजना)	मूल	3,83.00	3,24.25	3,24.25	0.00	₹ 58.75 लाख की प्रत्याशित बचत समय पर लाभकों का चयन नहीं होने एवं राशि की निकासी 15 प्रतिशत तक सीमित किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)58.75				
2403-00.796.37- राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र (योजना)	मूल	3,97.00	3,22.98	3,22.98	0.00	₹ 74.02 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)74.02				

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.101.27- पशु अस्पतालों की स्थापना एवं सुदृढीकरण (के.प्रा.यो.)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 76.80 लाख के सम्पूर्ण बचत में से, ₹ 46.80 लाख की बचत गलत शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान किये जाने के कारण हुई। ₹ 30.00 लाख के शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	46.80				
	पुनर्वि.	(-)76.80				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.101.27- पशु अस्पतालों की स्थापना एवं सुदृढीकरण (योजना)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 61.20 लाख की सम्पूर्ण बचत में से, ₹ 31.20 लाख की बचत गलत शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान किये जाने के कारण हुई। ₹ 30.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	31.20				
	पुनर्वि.	(-)61.20				
2403-00.102.32- परामर्शी सेवाएं (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	बाह्य श्रोत सेवा की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2403-00.103.62- बैकयार्ड पॉल्ट्री फार्मिंग (75:25) (के.प्रा.यो.)	मूल	1,00.80	0.00	0.00	0.00	केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,00.80 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.80				
2403-00.103.62- बैकयार्ड पॉल्ट्री फार्मिंग (75:25) (योजना)	मूल	66.20	0.00	0.00	0.00	केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 66.20 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)66.20				
2403-00.103.74- बैकयार्ड लॉ इनपुट बर्ड की वितरण की योजना (योजना)	मूल	8,30.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 8,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,30.00				
2403-00.103.75- पशु पक्षी खाद्यान्न अनुदान की योजना (योजना)	मूल	1,86.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,86.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,86.00				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.103.77- कमर्सियल कुक्कुट पालन की योजना (योजना)	मूल	7,50.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 7,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,50.00				
2403-00.104.71- मेमना (बकरी) पालन योजना (योजना)	मूल	23.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 23.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)23.00				
2403-00.106.10- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (एन.एम. पी.एस.) (के.प्रा.यो.)	मूल	75.00	0.00	0.00	0.00	₹ 75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75.00				
2403-00.106.10 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (एन.एम. पी.एस.) (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2403-00.106.64- राष्ट्रीय पशुधन प्रजनन कार्यक्रम (एन.पी.बी.बी.) (के.यो.यो.)	मूल	4,70.00	0.00	0.00	0.00	केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 4,70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,70.00				
2403-00.106.65- पशुधन विकास का सबमिशन (कलस्टर बेस्ड मास डिवारमिंग हेल्थ कवर प्रोग्राम) (के.प्रा.यो.)	मूल	2,19.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,19.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,19.00				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.106.65- पशुधन विकास का सबमिशन (कलस्टर बेस्ड मास डिवारमिंग हेल्थ कवर प्रोग्राम) (योजना)	मूल	1,46.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,46.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,46.00				
2403-00.106.66- पशुधन विकास का सबमिशन (पशुधन बीमा) (के.प्रा.यो.)	मूल	1,44.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,44.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,44.00				
2403-00.106.66- पशुधन विकास का सबमिशन (पशुधन बीमा) (योजना)	मूल	97.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 97.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)97.00				
2403-00.789.02- पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका) (के.प्रा.यो.)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 44.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	24.00				
	पुनर्वि.	(-)44.00				
2403-00.789.02- पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका-चालू योजना) (योजना)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 36.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	16.00				
	पुनर्वि.	(-)36.00				
2403-00.789.03- फ़ोजन सीमेन बैंक (योजना)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.789.10- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (एन.एम.पी.एस.) (के.प्रा.यो.)	मूल	45.00	0.00	0.00	0.00	₹ 45.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.00				
2403-00.789.10- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (एन.एम.पी.एस.) (योजना)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2403-00.789.62- बैकयार्ड पॉल्ट्री फार्मिंग (के.प्रा.यो.)	मूल	61.20	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 61.20 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)61.20				
2403-00.789.62 - बैकयार्ड पॉल्ट्री फार्मिंग (योजना)	मूल	40.80	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 40.80 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.80				
2403-00.789.64 - राष्ट्रीय पशुधन प्रजनन कार्यक्रम (एन.पी.बी.बी.) (के.यो.यो.)	मूल	2,50.00	0.00	0.00	0.00	केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50.00				
2403-00.789.74- बैकयार्ड लॉ इनपूट बर्ड की वितरण की योजना (योजना)	मूल	1,70.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,70.00				
2403-00.789.75- पशु पक्षी खाद्यान्न अनुदान की योजना (योजना)	मूल	36.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 36.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36.00				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.789.77- कॉमर्सियल कुक्कुट पालन की योजना (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2403-00.796.64- राष्ट्रीय पशुधन प्रजनन कार्यक्रम (एन.पी.बी.बी.) (के.यो.यो.)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
2403-00.796.71- मेमना (बकरी) पालन योजना (योजना)	मूल	80.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.00				
2403-00.796.72 - ध्रुण प्रत्यारोपण तकनीक (ई.टी.टी.) (योजना)	मूल	64.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 64.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)64.00				
2403-00.796.73 - मीट ऑन विल्स (योजना)	मूल	85.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 85.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)85.00				
2403-00.796.74- बैकयार्ड लॉ इनपुट बर्ड की वितरण की योजना (योजना)	मूल	3,75.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 3,75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,75.00				
2403-00.796.75- पशु पक्षी खाद्यान्न अनुदान की योजना (योजना)	मूल	78.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 78.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78.00				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.796.77- कमर्सियल कुक्कुट पालन की योजना (योजना)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

पूंजी:

- (4) ₹ 62,38.74 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 3,44.19 लाख) और नवम्बर 2016 (₹ 78.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,22.19 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (5) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4403-00.101.07- पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण (योजना)	मूल	3,66.00	32.18	32.18	0.00	₹ 6,78.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	3,44.19				
	पुनर्वि.	(-)6,78.01				
4403-00.106.06- पशु प्रक्षत्रों के सुदृढीकरण की योजना (योजना)	मूल	17,00.00	1,56.44	1,56.44	0.00	₹ 15,43.56 लाख की प्रत्याशित बचत झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को स्थानांतरित नहीं किये जाने और निधि की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,43.56				
4403-00.109.11- निदेशन तथा प्रशासन (योजना)	मूल	1,50.00	22.84	22.84	0.00	₹ 1,27.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,27.16				
4403-00.109.23- प्रसार एवं प्रशिक्षण (योजना)	मूल	5,30.00	22.29	22.29	0.00	₹ 5,07.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,07.71				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4403-00.796.07- पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण (योजना)	मूल	1,00.00	53.41	53.41	0.00	₹ 46.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.59				
4403-00.796.11- निदेशन तथा प्रशासन (योजना)	मूल	9,00.00	2,90.45	2,90.45	0.00	₹ 6,09.55 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,09.55				

(6) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4403-00.101.04- पशु चिकित्सालयों की स्थापना सुदृढीकरण की योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	निर्माण कार्य के लिए राशि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 46.80 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	46.80				
	पुनर्वि.	(-)46.80				
4403-00.101.04- पशु चिकित्सालयों की स्थापना सुदृढीकरण की योजना (योजना)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	निर्माण कार्य के लिए राशि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 31.20 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	31.20				
	पुनर्वि.	(-)31.20				
4403-00.106.03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)- फ़ोजेन सीमेन बुल स्टेशन (के.प्रा.यो.)	मूल	1,15.00	0.00	0.00	0.00	स्वीकृति आदेश निर्गत नहीं होने के कारण ₹ 1,15.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,15.00				

अनुदान संख्या-2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4403-00.106.03- राष्ट्रीय कृषि विकास-योजना (आर.के.वी.वाई)- फ़ोजेन सीमेन बुल स्टेशन (योजना)	मूल	77.00	0.00	0.00	0.00	स्वीकृति आदेश निर्गत नहीं होने के कारण ₹ 77.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)77.00				
4403-00.789.06- पशु प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण की योजना (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
4403-00.789.07- पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण (योजना)	मूल	3,34.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,34.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,34.00				
4403-00.789.11- निदेशन तथा प्रशासन (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4403-00.789.23- प्रसार एवं प्रशिक्षण (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान-2 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4403-00.796.06- पशु प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण की योजना (योजना)	मूल	18,00.00	0.00	0.00	0.00	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड से संशोधित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप स्वीकृति आदेश निर्गत नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान (₹ 18,00.00 लाख) में से ₹ 6,00.00 लाख का उपयोग नहीं हुआ। ₹ 12,00.00 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,00.00				
4403-00.796.23- प्रसार एवं प्रशिक्षण (योजना)	मूल	70.00	0.00	0.00	0.00	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70.00				

अनुदान संख्या 3 - भवन निर्माण विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 4059-लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	1,21,69,26	1,21,91,26	98,77,81	(-)23,13,45
अनुपूरक	22,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

23,06,80

पूंजी :

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	4,63,05,00	5,73,62,00	4,41,62,94	(-)1,31,99,06
अनुपूरक	1,10,57,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

1,32,12,76

टीका और टिप्पणियां :

राजस्व:

- (1) ₹ 23,13.45 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 2.00 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 20.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 22.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 23,06.80 लाख), अंतिम बचत (₹ 23,13.45 लाख) से ₹ 6.65 लाख कम था।

अनुदान संख्या-3 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2059-80.053.13 गैर-आवासीय भवनों की रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना) तथा 2216-05-053.04-लोक निर्माण कार्य-आवासीय भवनों का मरम्मत एवं रखरखाव (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,95.42 लाख एवं ₹ 1,92.80 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 35,00.00 लाख एवं ₹ 22,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2059-80.001.03- भवन निर्माण अधीक्षण (गैर-योजना)	मूल	6,74.04	4,60.22	4,60.22	0.00	₹ 2,13.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,13.82				
2059-80.001.04- भवन निर्माण (कार्य सम्पादन) (गैर-योजना)	मूल	44,64.69	30,52.36	30,52.36	0.00	नये अवर सचिव, उप सचिव और नव नियुक्त सहायकों का भुगतान हेतु ₹ 70.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 13,59.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	17.50				
	पुनर्वि.	(-)14,29.83				
2059-80.001.05- निरूपण (गैर-योजना)	मूल	3,13.13	1,82.55	1,82.55	0.00	₹ 1,33.08 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	2.50				
	पुनर्वि.	(-)1,33.08				
2059-80.001.06- निर्देशन-एच.ई.सी. से लिए गए सचिवालय भवन एवं अन्य भवनों पर व्यय (गैर-योजना)	मूल	2,00.00	1,62.47	1,62.47	0.00	जैप-आई.टी. से कम्प्यूटर ऑपरेटर को मानदेय के भुगतान हेतु ₹ 8.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 29.53 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.53				

अनुदान संख्या-3 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2059-80.001.11- निदेशन-उद्यान संधारण (गैर-योजना)	मूल	3,00.00	2,17.73	2,17.73	0.00	वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रण बी.एन.पी.एल. और विभागीय टेलीफोन बिल को भुगतान हेतु ₹ 3.15 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 79.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)82.27				

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2059-80.053.06- नगर निगम एवं नगर पालिका कर (गैर-योजना)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				

पूंजी :

- (5) ₹ 1,31,99.06 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 40,44.00 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 20,00.00 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 50,13.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,10,57.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,32,12.76 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,31,99.06 लाख) से ₹ 13.70 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या-3 क्रमशः

- (7) शीर्ष 4059-01.796.58-कार्यालय भवन/परिसदन भवन (योजना) एवं 4216-01.796.14- सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण (योजना) के अन्तर्गत ₹ 4,98.28 लाख एवं ₹ 1,14.86 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 1,56,00.00 लाख एवं ₹ 73,13.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4059-01.051.39- कोर्ट भवन/ आवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश- 75: राज्यांश-25) (योजना)	मूल	24,35.20	11,55.86	11,55.86	0.00	₹ 12,79.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,79.34				
4059-01.051.48- प्रशिक्षण/निरूपण/गुण नियंत्रण प्रयोगशाला/ परामर्शी शुल्क (योजना)	मूल	5,00.00	15.42	14.55	(-)0.87	₹ 4,84.58 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,84.58				
4059-01.051.58- कार्यालय भवन/ परिसदन भवन (योजना)	मूल	94,12.00	65,29.23	64,83.75	(-)45.48	₹ 29,28.25 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28,82.77				
4059-01.796.48- प्रशिक्षण/निरूपण/गुण नियंत्रण प्रयोगशाला/ परामर्शी शुल्क (योजना)	मूल	5,00.00	1,61.60	1,59.86	(-)1.74	₹ 3,38.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,38.40				
4216.01.106.03- लोक निर्माण- कार्य-राज्य में भवन सम्बन्धी लघु निर्माण-कार्य (गैर-योजना)	मूल	3,00.00	1,68.49	1,63.84	(-)4.65	₹ 1,36.16 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,31.51				

अनुदान-3 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4216-01.700.14- सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण (योजना)	मूल	30,00.00	11,13.26	11,13.26	0.00	₹ 18,86.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,86.74				

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4059-01.051.39- कोर्ट भवन/आवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश-75: राज्यांश-25) (के.प्रा.यो.)	मूल	36,52.80	0.00	0.00	0.00	₹36,52.80 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36,52.80				
4059-01.796.39- कोर्ट भवन/आवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश- 75: राज्यांश-25) (योजना)	मूल	18,26.40	0.00	0.00	0.00	₹18,26.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,26.40				

**अनुदान संख्या 4 - मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2013-मंत्रिपरिषद्, 2052- सचिवालय - सामान्य सेवाएं, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2205-कला एवं संस्कृति)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	35,52,45	55,37,08	43,54,12	(-)11,82,96
अनुपूरक	19,84,63			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

11,96,45

टीका एवं टिप्पणी:

- (1) ₹11,82.96 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 2,01.84 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 13,85.30 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 3,97.49 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 19,84.63 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 11,96.45 लाख) , अंतिम बचत (₹ 11,82.96 लाख) से ₹ 13.49 लाख अधिक था।
- (3) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2013-00.101.01- मंत्रिगण (गैर-योजना)	मूल	10,79.30	6,85.14	6,83.67	(-)1.47	₹ 3,94.16 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,94.16				
2052-00.090.01- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (मुख्यमंत्री का सचिवालय) (गैर-योजना)	मूल	4,15.83	4,86.53	4,86.53	0.00	₹ 61.30 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 9.55 लाख की बचत मितव्ययिता के कारण हुई थी। ₹ 51.75 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	1,32.00				
	पुनर्वि.	(-)61.30				

अनुदान-4 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.090.24- मंत्रिमंडल सचिवालय (समन्वय एवं प्रोटोकॉल) (गैर-योजना)	मूल	4,68.05	4,60.99	4,60.84	(-)0.15	₹1,75.02 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	1,67.96				
	पुनर्वि.	(-)1,75.02				
2052-00.090.25- मंत्रिमंडल सचिवालय (मुख्य सचिव, सचिवालय) (गैर-योजना)	मूल	1,67.97	1,48.42	1,48.42	0.00	₹58.55 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹18.93 लाख की बचत आर्थिक मितव्ययिता (₹13.99 लाख) एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण (₹4.94 लाख) के कारण हुई थी। ₹39.62 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	39.00				
	पुनर्वि.	(-)58.55				
2070-00.115.01- राज्य अतिथि गृह (गैर-योजना)	मूल	2,00.07	1,22.87	1,22.87	0.00	₹77.20 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)77.20				
2070-00.115.02- झारखंड भवन-स्थापना (गैर-योजना)	मूल	6,20.69	5,67.87	5,61.07	(-)6.80	₹ 90.05 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	30.43				
	पुनर्वि.	(-)83.25				
2070-00.800.04- पूर्व मुख्यमंत्री एवं उनके निजी कर्मियों को सुविधाएँ (गैर-योजना)	मूल	1,91.58	1,62.48	1,51.30	(-)11.18	₹ 56.06 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	15.78				
	पुनर्वि.	(-)44.88				
2070-00.800.11- झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह (गैर-योजना)	मूल	1,00.00	9,08.58	9,08.58	0.00	₹ 1,91.42 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	10,00.00				
	पुनर्वि.	(-)1,91.42				

विनियोग संख्या- 5- राज्यपाल सचिवालय

(मुख्य शीर्ष- 2012- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक)

राजस्व:

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	8,76,10	9,46,50	7,30,13	(-)2,16,37
अनुपूरक	70,40			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

2,16,36

टीका और टिप्पणियाँ :

- (1) ₹ 2,16.37 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 40.00 लाख) तथा नवम्बर 2016 (₹ 30.40 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 70.40 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2012-03.090.01- सचिवालय स्थापना (गैर-योजना)	मूल	4,83.63	3,91.91	3,91.97	+0.06	₹ 1,07.66 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	16.00				
	पुनर्वि.	(-)1,07.72				
2012-03.103.01- राज्यपाल का घरेलु स्थापना (गैर-योजना)	मूल	2,29.73	1,73.97	1,67.53	(-)6.44	₹ 62.20 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)55.76				
2012-03.103.05- बाग एवं उद्यान (गैर-योजना)	मूल	49.41	57.13	63.60	+6.47	₹ 15.81 लाख की निवल बचत के कारण ों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	30.00				
	पुनर्वि.	(-)22.28				

विनियोग संख्या-5 क्रमांत

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2012-03.105.01- अन्य प्रभार (चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति) (गैर-योजना)	मूल	21.58	6.64	6.43	(-)0.21	₹ 15.15 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14.94				

विनियोग संख्या- 6- मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2015-निर्वाचन)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	53,19,04	71,58,07	67,25,23	(-)4,32,84
अनुपूरक	18,39,03			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

4,32,84

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) ₹ 4,32.84 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 17,85.53 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 53.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 18,39.03 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) शीर्ष 2015-00.102.01- मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹1,29.65 लाख की बचत, जो कि ₹ 13,02.78 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2015-00.108.02- मतदाता पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय (गैर-योजना)	मूल	4,00.00	1,54.66	1,54.66	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)2,45.34			
₹ 2,45.34 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।					

विनियोग संख्या- 7- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2070- अन्य प्रशासनिक सेवा)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	18,44,22	20,19,65	19,48,65	(-)71,00
अनुपूरक	1,75,43			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

71,80

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) ₹ 71.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 2.81 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 1,56.73 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 15.89 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,75.43 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2070-00.104.03- तकनीकी निरीक्षण कक्ष (गैर-योजना)	मूल	2,01.44	1,47.25	1,47.55	₹ 54.72 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण के कारण हुई थी। ₹1.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	1.53			
	पुनर्वि	(-)55.72			

विनियोग संख्या- 8- परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 3053-नागर विमानन, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	19,39,86	19,51,86	17,69,69	(-)1,82,17
अनुपूरक	12,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

1,65,92

पूंजी :

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,00,00,00	2,39,47,61	2,03,13,51	(-)36,34,10
अनुपूरक	1,39,47,61			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

36,34,10

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹1,82.17 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2016 (₹ 1.50 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹10.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 12.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,65.92 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,82.17 लाख) से ₹ 16.25 लाख कम था।

अनुदान संख्या-8 क्रमांत

(3) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2070-00.114.01- सरकारी वायुयानों का अनुरक्षण (गैर-योजना)	मूल	16,10.08	14,76.26	14,62.76	(-)13.50	₹1,42.82 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	9.00				
	पुनर्वि	(-)1,42.82				

पूँजी:

(4) ₹36,34.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2016 (₹27,40.98 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹1,12,06.63 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,39,47.61 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(5) बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5053-02.102.07- देवघर विमानपलन, देवघर के विस्तारिकरण हेतु भूमि अधिग्रहण (योजना)	मूल	83,00.00	1,67,65.65	1,67,65.65	0.00	₹ 27,40.98 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	1,12,06.63				
	पुनर्वि	(-)27,40.98				
5053-02.796.05- विभिन्न जिलों के मुख्यालयों के लिए रनवे का निर्माण एवं विस्तार (योजना)	मूल	8,00.00	1,07.57	1,07.57	0.00	₹6,92.43 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि	(-)6,92.43				
5053-80.796.03- उड़ान एकेडमी, दुमका की स्थापना (योजना)	मूल	4,95.00	2,99.00	2,99.00	0.00	₹1,96.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि	(-)1,96.00				

अनुदान संख्या- 9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2425- सहकारिता, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 6425-सहकारिता के लिए कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,55,47,02	3,29,51,26	3,21,85,78	(-)7,65,48
अनुपूरक	1,74,04,24			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

7,65,39

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	48,53,20	48,53,20	14,52,69	(-)34,00,51
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

23,20,51

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹ 7,65.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 58,22.77 लाख) एवं नवम्बर 2016 (₹ 1,15,81.47 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,74,04.24 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या-9 क्रमशः

- (2) शीर्ष 2425-00.796.73- सहकारिता प्रभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों के मरम्मत, रख-रखाव, भवन निर्माण, आधारभूत संरचना विकास एवं अन्य उद्देश्यों के लिए अनुदान (योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,43.85 लाख की बचत, जो कि ₹ 51,27.95 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान की 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2425-00.108.01- विशेष सहकारी समितियों के विनिर्माण एवं देख-रेख (गैर-योजना)	मूल	4,28.67	3,66.33	3,66.33	0.00	₹ 62.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.53				
	पुनर्वि.	(-)62.87				
2425-00.108.73- सहकारिता प्रभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों के मरम्मत, रख-रखाव, भवन-निर्माण, आधारभूत संरचना विकास एवं अन्य उद्देश्यों के लिए अनुदान (योजना)	मूल	1,59.00	60.13	60.13	0.00	₹ 98.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)98.87				
2425-00.789.73- सहकारिता विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों के मरम्मत, रख-रखाव, भवन निर्माण, आधारभूत संरचना विकास एवं अन्य उद्देश्यों के लिए अनुदान (योजना)	मूल	1,06.00	39.84	39.84	0.00	₹ 66.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)66.16				

अनुदान संख्या-9 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
3451-00.090.05- सहकारिता विभाग (गैर-योजना)	मूल	2,66.91	2,22.98	2,22.98	0.00	₹ 45.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	1.08				
	पुनर्वि.	(-)45.01				

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2425-00.108.71- सहकारिता सेक्टर में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के लिए अनुदान (योजना)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				
2425-00.796.71- सहकारिता सेक्टर में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के लिए अनुदान (योजना)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
2425-00.796.72- सहकारिता संबंधित क्रिया-कलापों के उत्क्रमण हेतु सूचना, सेमिनार मोनेटरिंग, मुल्यांकन एवं प्रलेख-संबंधी कार्य आदि के लिए अनुदान (योजना)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				

अनुदान संख्या-9 क्रमांत

पूँजी :

- (4) अभ्यर्पित प्रावधान (₹23,20.51 लाख), अंतिम बचत (₹34,00.51 लाख) से ₹ 10,80.00 लाख कम था।
- (5) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4425-00.108.16- इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कम्प्युटरीकरण, आधुनिकीकरण पर पूँजीगत व्यय (योजना)	मूल	12,30.00	2,10.00	2,10.00	0.00	₹ 10,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,20.00				
4425-00.789.16- इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कम्प्युटरीकरण आधुनिकीकरण पर पूँजीगत व्यय (योजना)	मूल	8,20.00	1,40.00	1,40.00	0.00	₹ 6,80.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,80.00				
4425-00.796.16- इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कम्प्युटरीकरण आधुनिकीकरण पर पूँजीगत व्यय (योजना)	मूल	20,50.00	14,30.00	3,50.00	(-)10,80.00	₹ 17,00.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,20.00				

अनुदान संख्या- 10- ऊर्जा विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2801- बिजली, 2810- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 6801- बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	7,33,71,47	19,60,64,87	17,88,39,15	(-)1,72,25,72
अनुपूरक	12,26,93,40			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

1,72,25,72

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	15,43,25,00	15,43,25,00	12,28,76,00	(-)3,14,49,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

3,14,49,00

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 1,72,25.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2016 (₹ 5,00,12.40 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 4,25,35.00 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 3,01,46.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 12,26,93.40 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या-10 क्रमशः

(2) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2801-80.800.08- परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) - एनर्जी एफिशिएन्सी कन्जरवेशन/परामर्शी एवं अन्य कार्य (योजना)	मूल	30,00.00	4,97.53	4,97.53	0.00	₹ 50,04.47 लाख की प्रत्याशित बचत मित्तव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	25,02.00				
	पुनर्वि.	(-)50,04.47				
2810-00.101.02- नवीन और नवीकरण ऊर्जा स्रोत हेतु ज़ेडा को सहायक अनुदान (चालू योजना) (योजना)	मूल	45,00.00	15,55.20	15,55.20	0.00	₹ 29,44.80 लाख की प्रत्याशित बचत विपत्रों के पारित नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)29,44.80				
2810-00.789.02- नवीन और नवीकरण ऊर्जा स्रोत हेतु ज़ेडा को सहायक अनुदान (चालू योजना) (योजना)	मूल	37,50.00	12,96.00	12,96.00	0.00	₹ 24.54.00 लाख की प्रत्याशित बचत विपत्रों के पारित नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24,54.00				
2810-00.796.02- नवीन और नवीकरण ऊर्जा स्रोत हेतु ज़ेडा को सहायक अनुदान चालू योजना (योजना)	मूल	67,50.00	23,32.80	23,32.80	0.00	₹ 44,17.20 लाख की प्रत्याशित बचत विपत्रों के पारित नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)44,17.20				

अनुदान संख्या-10 क्रमशः

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2801-80.101.02- झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग को अनुदान (गैर-योजना)	मूल	3,26.03	0.00	0.00	0.00	₹ 3,26.03 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,26.03				
2801-80.796.10- जे.एस.ई.आर. सी. को नये भवन निर्माण हेतु सहायक अनुदान (योजना)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
2801-80.800.09- परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित)-स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर हेतु अनुदान (योजना)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				

अनुदान संख्या-10 क्रमशः

पूँजी :

(4) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6801-00.789.37- झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को संचार हेतु ऋण (योजना)	मूल	80,16.00	67,03.08	67,03.08	0.00	₹ 13,12.92 लाख की प्रत्याशित बचत मित्तव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,12.92				
6801-00.796.37- झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को संचार हेतु ऋण (योजना)	मूल	1,73,68.00	1,45,23.34	1,45,23.34	0.00	₹ 28,44.66 लाख की प्रत्याशित बचत मित्तव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28,44.66				
6801-00.800.37- झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को संचार हेतु ऋण (योजना)	मूल	4,14,16.00	3,46,32.58	3,46,32.58	0.00	₹ 67,83.42 लाख की प्रत्याशित बचत मित्तव्ययिता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)67,83.42				

(5) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6801-00.201.24- प्रदूषण नियंत्रण उपाय (योजना)	मूल	80,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 80,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट करणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80,00.00				

अनुदान संख्या-10 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6801-00.202.01- कोल्ड ब्लॉक एवं पावर प्लान्ट-नई योजना (योजना)	मूल	75,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 75,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75,00.00				
6801-00.789.34- समेकित बिजली विकास योजना (आई.पी.डी.एस.) (योजना)	मूल	6,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 6,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				
6801-00.796.34- समेकित बिजली विकास योजना (आई.पी.डी.एस.) (योजना)	मूल	13,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 13,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,00.00				
6801-00.800.34- समेकित बिजली विकास योजना (आई.पी.डी.एस.) (योजना)	मूल	31,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 31,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31,00.00				

अनुदान संख्या- 11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2039- राज्य उत्पाद शुल्क, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, 3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	24,38,76	24,57,83	17,83,07	(-)6,74,76
अनुपूरक	19,07			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

6,73,64

पूंजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	15,00,00	30,00,00	10,00,00	(-)20,00,00
अनुपूरक	15,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

20,00,00

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹ 6,74.76 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 1.07 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 18.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 19.07 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या-11 क्रमशः

(2) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो। मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2039-00.001.02- जिला प्रभार (गैर-योजना)	मूल	19,52.19	14,22.60	14,21.49	(-)1.11	₹ 5,30.59 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	1.00				
	पुनर्वि.	(-)5,30.59				
2039-00.001.04- अधीक्षण (गैर-योजना)	मूल	3,69.52	2,49.66	2,49.66	0.00	₹ 1,21.33 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	1.47				
	पुनर्वि.	(-)1,21.33				
2052-00.092.07- स्टाम्प, निबंधन और उत्पाद महानिरीक्षक (गैर-योजना)	मूल	1,12.05	1,11.93	1,11.93	0.00	₹ 16.72 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	16.60				
	पुनर्वि.	(-)16.72				

पूँजी

(3) ₹ 20,00.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 15,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(4) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	वास्तविक (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4047-00.796.07- राज्य उत्पाद भवन का निर्माण (योजना)	मूल	0.00	10,00.00	10,00.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	15,00.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

अनुदान संख्या-11 क्रमांत

(5) निम्नलिखित मामले में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4047-00.796.05- राज्य उत्पाद भवन का निर्माण (योजना)	मूल	15,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 15,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,00.00				

अनुदान संख्या- 12- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 7610-सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	57,80,92	62,40,37	42,93,37	(-) 19,47,00
अनुपूरक	4,59,45			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 22,57,96

(फरवरी 2017 : 1,00,00

मार्च 2017 : 21,57,96)

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	74,40,00	74,40,00	52,46,44	(-)21,93,56
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 22,05,72

(मार्च 2017)

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(1) ₹ 19,47.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 3,12.00 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 70.10 लाख) और जनवरी 2017 (₹ 77.35 लाख) में प्राप्त किया ₹ 4,59.45 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 22,57.96 लाख), अंतिम बचत (₹ 19,47.00 लाख) से ₹ 3,10.96 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या-12 क्रमशः

(3) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.090.10- सामान्य भविष्य निधि स्थापना (मुख्यालय) (गैर-योजना)	मूल	79.65	68.53	68.53	0.00	₹15.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	4.35				
	पुनर्वि.	(-)15.47				
2052-00.090.34- वित्त (वित्तीय नीति एवं विश्लेषण कोषांग) (गैर-योजना)	मूल	45.00	53.63	53.63	0.00	₹23.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	32.50				
	पुनर्वि.	(-)23.87				
2052-00.090.39- भविष्य निधि अंशदायी पेंशन योजना (गैर-योजना)	मूल	4,00.00	2,51.13	2,51.13	0.00	₹1,48.87 लाख का प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,48.87				
2052-00.090.42- आई.एफ.एम.एस. का क्रियान्वयन (गैर-योजना)	मूल	11,18.51	32.66	32.66	0.00	अनुमोदित प्रस्ताव तथा भविष्य की आवश्यकताओं से संबंधित विपत्रों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण ₹23.10 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹10,62.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,85.85				
2052-00.092.05- राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण स्थापना-मुख्यालय प्रभार (गैर-योजना)	मूल	1,63.72	1,39.74	1,39.74	0.00	₹24.08 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.10				
	पुनर्वि.	(-)24.08				

अनुदान संख्या-12 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.092.06- राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण-जिला प्रशासन (गैर-योजना)	मूल	8,76.10	6,47.22	6,47.22	0.00	₹2,28.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,28.88				
2052-00.092.21- राज्य वित्त आयोग (गैर-योजना)	मूल	77.86	46.63	46.63	0.00	₹31.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31.23				
2054-00.095.01- भविष्य निधि लेखा की रखरखाव (गैर-योजना)	मूल	2,74.05	2,71.08	2,71.08	0.00	₹68.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	65.50				
	पुनर्वि.	(-)68.47				
2054-00.097.01- कोषागार एवं अन्य उप-कोषागार (गैर-योजना)	मूल	12,13.17	9,61.18	9,61.18	0.00	₹2,56.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	5.00				
	पुनर्वि.	(-)2,56.99				
2058-00.103.02- झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय (गैर-योजना)	मूल	2,81.06	1,44.61	1,44.61	0.00	₹1,36.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,36.45				
2070-00.800.13- असंगत शीर्ष के अन्तर्गत कटौती/ सुसंगत शीर्ष में अधिक कटौती की राशि की वापसी (गैर-योजना)	मूल	0.00	2.02	0.03	(-)1.99	₹49.97 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	(-)47.98				

अनुदान संख्या-12 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2070-00.800.09- उग्रवादी घटनाओं में मारे गए/घायल कर्मी/ग्रामीण पुलिस/गृह रक्षकों को विशेष अनुग्रह अनुदान (गैर-योजना)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	गलत उपशीर्ष की रचना के कारण ₹1,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	1,00.00				
	पुनर्वि.	(-1,00.00)				

(5) निम्नलिखित मामले में व्यय, बिना बजट प्रावधान के किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2075-00.791.01- विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के लिए सरकार को भुगतान (गैर-योजना)	मूल	0.00	0.00	3,10.96	+3,10.96	₹ 3,10.96 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान के किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-12 क्रमशः

पूँजी :

- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 22,05.72 लाख), अंतिम बचत (₹ 21,93.56 लाख) से ₹ 12.16 लाख अधिक था।
- (7) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
7610-00.202.01- सरकारी सेवकों को मोटर कार खरीदने हेतु अग्रिम (गैर-योजना)	मूल	10,00.00	5,15.57	5,40.73	+25.16	₹ 4,84.43 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 25.16 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,84.43				
7610-00.202.02- सरकारी सेवकों को मोटर साईकल खरीदने हेतु अग्रिम (गैर-योजना)	मूल	1,00.00	14.76	14.76	0.00	₹85.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)85.24				
7610-00.202.03- मंत्री इत्यादि को मोटर गाड़ी क्रय करने हेतु अग्रिम (गैर-योजना)	मूल	40.00	24.50	24.50	0.00	₹ 15.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15.50				
7610-00.202.04- विधान मंडल के सदस्यों को मोटर गाड़ी क्रय करने के लिए अग्रिम (गैर-योजना)	मूल	8,00.00	1,79.10	1,79.10	0.00	₹6,20.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,20.90				

अनुदान संख्या-12 क्रमांत

(8) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
7610-00.201.02- अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम (गैर-योजना)	मूल	10,00.00	15.00	0.00	(-)15.00	₹ 10,00.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,85.00				

विनियोग संख्या- 13- ब्याज संदाय

(मुख्य शीर्ष- 2049-ब्याज अदायगियाँ)

राजस्व :

प्रभारित:

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	41,80,42,51	44,42,64,51	41,72,25,13	(-)2,70,39,38
अनुपूरक	2,62,22,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

4,13,43,95

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) ₹ 2,70,39.38 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए अगस्त 2016 (₹ 2,56,51.00 लाख) एवं नवम्बर 2016 (₹ 5,71.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,62,22.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,13,43.95 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,70,39.38 लाख) से ₹ 1,43,04.57 लाख अधिक था।
- (3) बचत (₹ 30.00 लाख) अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2049-01.200.02- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिए गए कर्ज पर ब्याज (गैर-योजना)	मूल	3,85,00.00	2,75,38.26	2,75,38.26	0.00	₹ 1,09,61.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,09,61.74				
2049-01.200.08- आवास एवं नगर विकास निगम से लिए गए ऋण पर ब्याज (गैर-योजना)	मूल	80,00.00	47,43.27	47,43.27	0.00	₹ 32,56.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32,56.73				

विनियोग संख्या-13 क्रमशः

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2049-01.200.11- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सी.) से लिए गये कर्ज पर ब्याज (गैर-योजना)	मूल	74,00.00	53,40.98	53,40.98	0.00	₹ 20,59.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,59.02				
2049-03.104.01- सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज (गैर-योजना)	मूल	2,50,00.00	2,50,00.00	2,23,12.70	(-)26,87.30	₹ 26,87.30 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-04.104.03- अन्य गैर-योजना मद के कर्जे पर ब्याज (गैर-योजना)	मूल	4,50.00	4,50.00	2,27.56	(-)2,22.44	₹ 2,22.44 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-04.109.01- 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्त अनुसार समेकित राज्य आयोजन कर्जों पर ब्याज (गैर-योजना)	मूल	1,04,00.00	1,04,00.00	78,71.64	(-)25,28.36	₹ 25,28.36 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-60.701.03- विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज (गैर-योजना)	मूल	5,00.00	5,00.00	39.51	(-)4,60.49	₹ 4,60.49 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

विनियोग संख्या-13 क्रमशः

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2049-60.701.06- वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान के विलम्ब से भुगतान पर देय ब्याज (गैर-योजना)	मूल	2,00.00	2,00.00	66.33	(-)1,33.67	₹ 1,33.67 लाख की अंतिम बचत कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-60.701.07- विविध वचनबद्धता पर ब्याज भुगतान (गैर-योजना)	मूल	0.00	6,50.00	1.94	(-)6,48.06	₹ 6,48.06 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	6,50.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2049-01.200.10- पावर बांड-ब्याज भुगतान (गैर-योजना)	मूल	1,14.48	1,14.48	0.00	(-)1,14.48	₹ 1,14.48 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-01.200.14- पावर बांड / विशेष बांड (गैर-योजना)	मूल	0.00	2,50,00.00	0.00	(-)2,50,00.00	₹ 2,50,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	2,50,00.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-03.104.02- ए.आई.एस. भविष्य निधि पर ब्याज (गैर-योजना)	मूल	2,50.00	2,50.00	0.00	(-)2,50.00	₹ 2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

विनियोग संख्या-13 क्रमांत

- (5) शीर्ष 2049-01.123.01-राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि द्वारा निर्गत विशेष प्रतिभूति पर ब्याज (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 42,85.77 लाख के अंतिम अधिक व्यय, जो कि ₹ 9,25,03.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे अधिक व्यय मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2049-01.305.01- पुराने ऋणों से संबंधित व्यय (गैर-योजना)	मूल	3,00.00	3,00.00	7,75.45	+4,75.45	₹4,75.45 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-04.101.03- ऋण ब्लॉक (गैर-योजना)	मूल	33,00.00	33,00.00	37,50.84	+4,50.84	₹ 4,50.84 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-60.701.01- अंतरिम भुगतान (गैर-योजना)	मूल	1,00.00	1,00.00	6,16.75	+5,16.75	₹5,16.75 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

- (6) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2049-01.101.01- राज्य विकास ऋण ब्याज देय (गैर-योजना)	मूल	23,03,01.00	20,53,01.00	24,59,26.47	+4,06,25.47	₹ 2,50,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 4,06,25.47 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50,00.00				

विनियोग संख्या- 14- ऋण की वापसी/अदायगी

(मुख्य शीर्ष- 2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन, 6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण, 6004-केन्द्रिय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम)

राजस्व:

प्रभारित :

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,00,00,00	2,00,00,00	0,00	(-)2,00,00,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

2,00,00,00

पूँजी:

प्रभारित :

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	20,67,16,36	20,67,46,36	20,77,88,30	+10,41,94
अनुपूरक	30,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

34,57,17

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(1) निम्नलिखित मामले में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2048-00.101.01- निक्षेप निधि में योगदान (गैर-योजना)	मूल	2,00,00,00	0.00	0.00	₹ 2,00,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)2,00,00.00			

विनियोग संख्या-14 क्रमशः

पूँजी :

- (2) विनियोग से ₹ 10,41,93,904; अधिक व्यय हुआ, अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है।
- (3) ₹ 10,41.94 लाख के अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, प्रत्याशित बचत के रूप में ₹ 34,57.17 लाख का अभ्यर्पण अनौचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ।
- (4) अधिक व्यय (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6003-00.111.01- राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति (गैर-योजना)	मूल	6,31,14.65	6,31,14.65	7,33,14.25	+1,01,99.60	₹ 1,01,99.60 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

- (5) शीर्ष 6003-00.105.01-नाबार्ड के अन्तर्गत आर.आई.डी.एफ. से प्राप्त ऋण के मूलधन वापसी (गैर-योजना) एवं 6003-00.109.08-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सी.) के लिए कर्जे (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 10,74.30 लाख एवं ₹ 57.52 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 6,00,00.00 लाख एवं ₹ 78,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6003-00.106.02- जमीन्दारी उन्मूलन हेतु क्षतिपूरक बंध पत्र (गैर-योजना)	मूल	3,00.00	3,00.00	0.07	(-)2,99.93	₹ 2,99.93 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
6003-00.108.01- सहकारिता विभाग (गैर-योजना)	मूल	15,00.00	12,26.57	12,26.57	0.00	₹ 2,73.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,73.43				

अनुदान संख्या-14 क्रमांत:

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6003-00.109.01- हुडको से कर्ज (गैर-योजना)	मूल	1,00,00.00	79,71.68	79.71.68	0.00	₹ 20,28.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,28.32				
6004-02.101.01- 1989-90 से प्राप्त ब्लॉक कर्जे (गैर-योजना)	मूल	78,81.25	78,81.25	50.51.81	(-)28,29.44	₹ 28,29.44 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
6004-02.105.01- राज्य योजना संचित ऋण (12वें वित्त आयोग) (गैर-योजना)	मूल	1,25,94.63	1,25,94.63	1,04,95.52	(-)20,99.11	₹ 20,99.11 लाख की अंतिम बचत के कारण ों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(6) निम्नलिखित मामले में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6003-00.106.03- विद्युत पर्षद के बकाया के विरुद्ध जारी पावर बॉण्ड्स का भुगतान (गैर-योजना)	मूल	4,72.00	4,72.00	0.00	(-)4,72.00	₹ 4,72.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या- 15- पेंशन

(मुख्य शीर्ष- 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	47,89,67,00	47,89,67,00	41,35,29,04	(-)6,54,37,96
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यार्पित नहीं किया गया था।
- (2) शीर्ष 2071-01.101.06-15.11.2000 के बाद पेंशन पानेवाले को भुगतान (गैर योजना) एवं 2071-01.105.05-15.11.2000 के बाद परिवारिक पेंशन पानेवालों को भुगतान (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 58,84.74 लाख एवं ₹ 1,77.45 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 28,00,00.00 लाख एवं ₹ 1,25,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2071-01.101.05-15.11.2000 से पूर्व पेंशन पानेवालों को भुगतान (गैर-योजना)	मूल	25,00.00	25,00.00	4,41.77	(-)20,58.23	₹ 20,58.23 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.101.08-पुनरीक्षण के फलस्वरूप 15.11.2000 के बाद का बकाया पेंशन (गैर-योजना)	मूल	12,00.00	12,00.00	4.32	(-)11,95.68	₹11,95.68 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-15 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2071-01.101.09- बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावध नों के अनुसार पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभों के दायित्वों का बँटवारा के तहत बिहार को भुगतान (गैर-योजना)	मूल	50,00.00	50,00.00	13,65.00	(-)36,35.00	₹36,35.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.101.10- सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए स्थानान्तरण अनुदान एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता (गैर-योजना)	मूल	15,00.00	15,00.00	5,13.24	(-)9,86.76	₹9,86.76 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.102.03- 15.11.2000 के पूर्व पेंशन का रूपान्तरित मूल्य (गैर-योजना)	मूल	40,00.00	40,00.00	23,89.44	(-)16,10.56	₹16,10.56 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.102.04- 15.11.2000 के बाद पेंशन का रूपान्तरित मूल्य (गैर-योजना)	मूल	3,00,00.00	3,00,00.00	1,35,74.21	(-)1,64,25.79	₹1,64,25.79 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.104.03- 15.11.2000 के बाद का उपादान (गैर-योजना)	मूल	50,00.00	50,00.00	32,14.77	(-)17,85.23	₹17,85.23 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-15 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2071-01.104.04-15.11.2000 के बाद का उपादान (गैर-योजना)	मूल	5,50,00.00	5,50,00.00	4,14,84.95	(-)1,35,15.05	₹1,35,15.05 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.105.03-1984 के दंगा पीड़ित परिवारों को पुनर्वास पैकेज के तहत मृत/लापता व्यक्तियों के आश्रितों को पेंशन प्रदान (गैर-योजना)	मूल	2,50.00	2,50.00	1.52	(-)2,48.48	₹2,48.48 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.105.04-15.11.2000 के पूर्व का पारिवारिक पेंशन (गैर-योजना)	मूल	8,00.00	8,00.00	6,11.53	(-)1,88.47	₹1,88.47 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.105.06-झारखंड/वनांचल अलग राज्य के गठन हेतु आंदोलनकारियों/आश्रितों को पेंशन (गैर-योजना)	मूल	3,60.00	3,60.00	69.85	(-)2,90.15	₹2,90.15 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.106.03-15.11.2000 के बाद पेंशनधारियों को चिकित्सा भत्ता (गैर-योजना)	मूल	80.00	80.00	24.30	(-)55.70	₹55.70 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-15 क्रमांक:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2071-01.115.02- 15.11.2000 के पूर्व सेवानिवृत्त/ मृत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को भुगतेय अव्यवहृत अर्जित अवकाश (गैर-योजना)	मूल	50,00.00	50,00.00	26,39.08	(-)23,60.92	₹23,60.92 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.115.03- 15.11.2000 के बाद सेवा निवृत्त/ मृत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश (गैर-योजना)	मूल	4,00,00.00	4,00,00.00	3,10,18.06	(-)89,81.94	₹89,81.94 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.117.03- भविष्य निधि-अंशदायी पेंशन योजना (गैर-योजना)	मूल	3,50,00.00	3,50,00.00	2,89,44.08	(-)60,55.92	₹60,55.92 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या- 16- योजना-सह-वित्त विभाग (राष्ट्रीय बचत प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष - 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,55,47	2,55,47	2,00,98	(-)54,49
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

54,49

टीका और टिप्पणियाँ:

(1) बचत (₹10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2047-00.103.01- मुख्यालय प्रभार (गैर-योजना)	मूल	45.20	24.87	24.87	0.00	₹20.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.33				
2047-00.103.02- जिला प्रभार (अल्प बचत प्रचार सहित) (गैर-योजना)	मूल	2,10.27	1,76.11	1,76.11	0.00	₹ 34.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.16				

अनुदान संख्या- 17- वाणिज्य कर विभाग

(मुख्य शीर्ष - 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 4059- लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	66,68,86	71,46,00	51,98,13	(-)19,47,87
अनुपूरक	4,77,14			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

19,47,87

पूंजी :

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,00,00	8,00,00	22,40	(-)7,77,60
अनुपूरक	3,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

7,77,60

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

- (1) ₹ 19,47.87 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 34.85 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 33.04 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 4,09.25 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,77.14 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

विनियोग संख्या-17 क्रमशः

(2) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2040-00.001.04- अधीक्षण (गैर-योजना)	मूल	3,16.41	5,19.89	5,19.89	0.00	मुख्यतः जी.एस. टी. का अग्रिम यूजर प्रभार का भुगतान किये जाने के कारण ₹ 1,29.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹2,00.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	2,76.71				
	पुनर्वि.	(-)73.23				
2040-00.101.02- जिला प्रभार (गैर-योजना)	मूल	60,37.42	43,37.72	43,37.72	0.00	जी.एस.टी. का अग्रिम यूजर प्रभार के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता होने के कारण ₹1,28.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹17,23.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	1,52.23				
	पुनर्वि.	(-)18,51.93				

पूँजी :

(3) ₹ 7,77.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 3,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या-17 क्रमांत

(4) बचत (₹10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4059-60.796.04- प्रस्तावित चेक पोस्ट (योजना)	मूल	5,00.00	22.40	22.40	0.00	₹4,77.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,77.60				

(5) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4059-60.051.04- प्रस्तावित चेक पोस्ट (योजना)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

अनुदान संख्या- 18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

(मुख्य शीर्ष- 3451-सचिालय-आर्थिक सेवाएँ, 3456- सिविल पूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ, 4408- खाद्य, भंडारण तथा भंडागार पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	13,38,10,20	15,15,53,39	11,20,57,42	(-)3,94,95,97
अनुपूरक	1,77,43,19			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

3,94,78,80

पूंजी :

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	52,70,00	52,70,00	50,71,40	(-)1,98,60
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

1,98,60

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 3,94,95.97 लाख की वृहद अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 20,43.38 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 1,56,96.00 लाख), एवं जनवरी 2017 (₹ 3.81 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1.77,43.19 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3,94,78.80 लाख) अंतिम बचत (₹ 3,94,95.97 लाख) से ₹ 17.17 लाख कम था।

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

- (3) शीर्ष 3456-00.102.02-अंत्योदय अन्न योजना (योजना), 3456-00.102.39- पात्र कौशल योजना (योजना), 3456-00.796.02-अंत्योदय अन्न योजना (योजना) एवं 3456-00.796.39-पात्र कौशल योजना (योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,60.07 लाख, ₹ 19,41.88 लाख, ₹ 4,64.15 लाख एवं ₹ 7,46.51 लाख की बचत जो क्रमशः ₹ 43,00.00 लाख, ₹ 2,20,00.00 लाख, ₹ 91,00.00 लाख एवं ₹ 2,31,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.001.02 - जिला प्रभार (गैर-योजना)	मूल	32,65.37	24,71.44	24,71.44	0.00	₹ 7,95.93 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) बढ़े हुए वेतन पर सहमति एवं अन्य बकायों की निकासी नहीं होने (₹ 7,54.13 लाख), (ii) मितव्ययिता (₹ 20.47 लाख) तथा निधि का आबंटन नहीं होने (₹ 10.67 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	2.00				
	पुनर्वि.	(-)7,95.93				
3456-00.102.17- किरासन तेल वितरण हेतु कमीशन (योजना)	मूल	5,00.00	27.26	27.26	0.00	₹ 4,72.74 लाख की प्रत्याशित बचत कमीशन के चौथे माह से ही एक रूपये किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,72.74				
3456-00.102.20- मुद्रण (योजना)	मूल	65.00	2.24	2.24	0.00	₹ 62.76 लाख की प्रत्याशित बचत राशन कार्ड के विरुद्ध बिल का भुगतान नहीं किए जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)62.76				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.102.23- मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (योजना)	मूल	9,15.00	5,21.77	5,21.77	0.00	₹ 3,93.23 लाख की प्रत्याशित बचत कपिपय दाल-भात केन्द्रों के संचालन/ उत्परिवर्तन नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,93.23				
3456-00.102.27- कम्प्यूटरीकृत योजना (योजना)	मूल	14,00.00	6,72.16	6,72.16	0.00	₹7,27.84 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 77.84 लाख समय पर बिल अप्राप्त होने पर हुई थी। तथा ₹ 6,50.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,27.84				
3456-00.102.35- कौशल विकास योजना (नई योजना) (योजना)	मूल	3,50.00	1,14.74	1,14.74	0.00	₹ 2,35.26 लाख की प्रत्याशित बचत जनजागरण हेतु प्रसारण/ सेमिनार/ प्रचार पर अतिरिक्त खर्च नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,35.26				
3456-00.102.42 - राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम से आच्छादित एवं बी.पी.एल. परिवारों को एल.पी.जी. गैस वितरण योजना (योजना)	मूल	5,00.00	75.00	75.00	0.00	₹ 4,25.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में समाहित होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,25.00				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.102.44 - जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को डिजिटल भार-मापक यंत्र वितरण (योजना)	मूल	8,00.00	1,03.66	1,03.66	0.00	₹ 6,96.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,96.34				
3456-00.102.47- अन्त्योदय/ पूर्ववित्ता प्राप्त गृहस्थों को चीनी वितरण योजना (योजना)	मूल	1,00,00.00	84,45.08	84,45.08	0.00	₹ 15,54.92 लाख की प्रत्याशित बचत समय पर चीनी की आपूर्ति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,54.92				
3456-00.102.48 - अन्त्योदय / पूर्ववित्ता प्राप्त गृहस्थों को फ्री- फ्लो आयोडीन -युक्त नमक वितरण (योजना)	मूल	20,79.00	17,17.70	17,17.70	0.00	₹ 3,61.30 लाख की प्रत्याशित बचत विपत्रों के जमा नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,61.30				
3456-00.102.50- जन वितरण प्रणाली का सम्पूर्ण कम्प्यूटरी- करण योजना (योजना)	मूल	0.00	86.06	86.06	0.00	₹ 3,13.94 लाख की प्रत्याशित बचत समय से विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	4,00.00				
	पुनर्वि.	(-)3,13.94				
3456-00.789.02- अन्त्योदय अन्न योजना (योजना)	मूल	20,00.00	17,83.47	17,83.47	0.00	₹ 2,16.53 लाख की प्रत्याशित बचत डी. एस.डी विपत्र समय पर प्राप्त/ पारित नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,16.53				
3456-00.789.17- किरासन तेल वितरण हेतु कमीशन (योजना)	मूल	1,65.00	4.01	4.01	0.00	₹ 1,60.99 लाख की प्रत्याशित बचत कमीशन के चतुर्थ माह से ही एक रूपये किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,60.99				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.789.23- मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (योजना)	मूल	3,85.00	93.89	93.89	0.00	₹ 2,91.11 लाख की प्रत्याशित बचत कतिपय दाल-भात केन्द्रों के संचालन/ उत्परिवर्तन नहीं हो पाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,91.11				
3456-00.789.27- कम्प्यूटरीकृत योजना (योजना)	मूल	8,00.00	1,77.21	1,77.21	0.00	₹6,22.79 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 1,50.77 लाख समय पर विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹4,72.02 लाख के शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,22.79				
3456-00.789.35 - कौशल विकास योजना (नई योजना) (योजना)	मूल	1,50.00	1.14	1.14	0.00	₹1,48.86 लाख की प्रत्याशित बचत जनजागरण हेतु प्रसारण/ सेमिनार/प्रचार पर अतिरिक्त खर्च नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,48.86				
3456-00.789.39- पात्र गृहस्थ योजना (योजना)	मूल	78,00.00	62,39.45	62,39.45	0.00	₹ 15,60.55 लाख की प्रत्याशित बचत, ₹ 3,60.55 लाख अतिरिक्त निधि प्रावधान के पुनर्विनियोग नहीं होने के कारण हुई थी। ₹12,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,60.55				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.789.47- अन्त्योदय / पूर्ववित्ता प्राप्त गृहस्थों को चीनी वितरण योजना (योजना)	मूल	40,00.00	24,38.34	24,38.34	0.00	₹ 15,61.66 लाख की प्रत्याशित बचत आपूर्तिकर्ता के आदेश पर समय पर चीनी आपूर्ति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,61.66				
3456-00.789.48- अन्त्योदय / पूर्ववित्ता प्राप्त गृहस्थों को फ्री-फ्लो आयोडीनयुक्त नमक वितरण योजना (योजना)	मूल	7,92.00	4,44.95	4,44.95	0.00	₹ 3,47.05 लाख की प्रत्याशित बचत आपूर्तिकर्ता के द्वारा समय पर विपत्र जमा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,47.05				
3456-00.789.50- जन वितरण प्रणाली का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण योजना (योजना)	मूल	0.00	16.15	16.15	0.00	₹ 1,30.87 लाख की प्रत्याशित बचत समय पर विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	1,47.02				
	पुनर्वि.	(-)1,30.87				
3456-00.796.17- किरोसीन तेल वितरण हेतु कमीशन (योजना)	मूल	6,60.00	18.54	18.54	0.00	₹ 6,41.46 लाख की प्रत्याशित बचत कमीशन के चतुर्थ माह से ही एक रूपये किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,41.46				
3456-00.796.20- मुद्रण (योजना)	मूल	65.00	5.99	5.99	0.00	₹ 59.01 लाख की प्रत्याशित बचत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सफेद राशन कार्ड की छपाई का भुगतान समय पर नहीं किए जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)59.01				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.796.23 - मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (योजना)	मूल	12,00.00	7,19.42	7,19.42	0.00	₹ 4,80.58 लाख की प्रत्याशित बचत कतिपय दाल-भात केन्द्रों के संचालन / उत्परिवर्तन नहीं हो पाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,80.58				
3456-00.796.27 - कम्प्यूटरीकृत योजना (योजना)	मूल	18, 00.00	8,40.95	8,40.95	0.00	₹ 9,59.05 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 4,43.05 लाख समय पर विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हई थी। ₹ 5,10.00 लाख के शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,59.05				
3456-00.796.35 - कौशल विकास योजना (नई योजना) (योजना)	मूल	5,00.00	3,62.39	3,62.39	0.00	₹ 1,37.61 लाख की प्रत्याशित बचत जनजागरण हेतु प्रसारण/ सेमिनार/ प्रचार आदि पर अतिरिक्त खर्च नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,37.61				
3456-00.796.41 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम शिकायत निवारण (योजना)	मूल	1,40.00	7.44	7.44	0.00	₹ 1,32.56 लाख की प्रत्याशित बचत आयोग के गठन के प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,32.56				
3456-00.796.42- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा बी. पी.एल. परिवारों के एल.पी.जी. वितरण हेतु अनुदान (योजना)	मूल	7,00.00	1,08.01	1,08.01	0.00	₹ 5,91.99 लाख की प्रत्याशित बचत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में समाहित होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,91.99				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.796.44- जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को डिजिटल भार-मापक यंत्र वितरण (योजना)	मूल	9,00.00	3,88.08	3,88.08	0.00	₹ 5,11.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 5,11.92				
3456-00.796.47- अन्त्योदय / पूर्वविक्रता प्राप्त गृहस्थों को चीनी वितरण योजना (योजना)	मूल	1,15,00.00	93,69.22	93,69.22	0.00	₹ 21,30.78 लाख की प्रत्याशित बचत आपूर्ति आदेश पर आपूर्तिकर्ता द्वारा समय पर चीनी की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)21,30.78				
3456-00.789.48- अन्त्योदय / पूर्वविक्रता प्राप्त गृहस्थों को फ्री-प्लो आयोडिन युक्त नमक वितरण योजना (योजना)	मूल	26,73.00	19,05.55	19,05.55	0.00	₹ 7,67.45 लाख की प्रत्याशित बचत आपूर्तिकर्ता के द्वारा समय पर विपत्र जमा/ आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,67.45				
3456-00.796.50- जन वितरण प्रणाली का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	0.00	3,44.33	3,44.33	0.00	₹ 55.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	4,00.00				
	पुनर्वि.	(-)55.67				
3456-00.796.50- जन वितरण प्रणाली का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण योजना (योजना)	मूल	0.00	2,24.29	2,24.29	0.00	₹ 1,75.71 लाख की प्रत्याशित बचत समय पर विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	4,00.00				
	पुनर्वि.	(-)1,75.71				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3475-00.106.08- माप एवं तौल का मानकीकरण (गैर-योजना)	मूल	3,34.96	2,41.68	2,41.68	0.00	₹ 93.28 लाख की प्रत्याशित बचत न्यू पे-स्केल के वेतन निर्धारण में सम्पूष्टिकरण के अभाव में बकाये की निकासी नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)93.28				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.102.03- अन्नपूर्णा योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)	मूल	1,66.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से खाद्यान्न की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,66.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,66.00				
3456-00.102.41- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम शिकायत निवारण (योजना)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	आयोग के गठन में विलम्ब होने के कारण ₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
3456-00.102.43- मूल्य स्थिरीकरण कोष (योजना)	मूल	8,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना कर शुभारंभ नहीं होने के कारण ₹ 8,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,00.00				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.102.45- चना/दाल वितरण योजना (योजना)	मूल	60,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 60,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60,00.00				
3456-00.789.03- अन्नपुरा योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)	मूल	59.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से खाद्यान्न की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 59.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)59.00				
3456-00.789.42- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा बी.पी.एल. परिवारों को एल.पी.जी. गैस वितरण योजना (योजना)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में समाहित होने के कारण ₹ 3,00.00 को सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
3456-00.789.43- मूल्य स्थिरीकरण कोष (योजना)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना प्रारम्भ नहीं होने के कारण ₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
3456-00.789.44- जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को डिजिटल भार-मापक यंत्र वितरण (योजना)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

अनुदान संख्या-18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.789.45- चना/दाल वितरण योजना (योजना)	मूल	25,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 25,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25,00.00				
3456-00.796.03- अन्नपूर्णा योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)	मूल	2,16.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से खाद्यान्न की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 2,16.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,16.00				
3456-00.796.43- मूल्य स्थिरीकरण कोष (योजना)	मूल	9,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना का शुभारम्भ नहीं होने के कारण ₹ 9,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,00.00				
3456-00.796.45- चना/दाल वितरण योजना (योजना)	मूल	65,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 65,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65,00.00				

अनुदान संख्या-18 क्रमांत

पूँजी :

(5) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4408-02.789.01- गोदाम निर्माण/ मरम्मती योजना (योजना)	मूल	10,00.00	8,58.63	8,58.63	0.00	₹ 1,41.37 लाख की प्रत्याशित बचत भूमि की कमी के कारण भंडागार का निर्माण नहीं हो पाने के कारण हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,41.37				

अनुदान संख्या- 19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,98,31,33	6,24,34,18	4,96,03,64	(-)1,28,30,54
अनुपूरक	26,02,85			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

89,75,49

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) ₹ 1,28,30.54 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2016 (₹ 24,80.85 लाख) और जनवरी 2017 (₹ 1,22.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 26,02.85 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 89,75.49 लाख) अंतिम बचत (₹ 1,28,30.54 लाख) से ₹38,55.05 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2406-01.796.58 -अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण (योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,45.25 लाख की बचत, ₹ 44,95.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हों) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.001.01- निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)	मूल	44,36.83	44,72.48	39,82.76	₹ 4,89.72 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	35.65			
	पुनर्वि.	0.00			
2406-01.003.02- वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण (गैर-योजना)	मूल	2,46.04	2,77.91	2,15.27	₹ 62.64 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	31.87			
	पुनर्वि.	0.00			

अनुदान संख्या-19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.003.02- वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण (योजना)	मूल	3,00.00	2,37.17	2,34.34	(-)2.83	₹ 65.66 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)62.83				
2406-01.004.02- अन्य अनुसंधान (गैर-योजना)	मूल	3,83.09	3,83.09	2,97.85	(-)85.24	₹ 85.24 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-01.005.01- वन सर्वेक्षण, कार्य नियोजन शोध एवं मूल्यांकन (योजना)	मूल	3,00.00	1,87.07	1,87.07	0.00	₹ 1,12.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,12.93				
2406-01.005.12- मूल्यांकन-सह- योजना कोषांग (गैर-योजना)	मूल	3,79.12	3,79.12	3,31.38	(-)47.74	₹ 47.74 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-01.101.01- वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा (गैर-योजना)	मूल	1,04,56.21	1,02,72.20	84,20.99	(-)18,51.21	₹ 20,38.61 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	3.39				
	पुनर्वि.	(-)1,87.40				
2406-01.101.03- वन कूपों की स्थापना (गैर-योजना)	मूल	5,62.91	5,62.91	4,27.31	(-)1,35.60	₹ 1,35.60 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-01.101.06- भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना (गैर-योजना)	मूल	21,10.16	21,11.40	18,10.66	(-)3,00.74	₹ 3,00.74 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	1.24				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.101.15- वन प्रबंधन सुविधायें (योजना)	मूल	25,00.00	22,21.65	21,74.15	(-)47.50	₹ 3,25.85 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,78.35				
2406-01.101.20- वन प्रचार (योजना)	मूल	3,00.00	2,65.25	2,62.26	(-)2.99	₹ 37.74 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.75				
2406-01.101.40- सिल्विकल्चर ऑपरेशन (योजना)	मूल	0.00	16,71.18	16,62.94	(-)8.24	₹ 2,09.19 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	18,72.13				
	पुनर्वि.	(-)2,00.95				
2406-01.101.45- वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण (योजना)	मूल	3,00.00	2,80.93	2,68.77	(-)12.16	₹ 31.23 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19.07				
2406-01.101.46- इको-टूरिज्म (योजना)	मूल	8,00.00	5,90.41	5,87.87	(-)2.54	₹ 2,12.13 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,09.59				
2406-01.101.47- वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें (योजना)	मूल	7,35.00	5,55.44	5,43.15	(-)12.29	₹ 1,91.85 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,79.56				

अनुदान संख्या-19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.101.58- अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण (योजना)	मूल	41,64.26	34,99.71	34,99.75	+0.04	₹ 6,64.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,64.55				
2406-01.102.09- लघु वन पदार्थों का उन्मयन (योजना)	मूल	6,35.73	4,50.52	3,79.85	(-)70.67	₹ 2,55.88 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,85.21				
2406-01.102.55- मुख्यमंत्री जन-वन योजना (योजना)	मूल	10,00.00	5,82.52	2,62.89	(-)3,19.63	₹ 7,37.11 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,17.48				
2406-01.102.59- अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण (योजना)	मूल	29,78.90	27,38.98	25,99.32	(-)1,39.66	₹ 3,79.58 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,39.92				
2406-01.110.37- इन्टेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेन्ट (के.प्रा.यो.)	मूल	3,00.00	1,08.06	1,01.99	(-)6.07	₹ 1,98.01 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,91.94				
2406-01.110.37- इन्टेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेन्ट (योजना)	मूल	2,00.00	71.40	72.29	+0.89	₹ 1,27.71 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,28.60				
2406-01.789.09- लघु वन पदार्थों का उन्नयन (योजना)	मूल	5,55.43	5,05.63	4,65.76	(-)39.87	₹ 89.67 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)49.80				

अनुदान संख्या-19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.789.37- इंटेसीफिकेशन ऑफ फोरेस्ट मैनेजमेंट (केन्द्रांश-75: राज्यांश-25) (के.प्रा.यो.)	मूल	1,50.00	84.00	44.83	(-)39.17	₹ 1,05.17 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)66.00				
2406-01.789.37- इंटेसीफिकेशन ऑफ फोरेस्ट मैनेजमेंट (केन्द्रांश-75: राज्यांश-25)(योजना)	मूल	1,00.00	57.05	77.53	+20.48	₹ 49.95 लाख की प्रत्याशित बचत और ₹ 20.48 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42.95				
2406-01.789.59- अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण (योजना)	मूल	24,26.32	20,79.04	20,79.04	0.00	₹ 3,47.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,47.28				
2406-01.796.39- स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड (योजना)	मूल	2,39.02	1,96.42	1,98.67	+2.25	₹ 40.35 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42.60				
2406-01.800.39- स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड (योजना)	मूल	2,06.45	1,50.95	1,50.95	0.00	₹ 55.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)55.50				
2406-02.110.01- अभ्यारण्य (गैर-योजना)	मूल	10,91.68	10,91.68	9,33.21	(-)1,58.47	₹ 1,58.47 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-02.110.02- विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय वन प्रबंधन योजना (योजना)	मूल	2,20.00	62.84	62.72	(-)0.12	₹ 1,57.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,57.16				
2406-02.110.03- हाथी परियोजना (के.प्रा.यो.)	मूल	1,20.00	86.85	80.07	(-)6.78	₹ 39.93 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33.15				
2406-02.110.08- पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय (के.प्रा.यो.)	मूल	2,40.00	1,43.43	1,43.36	(-)0.07	₹ 96.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)96.57				
2406-02.110.08- पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय (योजना)	मूल	1,60.00	95.62	95.54	(-)0.08	₹ 64.38 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)64.38				
2406-02.110.22- वन्य प्राणी पर्यवास का समेकित विकास योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	1,20.00	33.54	37.35	+3.81	₹ 82.65 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)86.46				
2406-02.110.22- वन्य प्राणी पर्यवास का समेकित विकास योजना (योजना)	मूल	80.00	21.69	17.64	(-)4.05	₹ 62.36 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)58.31				

अनुदान संख्या-19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-02.110.25- अभ्यारण्य-हाथी भगाने के लिए (गैर-योजना)	मूल	80.00	80.00	35.04	(-)44.96	₹ 44.96 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.101.56- झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई (योजना)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2406-01.101.57- वनरोपण योजनाओं का स्वतंत्र एजेंसी से मूल्यांकन (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2406-01.110.49- ग्रीन इंडिया मिशन (के.प्रा.यो.)	मूल	15,65.65	0.00	0.00	0.00	₹15,65.65 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,65.65				
2406-01.110.49- ग्रीन इंडिया मिशन (योजना)	मूल	10,43.77	0.00	0.00	0.00	₹10,43.77 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,43.77				

अनुदान संख्या-19 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.110.51- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (के.प्रा.यो.)	मूल	4,29.50	0.00	0.00	0.00	₹ 4,29.50 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,29.50				
2406-01.110.51- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (योजना)	मूल	2,86.33	0.00	0.00	0.00	₹ 2,86.33 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,86.33				
2406-01.789.51- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (के.प्रा.यो.)	मूल	2,10.09	0.00	0.00	0.00	₹ 2,10.09 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,10.09				
2406-01.789.51- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (योजना)	मूल	1,40.05	0.00	0.00	0.00	₹ 1,40.05 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,40.05				
2406-04.101.01- जाईका-ओ.डी.ए. संपोषित प्रोजेक्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ लाइवलिहुड एवं फॉरेस्ट्री फॉर इकोलोजिकल (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

अनुदान संख्या- 20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ, 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	24,04,56,92	26,64,64,37	19,57,38,21	(-)7,07,26,16
अनुपूरक	2,60,07,45			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 7,45,92,49

(दिसम्बर 2016 : 5,50,00

मार्च 2017 : 7,40,42,49)

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,45,10,27	7,33,06,85	5,11,54,63	(-)2,21,52,22
अनुपूरक	87,96,58			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 2,21,66,88

(मार्च 2017)

टीका और टिप्पणियाँ

राजस्व :

(1) ₹ 7,07,26.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 24,56.52 लाख) नवम्बर 2016 (₹ 1,19,97.24 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 1,15,53.69 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,60,07.45 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7,45,92.49 लाख) अंतिम बचत (₹ 7,07,26.16 लाख) से ₹ 38,66.33 लाख अत्यधिक था।

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2210-01.103.39- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) (के.प्रो.यो.), 2210-01.796.43- विभिन्न अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों (मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थान/कार्यालयों आयुष सहित) हेतु मशीन उपकरण, फर्नीचर, उपस्कार, दवा सामग्रियों का क्रय (योजना) एवं 2210-03.101.02-स्वास्थ्य उप-केन्द्र (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 10,71.57 लाख, ₹ 2,40.79 लाख एवं ₹ 4,50.69 की बचत जो कि क्रमशः ₹ 2,78,32.00 लाख, 40,26.00 लाख एवं ₹ 52,05.84 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.001.02- जिला चिकित्सा पदाधिकारी (गैर-योजना)	मूल	18,94.31	16,94.97	16,94.97	0.00	₹ 1,99.74 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.40				
	पुनर्वि.	(-)1,99.74				
2210-01.001.04- अधीक्षण (गैर-योजना)	मूल	10,44.11	9,37.12	9,37.12	0.00	₹ 1,18.26 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	11.27				
	पुनर्वि.	(-)1,18.26				
2210-01.001.49- मुख्यमंत्री गंभीर बिमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क उायग्नोस्टिक एवं रेडियोलॉजी जाँच योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क ब्रेस्ट एवं सरवाईकल कैंसर स्क्रीनिंग योजना (योजना)	मूल	60,00.00	54,37.58	54,37.58	0.00	₹ 10,62.42 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	5,00.00				
	पुनर्वि.	(-)10,62.42				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.104.43- विभिन्न अस्पतालों/ स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए (मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थान/ कार्यालयों आयुष सहित) हेतु मशीन एवं उपकरण, फर्नीचर, उपस्कर, दवा सामग्रियों का क्रय (योजना)	मूल	40,00.00	35,92.72	35,92.72	0.00	₹ 4,07.28 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,07.28				
2210-01.110.05- पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद (योजना)	मूल	3,59.35	1,24.24	1,24.24	0.00	₹ 2,35.11 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,35.11				
2210-01.110.14- अवर-प्रमंडलीय अस्पताल (गैर-योजना)	मूल	26,79.28	19,71.33	19,71.33	0.00	निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 2,00.00 की पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 5,11.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	3.22				
	पुनर्वि.	(-)7,11.17				
2210-01.110.34- संचारी रोग (टी. बी.) कार्यालय (योजना)	मूल	1,90.05	96.38	1,58.59	+62.21	₹ 31.46 लाख के निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)93.67				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.200.46- जीर्णोद्धार, मरम्मति, परिवर्द्धन, अतिरिक्त शौचालय, लैंड स्केलिंग, जलापूर्ति स्वच्छताधिष्ठापन, पार्किंग स्थान इत्यादि (योजना)	मूल	15,00.00	4,79.81	5,97.90	+1,18.09	₹ 10,20.19 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 1,18.09 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,20.19				
2210-01.789.46- जीर्णोद्धार, मरम्मति, परिवर्द्धन, अतिरिक्त शौचालय, लैंड स्केपिंग जलापूर्ति, स्वच्छताधिष्ठापन, पार्किंग स्थान इत्यादि (योजना)	मूल	7,00.00	4,18.38	4,18.38	0.00	₹ 2,81.62 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,81.62				
2210-01.796.12- एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर (योजना)	मूल	3,78.98	3,13.32	3,23.61	+10.29	₹55.37 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65.66				
2210-01.796.46- जीर्णोद्धार, मरम्मति, परिवर्द्धन, अतिरिक्त शौचालय, लैंड स्केपिंग जलापूर्ति, स्वच्छताधिष्ठापन, पार्किंग स्थान इत्यादि (योजना)	मूल	10,00.00	4,98.74	3,65.99	(-)1,32.75	₹ 6,34.01 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,01.26				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-02.101.01- देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय (गैर-योजना)	मूल	10,84.69	9,32.47	9,32.47	0.00	₹ 1,52.41 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.19				
	पुनर्वि.	(-)1,52.41				
2210-02.200.02- देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय- राजकीय यूनानी महाविद्यालय एवं अस्पताल, गिरिडीह तथा राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, गोड्डा (योजना)	मूल	2,32.94	1,41.01	1,50.49	+9.48	₹ 82.45 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)91.93				
2210-02.200.27- राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता-अनुदान (योजना)	मूल	3,20.00	2,08.24	2,08.24	0.00	₹ 1,11.76 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की विमुक्ति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,11.76				
2210-03.103.03- अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (गैर-योजना)	मूल	1,10,04.68	76,47.26	76,47.26	0.00	निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹16,00.00 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 17,57.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33,57.42				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-03.110.04- रेफरल अस्पताल (गैर-योजना)	मूल	42,68.09	36,58.76	36,58.76	0.00	₹ 6,16.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	6.83				
	पुनर्वि.	(-)6,16.16				
2210-04.101.03- ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय (आयुर्वेदिक अस्पताल) (गैर-योजना)	मूल	9,31.67	6,27.87	6,27.87	0.00	₹ 3,04.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.53				
	पुनर्वि.	(-)3,04.33				
2210-04.102.01- होम्योपैथी औषधालय (गैर-योजना)	मूल	3,32.99	2,09.00	2,09.00	0.00	₹ 1,28.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	4.36				
	पुनर्वि.	(-)1,28.35				
2210-04.103.01- यूनानी औषधालय (गैर-योजना)	मूल	1,06.14	1,08.34	1,08.34	0.00	₹ 42.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	44.98				
	पुनर्वि.	(-)42.78				
2210-05.105.02- पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद (गैर-योजना)	मूल	16,21.28	27,03.23	27,03.23	0.00	₹ 14,96.41 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	25,78.36				
	पुनर्वि.	(-)14,96.41				
2210-05.105.04- नर्स प्रशिक्षण (योजना)	मूल	1,00.00	59.46	59.46	0.00	₹ 40.54 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.54				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-05.105.16- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत मानव संसाधन (चिकित्सा-कॉलेज में पी.जी. कोर्स) (योजना)	मूल	16,51.75	3,00.00	3,00.00	0.00	₹ 13,51.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,51.75				
2210-05.796.12- एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर (योजना)	मूल	1,07.96	62.28	62.28	0.00	₹ 45.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.68				
2210-06.001.02- लोक स्वास्थ्य संस्थान (गैर-योजना)	मूल	3,24.33	1,82.53	1,82.53	0.00	₹1,41.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,41.80				
2210-06.001.04- अधीक्षण (गैर-योजना)	मूल	2,56.85	2,64.65	2,64.65	0.00	₹ 72.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	80.00				
	पुनर्वि.	(-)72.20				
2210-06.101.01- अन्यान्य अस्पताल (टी.बी. निरोधक कार्यक्रम) (गैर-योजना)	मूल	12,85.82	10,52.92	10,52.92	0.00	₹ 2,32.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,32.90				
2210-06.101.03- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (गैर-योजना)	मूल	17,96.79	32,40.73	32,40.74	+0.01	₹7,68.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	22,12.00				
	पुनर्वि.	(-)7,68.06				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-06.101.05- अन्यान्य औषधालय (कुष्ठ निरोधक कार्यक्रम) (गैर-योजना)	मूल	20,16.99	16,99.30	16,96.29	(-)3.01	₹ 3,20.70 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,17.69				
2210-06.101.11- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम- डी.डी.टी. छिड़काव (मजदूरी) (योजना)	मूल	3,00.00	2,52.60	2,52.60	0.00	₹ 47.40 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47.40				
2210-06.101.13- गैर-संचारी रोग (कुष्ठ) (योजना)	मूल	4,05.78	1,44.67	1,47.68	+3.01	निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 4.86 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 2,56.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,61.11				
2210-06.102.01- खाद्य उपमिश्रण का निवारण (गैर-योजना)	मूल	84.22	35.35	35.35	0.00	₹48.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.87				
2210-06.104.01- औषध नियंत्रण स्थापना (गैर-योजना)	मूल	4,86.37	1,46.11	1,46.11	0.00	₹3,40.98 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.72				
	पुनर्वि.	(-)3,40.98				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2211-00.001.02- तकनीकी परामर्श एवं राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो (योजना)	मूल	7,57.82	88.05	88.05	0.00	₹6,69.77 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,69.77				
2211-00.003.05- परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, हजारीबाग (योजना)	मूल	2,03.72	1,27.78	1,27.78	0.00	₹75.94 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75.94				
2211-00.103.01- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (गैर-योजना)	मूल	2,93.89	1,73.23	1,73.23	0.00	₹1,20.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,20.66				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.001.37- राज्य स्तरीय आई.ई. सी/बी.सी.सी. ब्यूरो की स्थापना एवं विकास (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 की सम्पूर्ण प्रावधान विपत्र जेनरेट नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2210-01.001.51- कम्युनिटी बेस्ड पैलिपेटिव केयर (योजना)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	कार्य योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.102.54- यूनिवर्सल हेल्थ इन्सुरेन्स कवरेज स्कीम (योजना)	मूल	70,00.00	0.00	0.00	0.00	₹70,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70,00.00				
2210-01.103.45- राष्ट्रीय एड्स एवं एस.टी.डी. नियंत्रण कार्यक्रम (के.यो.यो.)	मूल	25,00.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार एन.ए. सी.ओ.से.जे.एस.ए.सी. एस. ने निधि के प्रत्यक्ष स्थानान्तरण के कारण ₹ 25,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25,00.00				
2210-01.103.56- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के.यो.यो.)	मूल	4,18.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 4,18.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,18.00				
2210-01.103.56- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	37,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 37,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37,00.00				
2210-01.103.56- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)	मूल	26,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 26,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26,00.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.109.40- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत मानव संसाधन (ए.एन.एम/ जी.एन.एम. स्कूल) (के.प्रा.यो.)	मूल	58,70.00	0.00	0.00	0.00	₹ 58,70.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)58,70.00				
2210-01.109.40- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत मानव संसाधन (ए.एन.एम./ जी.एन.एम. स्कूल) (योजना)	मूल	11,65.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से केन्द्रांश के विमुक्ति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 11,65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,65.00				
2210-01.110.25- एमर्जेसी मेडिकल रेस्पॉन्स सर्विसेज (108) (योजना)	मूल	12,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 12,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारण सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,00.00				
2210-01.110.47- झारखण्ड राज्य में जेनेटिक स्क्रीनिंग योजना (योजना)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
2210-01.110.52- हॉस्पिटल मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम (योजना)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	कार्य-योजना की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹ 5,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.110.53- केन्द्रीय बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल यूनिट (योजना)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	कार्य-योजना की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2210-01.110.55- निधि चिकित्सा कॉलेज की स्थापना हेतु प्रोत्साहन (योजना)	मूल	30,00.00	0.00	0.00	0.00	कार्य योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 30,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30,00.00				
2210-01.110.57- पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत पी.एम. सी.एच. धनबाद में सपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक (के.प्रा.यो.)	मूल	30,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30,00.00				
2210-01.110.57- पी.एम.एस.एम.वाई. के अन्तर्गत पी.एम. सी.एच. धनबाद में सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक (योजना)	मूल	6,00.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 6,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				
2210-01.789.54- यूनिवर्सल हेल्थ इन्सुरेन्स कवरेज स्कीम (योजना)	मूल	70,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 70,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70,00.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.789.56- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	7,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 7,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,00.00				
2210-01.789.56- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 4,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारण को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
2210-01.796.54- यूनिवर्सल हेल्थ इन्सुरेन्स कवरेज स्कीम (योजना)	मूल	60,00.00	0.00	0.00	0.00	₹60,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60,00.00				
2210-01.796.56- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	16,00.00	0.00	0.00	0.00	₹16,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,00.00				
2210-01.796.56- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹10,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-05.101.17- राष्ट्रीय मिशन-आयुष प्रक्षेत्र (चाईबासा आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल) (के.प्रा.यो.)	मूल	4,75.00	0.00	0.00	0.00	₹ 4,75.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,75.00				
2210-05.105.16- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत मानव संसाधन (मेडिकल कॉलेज में पी.जी. कोष (योजना)	मूल	1,46.50	0.00	0.00	0.00	₹ 1,46.50 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,46.50				
2210-06.003.14- कौशल विकास (चिकित्सा) (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

(5) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, निम्नलिखित मामलों में अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-03.103.01- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (गैर-योजना)	मूल	1,89,25.84	1,59,08.69	1,64,06.57	+4,97.88	₹ 30,54.04 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹4,97.88 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	36.89				
	पुनर्वि.	(-)30,54.04				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-06.101.10- संचारी रोग (मलेरिया कार्यालय) (योजना)	मूल	12,32.81	4,38.39	9,56.24	+5,17.85	₹ 7,94.42 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹5,17.85 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,94.42				
2210-06.200.15- स्कूल जानेवाली लड़कियों के लिए सेनेटरी नैपकिन (योजना)	मूल	5,00.00	2,70.52	3,85.26	+1,14.74	₹ 2,29.48 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹1,14.74 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,29.48				
2211-00.001.03- तकनीकी परामर्श एवं पर्यवेक्षण-जिला परिवार कल्याण ब्यूरो (योजना)	मूल	12,92.28	6,37.08	10,59.21	+4,22.13	₹ 6,55.20 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 4,22.13 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,55.20				
2211-00.003.04- ए.एन.एम. स्कूल/ एल.एच.वी. स्कूल (योजना)	मूल	3,17.35	17.13	2,10.69	+1,93.56	₹ 3,00.22 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 1,93.56 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.22				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2211-00.101.01- स्वास्थ्य उप-केन्द्र (योजना)	मूल	79,31.24	50,05.56	69,56.01	+19,50.45	₹29,25.68 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 19,50.45 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)29,25.68				
2211-00.102.01- शहरी परिवार कल्याण (योजना)	मूल	3,64.03	2,13.54	3,13.54	+1,00.00	₹1,50.49 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 1,00.00 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.49				

पूँजी:

- (6) ₹ 2,21,52.22 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2016 (₹ 42,13.63 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 45,82.95 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 87,96.58 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (7) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,21,66.88 लाख) अंतिम बचत (₹ 2,21,52.22 लाख) से ₹ 14.66 लाख अधिक था।
- (8) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-01.109.06- जमशेदपुर और साहेबगंज में 100 सीटों वाला जी. एन.एम. विद्यालय (योजना)	मूल	1,00.00	22.18	22.18	0.00	₹ 77.82 लाख की प्रत्याशित बचत प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)77.82				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-01.110.03- सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं रेफरल अस्पताल में आवासीय भवन का निर्माण (योजना)	मूल	10,00.00	7,50.00	7,50.00	0.00	₹ 2,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50.00				
4210-01.110.17- औषधालय (यक्ष्मा) संचारी रोग केन्द्र, इटकी (भवन निर्माण/मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित) (योजना)	मूल	2,62.14	1,88.19	1,88.19	0.00	₹ 73.95 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)73.95				
4210-01.110.20- पोस्टमार्टम हाउस एवं मच्युरी (योजना)	मूल	6,00.00	1,28.46	1,28.46	0.00	₹4,71.54 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,71.54				
4210-01.110.21- जिला खाद्य एवं औषधि कार्यालय (योजना)	मूल	1,00.00	55.53	55.53	0.00	₹44.47 लाख की प्रत्याशित बचत प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)44.47				
4210-01.110.30- 500 शय्यावाले अस्पताल (योजना)	मूल	50,00.00	29,04.61	29,04.61	0.00	निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹20,95.39 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,95.39				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-01.796.30- 500 शय्यावाला अस्पताल (योजना)	मूल	1,00,00.00	81,89.00	81,89.00	0.00	निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹17,70.40 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 40.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,11.00				
4210-02.101.62- राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल, चाईबासा/ राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी कॉलेज, साहेबगंज/गुमला (योजना)	मूल	7,38.67	5,54.00	5,54.00	0.00	₹ 1,84.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,84.67				
4210-02.103.07- भवन-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना-मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन निर्माण/ जीर्णोद्धार (योजना)	मूल	10,00.00	25.24	25.24	0.00	₹ 9,74.76 लाख की प्रत्याशित बचत प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,74.76				
4210-02.103.10- भवन-स्वास्थ्य उप-केन्द्रों की स्थापना (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)	मूल	25,00.00	10,54.70	10,54.70	0.00	₹ 18,45.30 लाख की प्रत्याशित बचत प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	4,00.00				
	पुनर्वि.	(-)18,45.30				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-02.103.66- स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का मॉडल स्वास्थ्य उपकेन्द्रों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विकास (योजना)	मूल	5,00.00	3,42.98	3,42.98	0.00	₹ 1,57.02 लाख की प्रत्याशित बचत प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,57.02				
4210-02.110.17- भवन-पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद (मशीन, उपकरण और उपस्कर सहित) (योजना)	मूल	21,40.65	38,64.24	38,64.24	0.00	₹ 10,76.41 लाख की प्रत्याशित बचत प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	28,00.00				
	पुनर्वि.	(-)10,76.41				
4210-02.110.24 भवन-सदर एवं अनुमंडलीय अस्पताल (मशीन, उपकरण तथा उपस्कर सहित) (योजना)	मूल	20,00.00	3,92.02	3,92.02	0.00	₹ 16,07.98 लाख की प्रत्याशित बचत प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,07.98				
4210-02.110.34- भवन-अनुमंडलीय अस्पताल का उत्क्रमण (मशीन, उपकरण एवं उपस्कर सहित) (योजना)	मूल	8,00.00	2,00.00	2,00.00	0.00	₹ 6,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-02.110.64- जिला संयुक्त आयुष अस्पताल एवं औषधालय (योजना)	मूल	10,00.00	6,82.41	6,98.54	+16.13	₹ 3,17.59 लाख की प्रत्याशित बचत प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। ₹ 16.13 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,17.59				
4210-02.789.05- भवन-स्वास्थ्य, उप-केन्द्रों की स्थापना (मशीन और उपकरण सहित) (योजना)	मूल	10,00.00	7,97.61	7,97.61	0.00	₹ 4,02.39 लाख की प्रत्याशित बचत प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	2,00.00				
	पुनर्वि.	(-)4,02.39				
4210-02.796.01- भवन-एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर (मशीन, उपकरण सहित) (योजना)	मूल	20,13.06	14,32.59	14,32.59	0.00	₹11,80.47 लाख की प्रत्याशित बचत प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	6,00.00				
	पुनर्वि.	(-)11,80.47				
4210-02.796.40- भवन-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (योजना)	मूल	30,00.00	10,68.27	10,66.79	(-)1.48	₹ 19,31.73 लाख की प्रत्याशित बचत प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,31.73				
4210-03.105.04- ए.एन.एम. स्कूल का भवन निर्माण (योजना)	मूल	7,00.00	7,00.00	7,00.00	0.00	₹12,36.25 लाख की प्रत्याशित बचत प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	12,36.25				
	पुनर्वि.	(-)12,36.25				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

(9) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-01.109.16- फार्मसी-भवनों का जीर्णोद्धार (विशेष मरम्मत मेडिसिनल गार्डन तथा अन्य निर्माण कार्य हेतु) (योजना)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				
4210-01.109.38- नया फार्मसी संस्थान (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4210-01.110.02- सिविल सर्जन कार्यालय (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	माँग प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
4210-01.110.14- प्रमंडलीय मुख्यालय में क्षेत्रीय अस्पताल (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	माँग प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4210-01.110.24- नये एम्बुलेंस का क्रय (परिचालन व्यय सहित) (योजना)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 5,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
4210-01.110.26- जिला एवं मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डायलिसिस सेन्टर की स्थापना (योजना)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-01.110.31- सेंटिंग अप मेडिको सिटी (योजना)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹7,85.36 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹2,14.64 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
4210-01.110.32- राज्य यूरोलोजी एवं नेफ्रोलोजी सेन्टर (योजना)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹8,19.18 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹1,80.82 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
4210-01.110.33- राज्य डायवेटिक केयर सेंटर (योजना)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 10,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-01.110.34- सेन्ट्रल स्टेरलाईजेसन एण्ड लौण्ड्री सिस्टम (योजना)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹1,26.84 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹3,73.16 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
4210-01.110.36- कोडरमा में नये मेडिकल कॉलेज (योजना)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 10,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
4210-01.110.37- नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (योजना)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 10,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
4210-01.796.35- एम.जी.एम.एम.सी. कैंपस में नये अस्पताल भवन (योजना)	मूल	20,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 20,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,00.00				
4210-01.796.37- नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (योजना)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 10,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				

अनुदान संख्या-20 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-02.110.36- ब्लड-बैंक (योजना)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
4210-03.105.07- पी.एम.सी.एच. धनबाद, और एम.जी.एम. सी. एच. जमशेदपुर में पारा-मेडिकल संस्थान की स्थापना (योजना)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 10,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				

अनुदान संख्या- 21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	9,41,31,20	11,58,62,42	10,03,27,03	(-) 1,55,35,39
अनुपूरक	2,17,31,22			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

1,55,35,39

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹ 1,55,35.39 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 18.48 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 1,93,44.83 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 23,67.91 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,17,31.22 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) शीर्ष 2202.03.102.01-बिनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग (गैर-योजना), 2202-03.102. A8- बिनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु सहायक अनुदान (गैर-योजना) तथा 2202-03.796.04- राँची विश्वविद्यालय, राँची-सहायक अनुदान (योजना)के अन्तर्गत ₹ 8,89.41 लाख, ₹ 3,12.00 लाख एवं ₹ 1,47.59 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 1,20,62.62 लाख, ₹ 61,46.27 लाख एवं ₹18,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.001.01- निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)	मूल	1,54.37	1,30.89	1,30.89	0.00
	अनुपूरक	19.68			
	पुनर्वि.	(-)43.16			
₹ 43.16 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 37.16 लाख की बचत मांग की कमी के कारण हुई थी। ₹6.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।					

अनुदान संख्या-21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.102.02- सिद्ध-कान्हु विश्वविद्यालय, दुमका (गैर-योजना)	मूल	62,79.69	67,62.40	67,62.40	0.00	₹ 35,17.29 लाख की प्रत्याशित बचत विश्व विद्यालय से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	40,00.00				
	पुनर्वि.	(-)35,17.29				
2202-03.102.04- राँची विश्वविद्यालय, राँची। (गैर-योजना)	मूल	1,77,89.08	1,90,66.77	1,90,66.77	0.00	₹32,22.31 लाख की प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	45,00.00				
	पुनर्वि.	(-)32,22.31				
2202-03.102.06- वित्त रहित शिक्षा हेतु संत बिनोवा भावे विश्वविद्यालय को सहाय्य अनुदान (योजना)	मूल	17,00.00	14,70.00	14,70.00	0.00	₹2,30.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,30.00				
2202-03.102.10- नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू (गैर-योजना)	मूल	23,49.60	23,10.84	23,10.84	0.00	₹5,38.76 लाख की प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	5,00.00				
	पुनर्वि.	(-)5,38.76				
2202-03.102.10- नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू (योजना)	मूल	10,00.00	8,73.60	8,73.60	0.00	₹1,26.40 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,26.40				
2202-03.102.60- वित्त रहित शिक्षा हेतु नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू को सहायता अनुदान (योजना)	मूल	3,00.00	2,64.00	2,64.00	0.00	₹36.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36.00				

अनुदान संख्या-21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.102.A9- सिद्ध-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हेतु सहायता अनुदान (गैर-योजना)	मूल	37,55.00	27,43.14	27,43.14	0.00	₹10,11.86 लाख की प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,11.86				
2202-03.102.AA- नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हेतु सहायता अनुदान (गैर-योजना)	मूल	2,18.42	5,06.43	5,06.43	0.00	₹ 2,11.99 लाख की प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	5,00.00				
	पुनर्वि.	(-)2,11.99				
2202-03.102.AB- कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हेतु सहायता अनुदान (गैर-योजना)	मूल	22,97.50	17,83.90	17,83.90	0.00	₹ 5,13.60 लाख की प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,13.60				
2202-03.102.AC- बिनोवा भावे विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का आधुनिकीकरण, प्रयोगशाला का स्तरोन्नयन एवं कम्प्यूटर सेंटर उपकरणों का क्रय हेतु सहायता अनुदान (योजना)	मूल	6,00.00	3,00.00	3,00.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

अनुदान संख्या-21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.102.AF- नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू के पुस्तकालय का आधुनिकीकरण, प्रयोगशाला का स्तरान्तरण एवं कम्प्यूटर सेंटर उपकरणों का क्रय हेतु सहायता अनुदान (योजना)	मूल	5,00.00	2,00.00	2,00.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2202.03.102.AH- छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेंटर की स्थापना एवं दो पाली में कक्षा का संचालन हेतु विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को सहायक अनुदान (योजना)	मूल	4,00.00	2,00.00	2,00.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2202-03.102.AK- छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर की स्थापना एवं दो पाली में कक्षा का संचालन हेतु नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू को सहायक अनुदान (योजना)	मूल	2,00.00	1,50.00	1,50.00	0.00	₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

अनुदान संख्या-21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.102.AZ- झारखण्ड रक्षा-शक्ति विश्वविद्यालय एवं अन्य नये विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु अनुदान (योजना)	मूल	15,00.00	7,58.74	7,58.74	0.00	₹ 7,41.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,41.26				
2202-03.796.02- सिद्ध-कान्हु विश्वविद्यालय, दुमका को सहायता अनुदान (योजना)	मूल	14,00.00	3,50.00	3,50.00	0.00	₹10,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,50.00				
2202-03.796.07- वित्त रहित शिक्षा हेतु राँची विश्वविद्यालय, राँची को सहाय्य अनुदान (योजना)	मूल	3,00.00	1,68.00	1,68.00	0.00	₹ 57.00 लाख की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹75.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है(सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,32.00				
2202-03.796.08- कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सहायता अनुदान (योजना)	मूल	10,00.00	7,69.69	7,69.69	0.00	₹2,30.31 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,30.31				

अनुदान संख्या-21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.796.11- वित्त रहित शिक्षा हेतु सिद्धु-कान्हु विश्वविद्यालय, दुमका को सहाय्य अनुदान (योजना)	मूल	6,00.00	4,41.60	4,41.60	0.00	₹ 8.40 लाख की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 1,50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,58.40				
2202-03.796.26- कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को वित्त रहित शिक्षा हेतु सहायता अनुदान (योजना)	मूल	1,50.00	98.40	98.40	0.00	₹ 14.10 लाख की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹37.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)51.60				
2202-03.796.79- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.) (के.प्रा.यो.)	मूल	3,60.00	3,62.06	3,62.06	0.00	₹ 69.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	71.81				
	पुनर्वि.	(-)69.75				
2202-03.796.79- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.) (योजना)	मूल	2,40.00	2,38.50	2,38.50	0.00	₹ 46.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	45.00				
	पुनर्वि.	(-)46.50				

अनुदान संख्या-21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.796.AD- राँची विश्वविद्यालय, राँची के पुस्तकालय आधुनिकीकरण प्रयोगशाला स्तरोन्नयन एवं कम्प्यूटर उपकरणों का क्रय हेतु सहायता अनुदान (योजना)	मूल	6,00.00	3,00.00	3,00.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2202-03.796.AG- कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को पुस्तकालय का आधुनिकीकरण, प्रयोगशाला का पुनरूद्धार तथा कम्प्यूटर सेंटर की खरीद हेतु सहायता अनुदान (योजना)	मूल	6,00.00	3,00.00	3,00.00	0.00	₹3,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2202-03.796.AI- छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर की स्थापना एवं दो पाली में कक्षा का संचालन हेतु राँची विश्वविद्यालय, राँची को सहायक अनुदान (योजना)	मूल	4,00.00	3,00.00	3,00.00	0.00	₹ 1,00.00 की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या-21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.796.AJ- छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर की स्थापना एवं दो पाली में कक्षा का संचालन हेतु सिद्धो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दूमका को सहायक अनुदान (योजना)	मूल	3,00.00	2,00.00	2,00.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2202-03.796.AL- छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर की स्थापना एवं दो पाली में कक्षा का संचालन हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सहायक अनुदान (योजना)	मूल	2,00.00	1,50.00	1,50.00	0.00	₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

अनुदान संख्या-21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.796.AP- राँची विश्वविद्यालय, राँची, सिद्धो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका एवं कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को प्रशिक्षण, कान्फ्रेंस, कार्यशाला एवं राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय भ्रमण हेतु सहायता अनुदान (योजना)	मूल	1,50.00	22.00	22.00	0.00	₹ 1,28.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,28.00				
2202-03.796.AR- राँची विश्वविद्यालय, राँची, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका एवं कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सॉफ्ट स्किल, कन्सलटेन्सी फीस, प्लेसमेन्ट सेल, स्टार्ट-अप्स आदि हेतु सहायता अनुदान (योजना)	मूल	3,00.00	1,00.00	1,00.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

अनुदान संख्या-21 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2202-03.102.84-15.11.2000- के पूर्व का बकाया- नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू (योजना)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	विश्वविद्यालय से मांग अप्राप्त रहने के कारण ₹ 35.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	35.00				
	पुनर्वि.	(-)35.00				
2202-03.102.AO- बिनोवा-भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग और निलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू को प्रशिक्षण, कान्फ्रेंस, कार्यशाला, एवं राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय भ्रमण हेतु सहायता अनुदान (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2202-03.102.AQ- बिनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग और निलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू में सॉफ्ट स्किल, कन्सलटेन्सी फीस, प्लेसमेन्ट सेल, स्टार्ट-अप्स आदि एवं पी.एम. यू. के गठन हेतु सहायता अनुदान (योजना)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

अनुदान संख्या-21 क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2202-03.102.AX- बिनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग और निलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू को स्किल डेवलपमेंट हेतु सहायता अनुदान (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2202-03.796.AE- सिद्धू-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को पुस्तकालय आधुनिकीकरण, प्रयोगशाला स्तरोन्नयन एवं कम्प्यूटर सेंटर उपकरणों का क्रय हेतु सहायता अनुदान (योजना)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख के प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2,25,00 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 2,00.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 75.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
2202-03.796.AY- राँची विश्वविद्यालय, राँची, सिद्धू-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका और कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा को स्किल डेवलपमेंट हेतु सहायता अनुदान (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या- 22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, 2055-पुलिस, 2056- जेल, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	35,49,92,57	36,22,83,43	32,79,69,72	(-)3,43,13,71
अनुपूरक	72,90,86			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

3,44,09,55

पूँजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,08,00,01	2,53,35,34	1,88,85,39	(-)64,49,95
अनुपूरक	45,35,33			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

64,49,95

(नवम्बर 2016 : 21,44,32
मार्च 2017 : 43,05,63)

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 3,43,13.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 16,79.40 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 25,14.09 लाख) और जनवरी 2017 (₹ 30,97.37 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 72,90.86 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,44,09.55 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,43,13.71 लाख) से ₹ 95.84 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या-22 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2055-00.104.02- पैदल सैन्य पुलिस (गैर-योजना), 2055-00.104.05-इंडिया रिजर्व बटालियन (गैर-योजना) 2055-00.109.01- जिला कार्यकारी बल (गैर-योजना) 2056-00.101.02-जिला जेल (गैर-योजना) तथा 2070-00.107.01- ग्रामीण (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 17,51.84 लाख, ₹ 14,45.08 लाख, ₹1,50,36.22 लाख, ₹ 3,52.75 लाख तथा ₹6,12,34 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹5,56,15.49 लाख, ₹ 1,66,95.77 लाख, ₹ 18,06,42.43 लाख, ₹ 47,95.35 लाख तथा ₹ 75,02.88 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.092.02- स्थल, जल और वायु सैनिक का पर्षद- मुख्यालय प्रभार (गैर-योजना)	मूल	87.07	83.87	83.87	0.00	₹ 57.41 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	54.21				
	पुनर्वि.	(-)57.41				
2052-00.092.20- झारखण्ड/वनांचल आन्दोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग (गैर-योजना)	मूल	90.61	41.85	41.85	0.00	₹ 48.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.76				
2055-00.001.01- अभियोजन निदेशालय (गैर-योजना)	मूल	28,45.74	17,87.11	18,14.83	+27.72	₹ 10,58.63 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 27.72 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,58.63				
2055-00.001.04- अधीक्षण (गैर-योजना)	मूल	16,25.18	12,80.04	12,84.72	+4.68	₹ 3,98.46 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	58.00				
	पुनर्वि.	(-)4,03.14				
2055-00.101.01- आपराधिक जाँच विभाग (गैर-योजना)	मूल	28,36.18	33,40.36	33,40.36	0.00	₹ 6,87.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	11,92.00				
	पुनर्वि.	(-)6,87.82				

अनुदान संख्या-22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2055-00.101.05- डॉग-स्क्वाड (गैर-योजना)	मूल	92.93	17.16	17.16	0.00	₹ 75.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75.77				
2055-00.101.96- विदेशियों के पंजीकरण एवं निरीक्षण (गैर-योजना)	मूल	8,61.38	1,11.86	1,11.86	0.00	₹ 7,49.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,49.52				
2055-00.109.97- प्रतिबंधित/कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी पर घोषित पुरस्कार (गैर-योजना)	मूल	7,00.00	2,61.16	2,61.16	0.00	₹ 4,38.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,38.84				
2055-00.109.A7- जिला कार्यकारी बल-विधानसभा उपचुनाव-2016 (गैर-योजना)	मूल	0.00	2,23.29	2,23.29	0.00	₹ 33.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	2,56.64				
	पुनर्वि.	(-)33.35				
2055-00.110.01- चौकीदार, दफादार स्थापना (गैर-योजना)	मूल	2,43,61.64	1,75,95.46	1,75,95.46	0.00	₹67,66.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)67,66.18				
2055-00.110.02- मानकी मुण्डा डाकुआ के लिए सम्मान (गैर-योजना)	मूल	11,50.00	9,24.47	9,24.47	0.00	₹ 2,25.53 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,25.53				

अनुदान संख्या-22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2055-00.111.01- बिना टिकट के यात्रियों के विरुद्ध अभियान (गैर-योजना)	मूल	1,84.78	59.89	59.89	0.00	₹ 1,24.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,24.89				
2055-00.111.02- ऑर्डर पुलिस (गैर-योजना)	मूल	61,37.22	48,90.66	48,90.66	0.00	₹ 12,46.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.29				
	पुनर्वि.	(-)12,46.85				
2055-00.113.01- अस्पताल प्रभार (गैर-योजना)	मूल	1,92.86	2,18.81	2,18.81	0.00	₹45.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	71.49				
	पुनर्वि.	(-)45.54				
2055-00.114.01- संकेत (गैर-योजना)	मूल	22,06.23	19,73.05	19,73.05	0.00	₹ 2,33.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,33.18				
2056-00.101.01- केन्द्रीय जेल (गैर-योजना)	मूल	59,74.92	51,74.64	51,74.64	0.00	निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹2,00.50 लाख का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 5,99.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,00.28				
2056-00.101.03- उप-जेल (गैर-योजना)	मूल	10,69.34	8,87.95	8,87.95	0.00	₹ 2,31.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	(-)2,31.39				

अनुदान संख्या-22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2070-00.105.01- राज्य मानवाधिकार आयोग (गैर-योजना)	मूल	2,08.82	49.85	49.85	0.00	₹ 1,58.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अध्यक्ष, सदस्य और निजी सहायक तथा पुलिस महानिदेशक का पद खाली रहने तथा अवर सचिव का प्रतिनियुक्ति पर प्रतियुक्त होने ₹ 1,57.29 लाख के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-1,58.97)				
2070-00.105.14- राज्य पुलिस शिकायती प्राधिकार (गैर-योजना)	मूल	0.00	14.07	14.07	0.00	₹ 39.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	53.70				
	पुनर्वि.	(-)39.63				
2070-00.106.04- अग्निशमन सेवा (गैर-योजना)	मूल	2,50.39	2,04.71	2,04.71	0.00	₹ 45.68 लाख की प्रत्याशित बचत दावा प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.68				
2070-00.106.05- मुख्यालय स्थापना (गैर-योजना)	मूल	53.91	35.62	35.62	0.00	₹32.29 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹ 4.00 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य-योजना की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 28.29 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	14.00				
	पुनर्वि.	(-)32.29				

अनुदान संख्या-22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2070-00.108.01- अग्नि-सुरक्षा सेवाएँ (गैर-योजना)	मूल	15,48.36	13,67.86	13,67.86	0.00	₹1,80.50 लाख की प्रत्याशित बचत दावा प्राप्त नहीं होने (₹1,78.50 लाख) तथा दावा से कम राशि का प्रावधान किये जाने के कारण दावा का भुगतान नहीं होने (₹ 2.00 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,80.50				
2070-00.800.09- उग्रवादी घटनाओं में मारे गये पुलिस कर्मी/ग्रामीण पुलिस/ होम गार्ड / गृह रक्षकों को विशेष अनुदान (गैर-योजना)	मूल	8,00.00	76.50	76.77	+0.27	₹ 7,23.23 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,23.50				
2070-00.800.10- उग्रवादियों द्वारा प्रत्यर्पण हेतु प्रोत्साहन राशि (गैर-योजना)	मूल	50.00	0.00	0.21	+0.21	₹ 49.79 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2235-60.200.03- स्वतंत्रता सेनानी तथा उनके आश्रितों को विशेष भत्ता (गैर-योजना)	मूल	2,25.00	1,41.66	1,41.66	0.00	₹ 83.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)83.34				
2235-60.200.05- दंगों में प्रभावित व्यक्तियों को राहत (गैर-योजना)	मूल	2,50.00	2,77.40	2,77.40	0.00	₹ 45.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	73.00				
	पुनर्वि.	(-)45.60				

अनुदान संख्या-22 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2055-00.001.07- असैनिक/सैनिक व्यक्तियों के चिकित्सा हेतु व्यय (गैर-योजना)	मूल	35.00	0.00	0.00	0.00	₹ 35.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35.00				

पूँजी :

- (5) ₹ 64,49.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 42,64.01 लाख) तथा नवम्बर 2016 (₹ 2,71.32 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 45,35.33 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) शीर्ष 4055-00.207.67- पुलिस का आधुनिकीकरण तथा भवन निर्माण (योजना) के अन्तर्गत ₹2,71.32 लाख की बचत, जो कि ₹ 29,60.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4055-00.207.28- कारा-मुख्य गेट की सुरक्षा हेतु घेराबंदी (योजना)	मूल	3,00.00	1,54.73	1,54.73	0.00	₹ 1,45.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,45.27				
4055-00.207.44- गैर-पारम्परिक ऊर्जा (सोलर बायो गैस सहित) (योजना)	मूल	1,00.00	14.85	14.85	0.00	₹ 85.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)85.15				
4055-00.207.45- पुलिस आधुनिकीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों का क्रय (के.प्रा.यो.)	मूल	11,27.00	17,15.54	17,15.54	0.00	₹ 12,84.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	18,73.00				
	पुनर्वि.	(-)12,84.46				

अनुदान संख्या-22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4055-00.207.74- अभियोजन निदेशालय/कार्यालय का निर्माण/ सुदृढीकरण (योजना)	मूल	30.00	9.10	9.10	0.00	₹ 20.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.90				
4055-00.796.28- कारा मुख्य गेट की सुरक्षा हेतु घेराबंदी/ सौर्य घेराबंदी, चाहरदिवारी एवं वाच टावर का निर्माण (योजना)	मूल	4,00.00	2,76.74	2,76.74	0.00	निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 23.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,23.26				

(7) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4055-00.207.42- कारा हेतु भूमि का अधिग्रहण (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4055-00.207.43- पुलिस का आधुनिकीकरण तथा भवन निर्माण (के.प्रा.यो.)	मूल	18,73.00	0.00	0.00	0.00	₹ 18,73.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,73.00				

अनुदान संख्या-22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4055-00.207.43- पुलिस का आधुनिकीकरण तथा भवन निर्माण (योजना)	मूल	12,49.00	0.00	0.00	0.00	₹ 12,49.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12.49.00				
4055-00.207.45- पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों का क्रय (योजना)	मूल	7,51.00	0.00	0.00	0.00	₹ 7,51.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,51.00				
4055-00.796.42- कारा हेतु भूमि का अधिग्रहण (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4055-00.796.74- अभियोजन निदेशालय/ कार्यालय का निर्माण/सुदृढिकरण (योजना)	मूल	1,70.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,70.00				
4055-00.796.76- कार्यालय-सह - सैनिक आरामकक्ष/ सैनिक कल्याण निदेशालय की स्थापना (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

अनुदान संख्या-22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4070-00.796.56- गुमला में होम-गार्ड के लिए 'A' टाइप क्वार्टर का निर्माण (योजना)	मूल	31.50	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹31.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31.50				
4070-00.796.61- दुमका एवं लोहरदगा के निस्प्रयोजित किये गये फायर इंजन के विरुद्ध नये इंजन का क्रय (योजना)	मूल	54.00	0.00	0.00	0.00	सरकार के स्तर से तकनीकी स्वीकृति/पद संवर्ग समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 54.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)54.00				
4070-00.796.63- नागरिक सुरक्षा हेतु केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	कार्य योजना लंबित रहने के कारण ₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4070-00.796.72- राँची नगर क्षेत्र के लिए 01 अदद 42 मीटर हाईड्रोलिक एरियल लैंडर प्लेटफार्म/ टी०टी०एल० का क्रय (योजना)	मूल	1,19.00	0.00	0.00	0.00	सरकार के स्तर से तकनीकी स्वीकृति/पद संवर्ग समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,19.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,19.00				
4070-00.800.59 डाल्टेनगंज अग्निशमालय हेतु निस्प्रयोजित के विरुद्ध नई फायर इंजन का क्रय (योजना)		27.00	0.00	0.00	0.00	सरकार के स्तर से तकनीकी स्वीकृति/पद संवर्ग समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं होने के कारण ₹27.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
		0.00				
		(-)27.00				

अनुदान संख्या-22 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4070-00.800.68- गिरीडीह में अप्रोच रोड का निर्माण (योजना)	मूल	46.57	0.00	0.00	0.00	योजना स्वीकृत नहीं होने के कारण ₹46.57 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.57				

अनुदान संख्या- 23- उद्योग विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय, 4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,98,22,50	4,45,64,85	2,92,64,20	(-)1,53,00,65
दत्तमत	47,42,35			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 1,52,99,77

(14 जुलाई 2016	:	15,00,00
21 दिसम्बर 2016	:	1,00,00
09 फरवरी 2017	:	54,86,67
मार्च 2017	:	82,13,10

पूंजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,00,00	10,00,00	5,00,00	(-)5,00,00
दत्तमत	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 5,00,00
(मार्च 2017)

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 1,53,00.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 4,87.20 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 38.00 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 42,17.15 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 47,42.35 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या-23 क्रमशः

- (2) 2852-80.102.44-विभागीय योजनाओं के प्रचार एवं प्रकाशन योजना का सुदृढीकरण (योजना) तथा 2852-80.796.74- झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को नेट वैंट पर अनुदान (योजना) के अन्तर्गत ₹ 59.12 लाख तथा ₹56.86 लाख, जो क्रमशः ₹8,90.00 लाख एवं ₹ 16,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे, बचत (₹25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.102.08- जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना (योजना)	मूल	2,30.00	1,81.65	1,81.65	0.00	₹ 48.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.35				
2851-00.102.44- नये जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना तथा भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का जीर्णोद्धार (योजना)	मूल	20.00	12.24	12.24	0.00	₹ 94.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	87.10				
	पुनर्वि.	(-)94.86				
2851-00.104.04- हस्तशिल्प के विकास की योजना (योजना)	मूल	4,90.00	1,03.55	1,03.55	0.00	₹ 3,86.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,86.45				
2851-00.107.06- रोम की विकास की योजना (योजना)	मूल	1,75.00	93.05	93.05	0.00	₹ 81.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)81.95				
2851-00.107.12- रेशम दूतों के माध्यम से न्यूकीलियस सीड रियरिंग (योजना)	मूल	2,20.00	1,63.33	1,63.33	0.00	₹ 56.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)56.67				

अनुदान संख्या-23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.107.29- तसर कीट पालकों को सहायता अनुदान (योजना)	मूल	6,00.00	4,58.53	4,58.53	0.00	₹ 1,41.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,41.47				
2851-00.107.62- रिलिंग स्पीनिंग के सामान्य सुलभ केन्द्रों की स्थापना (योजना)	मूल	13,45.00	11,63.88	11,63.88	0.00	₹ 1,81.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,81.12				
2851-00.796.04- हस्तशिल्प के विकास की योजना (योजना)	मूल	3,75.00	68.74	68.74	0.00	₹ 3,06.26 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,06.26				
2851-00.796.06- रेशम की विकास की योजना (योजना)	मूल	2,90.00	2,27.52	2,27.52	0.00	₹ 62.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)62.48				
2851-00.796.08- जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना (योजना)	मूल	2,20.00	1,72.58	1,72.58	0.00	₹ 47.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47.42				
2851-00.796.26- रेशम दूतों के माध्यम से बेसिक सीड रियरिंग (योजना)	मूल	2,95.00	2,49.79	2,49.79	0.00	₹ 45.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.21				
2851-00.796.28- मलवरी कीट पालकों को सहायक अनुदान (योजना)	मूल	1,00.00	35.14	35.14	0.00	₹ 64.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)64.86				

अनुदान संख्या-23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.796.29- तसर कीट पालकों को सहायता अनुदान (योजना)	मूल	5,00.00	3,48.55	3,48.55	0.00	₹ 1,51.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,51.45				
2851-00.796.33- आधारभूत शिक्षण संरचना का विकास (योजना)	मूल	4,00.00	61.24	61.24	0.00	₹ 3,38.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,38.76				
2851-00.796.35- रेशम की विकास की योजना-शिल्क पार्क की स्थापना (योजना)	मूल	1,00.00	28.80	28.80	0.00	₹ 71.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)71.20				
2851-00.796.36- हस्तकरघा विकास की योजना-झारखंड रेशम वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम हेतु प्रबंधकीय अनुदान (योजना)	मूल	18,50.00	12,50.00	12,50.00	0.00	₹ 6,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				
2851-00.796.46- रेशम का विकास-रेशम दूतों के माध्यम से न्युकीलियस सीड रियरिंग (योजना)	मूल	2,00.00	1,22.93	1,22.93	0.00	₹ 77.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)77.07				
2851-00.796.49- रेशम का विकास वृक्षारोपण-सहायता अनुदान (योजना)	मूल	2,25.00	15.85	15.85	0.00	₹ 2,09.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,09.15				

अनुदान संख्या-23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.796.62- रिलिंग स्पीनिंग के सामान्य सुलभ केन्द्रों की स्थापना (योजना)	मूल	5,20.00	3,14.82	3,14.82	0.00	₹ 2,05.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,05.18				
2852-80.102.10- औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (योजना)	मूल	7,50.00	5,02.99	5,02.99	0.00	₹ 2,47.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,47.01				
2852-80.102.30- औद्योगिक इकाईयों को ब्याज अनुदान हेतु सहायता अनुदान (योजना)	मूल	3,00.00	2,23.02	2,23.02	0.00	₹ 76.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)76.98				
2852-80.102.77- झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2015 के अन्तर्गत अनुदान (योजना)	मूल	5,00.00	1,15.00	1,15.00	0.00	₹ 3,85.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,85.00				
2852-80.102.78- झारखंड फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2015 के अन्तर्गत अनुदान (योजना)	मूल	3,00.00	85.85	85.85	0.00	₹ 2,14.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,14.15				
2852-80.796.10- औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (योजना)	मूल	7,50.00	1,78.22	1,78.22	0.00	₹ 5,71.78 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,71.78				

अनुदान संख्या-23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2852-80.796.30- औद्योगिक इकाईयों को ब्याज अनुदान के लिए सहायता अनुदान (योजना)	मूल	1,00.00	2,16.55	2,16.55	0.00	₹ 33.45 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	1,50.00				
	पुनर्वि.	(-)33.45				
2852-80.796.52- पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन औद्योगिक इकाईयों को सहायता अनुदान (योजना)	मूल	2,00.00	40.34	40.34	0.00	₹ 1,59.66 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,59.66				
2852-80.796.65- वास्तविक वाणिज्य- कर भुगतान के विरुद्ध पूंजी निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी (योजना)	मूल	20,00.00	93.85	93.85	0.00	₹ 19,06.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,06.15				
2852-80.796.70- झारखंड औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को समेकित परियोजना निवेश अनुदान (योजना)	मूल	1,75.00	3,49.71	3,49.71	0.00	₹ 1,15.29 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	2,90.00				
	पुनर्वि.	(-)1,15.29				
2852-80.796.77- झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2015 के अन्तर्गत अनुदान (योजना)	मूल	10,00.00	2,77.06	2,77.06	0.00	₹ 7,22.94 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,22.94				

अनुदान संख्या-23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2852-80.796.78- झारखंड फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2015 के अन्तर्गत अनुदान (योजना)	मूल	1,00.00	14.00	14.00	0.00	₹ 86.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)86.00				
2852-80.796.79- झारखंड निर्यात नीति 2015 के अन्तर्गत अनुदान (योजना)	मूल	1,00.00	35.80	35.80	0.00	₹64.20 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)64.20				
3451-00.090.01- उद्योग विभाग (गैर-योजना)	मूल	3,26.04	2,99.31	2,99.31	0.00	₹41.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	15.00				
	पुनर्वि.	(-)41.73				

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.102.03- शहरी हाट की स्थापना (योजना)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
2851-00.102.58- रोजगार हेतु कौशल विकास योजना (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2851-00.103.60- राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम (के.प्रा.यो.)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या-23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.103.60- राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2851-00.107.10- रेशम के विकास की योजना-आधारभूत संरचना का विकास (योजना)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2851-00.107.14- रेशम के विकास की योजना-वृक्षारोपण (योजना)	मूल	1,10.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,10.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,10.00				
2851-00.107.28- मलवारी कीट पालकों को सहायता अनुदान (योजना)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				
2851-00.107.35- रेशम के विकास का योजना-शिल्क पार्क की स्थापना (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2851-00.789.64- बॉस शिल्पी प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्रों की स्थापना (योजना)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

अनुदान संख्या-23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.796.21- बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2851-00.796.47- रेशम का विकास पोस्ट कोकून का विकास (योजना)	मूल	1,20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,20.00				
2851-00.796.66- बॉस सामान्य सुलभ केन्द्रों की स्थापना (योजना)	मूल	45.00	0.00	0.00	0.00	₹ 45.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.00				
2852-80.102.05- भू-अर्जन एवं अर्जित भूमिका विकास-सहायता अनुदान (योजना)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
2852-80.102.07- एसाइड योजना- सहायक अनुदान (योजना)	मूल	15,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹15,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,00.00				
2852-80.102.19- उद्योग विहीन जिलों में ग्रोथ सेंटर की स्थापना हेतु भू-अर्जन-सहायता अनुदान (योजना)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

अनुदान संख्या-23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2852-80.102.52- पूँजीगत निवेश प्रोत्साहन - औद्योगिक इकाइयों को सहायक अनुदान (योजना)	मूल	3,80.00	0.00	0.00	0.00	निधि की मांग नहीं होने के कारण ₹ 3,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,80.00				
2852-80.102.67- औद्योगिक गलियारे हेतु सहायता अनुदान (योजना)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	निधि की मांग नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2852-80.102.68- विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2852-80.102.71- झारखंड औद्योगिक नीति-2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटि एवं निबंधन शुल्क (योजना)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				
2852-80.102.79- झारखंड निर्यात नीति, 2015 के अन्तर्गत अनुदान (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या-23 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2852-80.796.05- भू-अर्जन एवं अर्जित भूमि का विकास-सहायता अनुदान (योजना)	मूल	25,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 25,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25,00.00				
2852-80.796.71- झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क (योजना)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				

पूँजी :

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4851-00.796.02- निफ्ट केन्द्र की स्थापना (योजना)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

अनुदान संख्या- 24- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2220- सूचना एवं प्रचार, 2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 2251- सचिवालय- सामाजिक सेवाएँ, 4220- सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,04,13,48	1,41,07,36	1,30,19,66	(-)10,87,70
अनुपूरक	36,93,88			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

10,89,19

पूंजी :

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,50,00	10,50,00	8,84,92	(-)1,65,08
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

1,65,08

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 10,87.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 30,76.38 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 5,81.00 लाख) तथा जनवरी 2017 (₹ 36.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 36,93.88 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 10,89.19 लाख), अंतिम बचत (₹ 10,87.70 लाख) से ₹ 1.49 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या-24 क्रमशः

(3) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2220-01.001.01- निर्देशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)	मूल	7,52.99	6,61.88	6,66.28	+4.40	₹ 12.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई व्यय की संभावना रहने के कारण ₹ 2,31.99 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 4.41 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	1,52.88				
	पुनर्वि.	(-)2,43.99				
2220-01.796.02- झारखण्ड फिल्म विकास निगम की स्थापना एवं फिल्म-निर्माता को वित्तीय सहायता (योजना)	मूल	10,00.00	6,00.00	6,00.00	0.00	व्यय की कम संभावना के कारण ₹ 2,50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 1,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
2220-60.106.02- जिला मोबाइल इकाई (गैर-योजना)	मूल	11,11.48	6,34.76	6,34.46	(-)0.30	₹ 5,07.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	31.00				
	पुनर्वि.	(-)5,07.72				
2220-60.796.03- क्षेत्रीय प्रचार योजना- सूचना भवन निर्माण (सुसज्जीकरण सहित) (योजना)	मूल	30.00	11.44	11.44	0.00	₹ 18.56 लाख की प्रत्याशित बचत अन्तरिम वित्तीय सलाहकार मनोनीत नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18.56				

अनुदान संख्या-24 क्रमांत

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-60.796.11- सम्पादकों के लिए चिकित्सा बीमा योजना (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	योजना का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

पूँजी :

(5) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4220-60.796.02- सरकारी कार्यक्रम के लिए एल.ई.डी. वैन (योजना)	मूल	10,00.00	8,84.92	8,84.92	0.00	₹ 1,15.08 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,15.08				

(6) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4220-60.101.01- क्षेत्रीय प्रचार योजना- सूचना भवन का निर्माण (योजना)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				
4220-60.796.01- क्षेत्रीय प्रचार योजना- सूचना भवन का निर्माण (योजना)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	तकनीकी प्राक्कलन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 30.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				

**अनुदान संख्या- 25- योजना-सह-वित्त विभाग
(सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,46,02	1,92,77	1,15,96	(-)76,81
अनुपूरक	46,75			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

76,81

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) ₹ 76.81 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 46.75 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) बचत (₹10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2052-00.092.10- सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग- परियोजना संगठन (गैर-योजना)	मूल	57.57	48.22	48.22	0.00	₹ 56.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	46.75				
	पुनर्वि.	(-)56.10				
2052-00.092.19- सांस्थिक वित्त विभाग (गैर-योजना)	मूल	88.45	67.74	67.74	0.00	₹ 20.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.71				

अनुदान संख्या- 26- श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2230- श्रम तथा रोजगार, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4059- लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय, 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,53,07,05	2,81,42,60	1,70,65,78	(-)1,10,76,82
अनुपूरक	28,35,55			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

1,10,79,79

(नवम्बर 2016 : 3,50,78
मार्च 2017 : 1,07,29,01)

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	45,87,00	46,82,00	24,26,95	(-)22,55,05
अनुपूरक	95,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

22,46,52

(मार्च 2017)

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 1,10,76.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2016 (₹ 16.66 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 27,52.19 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 66.70 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 28,35.55 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,10,79.79 लाख), अंतिम बचत (1,10,76.82 लाख) से ₹ 2.97 लाख कम था।

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

(3) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.102.21- कर्मचारी राज्य बीमा योजना (गैर-योजना)	मूल	17,13.68	13,83.69	13,83.69	0.00	₹ 10.20 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 3,19.79 लाख की प्रत्याशित बचत क्रमशः कर्मचारी राज्य बीमा निधि एवं निगम से प्राप्त किये गये निधि से व्यय किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,29.99				
2230-01.001.03- श्रमायुक्त के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों का इक्व्यूपिंग एवं सुदृढीकरण (योजना)	मूल	1,50.00	93.88	93.88	0.00	₹ 66.12 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 56.12 लाख की बचत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निधि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 10.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	10.00				
	पुनर्वि.	(-)66.12				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-01.001.40- झारखंड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना (योजना)	मूल	1,00.00	64.87	64.87	0.00	₹ 47.13 लाख की प्रत्याशित बचत मित्तव्ययिता के उपायों (₹ 35.13 लाख) एवं आऊटसोर्सिंग से कम्प्यूटर ऑपरेटर, लेखा लिपिक एवं कार्यालय प्रबंधक की नियुक्ति नहीं किये जाने (₹ 12.00 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	12.00				
	पुनर्वि.	(-)47,13				
2230-01.101.05- औद्योगिक विवाद के लिये श्रम समझौता मंडल (गैर-योजना)	मूल	2,98.34	2,31.20	2,31.20	0.00	₹ 67.14 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने (₹ 47.96 लाख) एवं विपत्र के प्राप्त नहीं होने (₹ 19.18 लाख)के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)67.14				
2230-01.101.06- श्रम कानूनों का प्रवर्तन तथा प्रशासन (गैर-योजना)	मूल	4,62.13	3,44.13	3,44.13	0.00	₹ 1,18.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹ 1,08.25 लाख) एवं विपत्रों के प्राप्त नहीं होने (₹ 9.59 लाख)के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,18.00				
2230-01.101.07- कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन (गैर-योजना)	मूल	11,76.82	9,82.77	9,82.77	0.00	₹ 1,95.05 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने (₹1,75.35 लाख), विपत्र प्राप्त नहीं होने (₹18.38 लाख) एवं निधि की माँग नहीं किये जाने (₹ 1.32 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	1.00				
	पुनर्वि.	(-)1,95.05				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2230-01.102.01- स्टीम बायलर के निरीक्षक (गैर-योजना)	मूल	77.22	55.47	55.47	0.00	₹ 21.75 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹ 19.24 लाख) एवं विपत्रों के प्राप्त नहीं होने (₹ 2.50 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)21.75				
2230-01.102.02- कारखानों के निरीक्षक (गैर-योजना)	मूल	5,75.94	5,45.68	5,44.75	(-)0.93	₹ 71.26 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने (₹ 32.62 लाख) विपत्र प्राप्त नहीं होने (₹ 5.89 लाख), निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निधि की माँग नहीं किये जाने (₹27.37 लाख) एवं निधि की निकासी नहीं रहने (₹ 5.38 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	41.00				
	पुनर्वि.	(-)71.26				
2230-01.103.01- शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन (गैर-योजना)	मूल	2,51.08	2,22.92	2,22.92	0.00	₹ 28.16 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने (₹ 25.12 लाख), विपत्र पारित नहीं होने (₹ 2.03 लाख) एवं निधि की माँग नहीं किये जाने (₹ 1.01 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28.16				
2230-01.796.01- बाल श्रम आयोग का गठन (योजना)	मूल	50.00	0.32	0.32	0.00	₹ 49.68 लाख की प्रत्याशित बचत बाल श्रम आयोग का विघटन किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)49.68				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-01.796.03- श्रमायुक्त के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों का इक्यूपिंग एवं सुदृढीकरण (योजना)	मूल	1,50.00	1,69.39	1,73.29	+3.90	₹ 40.61 लाख की प्रत्याशित बचत विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 3.90 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	60.00				
	पुनर्वि.	(-)40.61				
2230-01.796.14- श्रम संस्थान की स्थापना (योजना)	मूल	50.00	21.34	21.34	0.00	₹ 28.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28.66				
2230-01.796.38- झारखंड विधान सभा और सचिवालय भवनों में नया कैंटीन की स्थापना (योजना)	मूल	1,50.00	37.19	37.19	0.00	₹ 1,12.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,12.81				
2230-01.796.40- झारखंड कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना (योजना)	मूल	1,00.00	66.39	66.39	0.00	₹ 46.61 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के उपायों (₹ 38.61 लाख) तथा आऊटसोर्सिंग से कम्प्यूटर ऑपरेटर, लेखा लिपिक तथा कार्यालय प्रबंधक की नियुक्ति नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	13.00				
	पुनर्वि.	(-)46.61				
2230-02.101.01- नियोजन सेवा का विस्तार (योजना)	मूल	1,57.00	65.76	65.76	0.00	₹ 91.24 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की कम माँग के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)91.24				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-02.101.04- रोजगार कार्यालय का स्थापना (योजना)	मूल	10,25.96	7,65.36	7,65.36	0.00	₹ 2,60.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की कमी (₹ 2,47.58 लाख) एवं निधि की कम माँग (₹ 13.00 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,60.60				
2230-02.796.01- नियोजन सेवा का विस्तार (योजना)	मूल	4,22.00	2,35.13	2,35.13	0.00	₹ 1,86.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,86.87				
2230-02.796.36- मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना (योजना)	मूल	55.00	3.31	3.31	0.00	₹ 51.69 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने (₹ 43.83 लाख) एवं राँची कोषागार द्वारा विपत्र पर आपत्ति उठाये जाने (₹ 7.86 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)51.69				
2230-03.003.04- तकनीकी शिक्षा निदेशालय का विस्तार (योजना)	मूल	76.06	49.99	49.99	0.00	₹ 26.07 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निधि की माँग नहीं होने (₹ 20.02 लाख) एवं कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं होने (₹ 5.57 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26.07				
2230-03.003.26- मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (योजना)	मूल	30.00	5.16	5.16	0.00	₹ 24.84 लाख की प्रत्याशित बचत मरम्मत के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24.84				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-03.003.38- व्यवसायिक प्रशिक्षण का विस्तार (योजना)	मूल	8,00.00	6,04.20	6,04.20	0.00	₹ 2,25.80 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,50.80 लाख की बचत विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 75.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	30.00				
	पुनर्वि.	(-)2,25.80				
2230-03.101.02- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन-राज्य परिषद् (गैर-योजना)	मूल	22,86.12	17,19.85	17,19.85	0.00	₹ 5,66.27 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं होने (₹ 5,42.92 लाख), (ii) विपत्र प्राप्त नहीं होने (₹ 17.45 लाख) एवं (iii) निधि की माँग नहीं होने (₹ 5.28 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,66.27				
2230-03.102.01- प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना (गैर-योजना)	मूल	1,06.40	65.06	65.06	0.00	₹ 41.34 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पदस्थापना नहीं होने (₹ 35.00 लाख) एवं विपत्र प्राप्त नहीं होने (₹ 4.18 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)41.34				
2230-03.789.39- प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक ढाँचा का आधुनिकीकरण (योजना)	मूल	4,00.00	3,09.65	3,09.65	0.00	₹ 90.35 लाख की प्रत्याशित बचत क्रय प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90.35				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2230-03.796.26- मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम (योजना)	मूल	50.00	21.38	21.38	0.00	₹ 28.62 लाख की प्रत्याशित बचत मरम्मत हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28.62				
2230-03.796.32- शिल्प प्रशिक्षण/शिक्षु का प्रशिक्षण का सुदृढीकरण योजना (योजना)	मूल	65.00	33.70	33.70	0.00	₹ 31.30 लाख की प्रत्याशित बचत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पदस्थापना नहीं होने (₹ 24.23 लाख) एवं विपत्र प्राप्त नहीं होने (₹ 7.07 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31.30				
2230-03.796.38- व्यवसायिक प्रशिक्षण का विस्तार (योजना)	मूल	10,00.00	9,93.27	9,93.27	0.00	₹ 1,56.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	1,50.00				
	पुनर्वि.	(-)1,56.73				
2230-03.796.39- प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ढाँचा का सुदृढीकरण (योजना)	मूल	7,00.00	5,25.97	5,25.97	0.00	₹ 1,74.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,74.03				
2235-60.200.07- गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों को कम्बल एवं वस्त्र का वितरण (योजना)	मूल	6,40.00	10,81.51	10,81.51	0.00	₹ 8,28.52 लाख की प्रत्याशित बचत प्राक्कलित राशि से कम्बलों का मूल्य कम होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	12,70.03				
	पुनर्वि.	(-)8,28.52				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-60.796.07- गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों को कम्बल एवं वस्त्र का वितरण (योजना)	मूल	8,00.00	10,46.84	10,46.84	0.00	₹ 9,79.32 लाख की प्रत्याशित बचत प्राक्कलित राशि से कम्बलों का मूल्य कम होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	12,26.16				
	पुनर्वि.	(-)9,79.32				
2251-00.090.08- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग (गैर-योजना)	मूल	2,85.04	2,39.96	2,39.96	0.00	₹ 10.20 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा ₹ 73.14 लाख की प्रत्याशित बचत क्रमशः विभागीय सचिव हेतु नई मोटरगाड़ी का क्रय किये जाने तथा पदों के रिक्त रहने (₹ 62.65 लाख) एवं विपत्र प्राप्त नहीं होने (₹ 10.49 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	17.86				
	पुनर्वि.	(-)62.94				
2251-00.090.11- सचिवालय कैंटिन स्थापना (गैर-योजना)	मूल	49.01	16.69	16.69	0.00	₹ 32.32 लाख की प्रत्याशित बचत विपत्र प्राप्त नहीं होने (₹ 23.56 लाख) एवं पदों के रिक्त रहने (₹ 8.76 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32.32				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-01.103.11- सामान्य लोक बीमा योजना (योजना)	मूल	42.20	0.00	0.00	0.00	₹ 42.20 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42.20				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-01.796.11- सामान्य लोक बीमा योजना (योजना)	मूल	47.35	0.00	0.00	0.00	भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निधि की माँग नहीं किये जाने के कारण ₹ 47.35 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47.35				
2230-02.101.36- मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना (योजना)	मूल	70.00	0.00	0.00	0.00	केन्द्र सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70.00				
2230-03.003.44- उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (के.यो.यो.)	मूल	2,50.00	0.00	0.00	0.00	केन्द्र सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50.00				
2230-03.003.47 - पी.पी.पी. के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए बायेबिलिटी गैप फंडिंग योजना (योजना)	मूल	1,25.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,25.00				
2230-03.003.51- कौशल विकास प्रोत्साहन योजना (के.यो.यो.)	मूल	25,00.00	0.00	0.00	0.00	केन्द्र सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 25,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25,00.00				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-03.796.44- उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (के.यो.यो.)	मूल	2,50.00	0.00	0.00	0.00	केन्द्र सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50.00				
2230-03.796.47- पी.पी.पी. के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये बायेबिलिटी गैप फंडिंग योजना (योजना)	मूल	75.00	0.00	0.00	0.00	₹ 75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75.00				
2230-03.796.51- कौशल विकास प्रोत्साहन योजना (के.यो.यो.)	मूल	25,00.00	0.00	0.00	0.00	केन्द्र सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 25,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25,00.00				

पूँजी :

- (5) ₹ 22,55.05 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, नवम्बर 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 95.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ; जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 22,46.52 लाख), अंतिम बचत (₹ 22,55.05 लाख) से ₹ 8.53 लाख कम था।

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

(7) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4250-00.203.04- उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	4,00.00	2,02.13	2,02.13	0.00	₹ 1,97.87 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,97.87				
4250-00.203.04- उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (योजना)	मूल	4,00.00	2,02.13	2,02.13	0.00	₹ 1,97.87 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,97.87				
4250-00.789.01- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं अलाईड भवन का निर्माण (योजना)	मूल	1,00.00	26.33	26.33	0.00	₹ 73.67 लाख की प्रत्याशित बचत माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)73.67				
4250-00.796.04- उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	4,00.00	2,65.98	2,65.98	0.00	₹ 1,34.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,34.02				
4250-00.796.04- उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (योजना)	मूल	4,00.00	2,65.98	2,65.98	0.00	₹ 1,34.02 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,34.02				

अनुदान संख्या-26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4250-00.796.08- कार्यरत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन (केन्द्रांश-70: राज्यांश-30) (के.प्रा.यो.)	मूल	3,75.00	93.75	93.75	0.00	₹ 2,81.25 लाख की प्रत्याशित बचत संविदा के लिये प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,81.25				
4250-00.796.08- कार्यरत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आई.टी.आई.के रूप में उन्नयन (योजना)	मूल	3,75.00	93.75	93.75	0.00	₹ 2,81.25 लाख की प्रत्याशित बचत संविदा के लिये प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,81.25				

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4059-01.001.56- बीड़ी मजदूरों के लिये आवास निर्माण (योजना)	मूल	2,47.00	0.00	0.00	0.00	लाभूकों की सूची प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 2,47.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,47.00				
4059-01.796.56- बीड़ी मजदूरों के लिये आवास निर्माण (योजना)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	लाभूकों की सूची प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

अनुदान संख्या-26 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4250-00.203.01- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं अलाईड भवन का निर्माण (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
4250-00.203.07- नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण (योजना)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
4250-00.203.10- मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना (के.यो.यो.)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	केन्द्र सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
4250-00.796.10- मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना (के.यो.यो.)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	केन्द्र सरकार से निधि प्राप्त होने की संभावना नहीं रहने के कारण ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				

अनुदान संख्या- 27- विधि विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2014- न्याय प्रशासन, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,24,31,43	2,95,45,39	2,50,10,04	(-)45,35,35
अनुपूरक	71,13,96			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

46,70,35

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) ₹ 45,35.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 30,99.46 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 93.50 लाख) तथा जनवरी 2017 (₹ 39,21.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 71,13.96 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 46,70.35 लाख), अंतिम बचत (₹ 45,35.35 लाख) से ₹ 1,35.00 लाख अधिक था।
- (3) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2014-00.105.01- सिविल और सेशन्स न्यायालय (गैर-योजना)	मूल	1,91,93.45	2,30,72.92	2,30,78.28	+ 5.36	₹ 30,70.17 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	69,55.00				
	पुनर्वि.	(-)30,75.53				
2014-00.105.03- ग्राम न्यायालय (गैर-योजना)	मूल	2,19.45	23.10	23.10	0.00	₹ 1,96.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,96.35				

अनुदान संख्या-27 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2014-00.114.01- विधि सलाहकार और परामर्शदाता (गैर-योजना)	मूल	2,42.94	2,35.46	2,35.46	0.00	₹ 60.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)
	अनुपूरक	53.50				
	पुनर्वि.	(-)60.98				
2014-00.114.02- निर्धनों को कानूनी सहायता (गैर-योजना)	मूल	6,18.43	3,42.01	3,42.01	0.00	₹ 2,88.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	12.00				
	पुनर्वि.	(-)2,88.42				
2014-00.114.03- सरकारी मुकदमें (गैर-योजना)	मूल	7,65.00	4,35.41	5,65.04	+1,29.63	₹3,29.59 लाख की प्रत्याशित बचत साथ- साथ ₹ 1,29.63 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,29.59				
2014-00.114.04- कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता (ज्यूडीशियल एकेडमी) (गैर-योजना)	मूल	4,24.00	3,51.19	3,51.19	0.00	₹ 1,62.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	89.46				
	पुनर्वि.	(-)1,62.27				
2014-00.114.06- स्थायी लोक अदालत-अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए वाहन भत्ता (गैर-योजना)	मूल	3,00.00	1,51.47	1,51.47	0.00	₹ 1,48.53 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,48.53				
2052-00.090.18- विधि विभाग (गैर-योजना)	मूल	3,75.64	2,38.57	2,38.57	0.00	₹ 1,41.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	4.00				
	पुनर्वि.	(-)1,41.07				

अनुदान संख्या-27 क्रमांत

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2014-00.114.12-14 वें वित्त आयोग की अनुसंशा के आलोक में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के तहत झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार हेतु राशि (गैर-योजना)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	₹1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				
2014-00.116.01-विधि आयोग (गैर-योजना)	मूल	90.60	0.00	0.00	0.00	₹90.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90.60				

विनियोग संख्या- 28- झारखंड उच्च न्यायालय

(मुख्य शीर्ष- 2014 न्याय प्रशासन)

राजस्व :

प्रभारित :

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	67,89,80	70,84,80	58,23,77	(-)12,61,03
अनुपूरक	2,95,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017) :

12,61,49

टीका और टिप्पणियाँ :

- (1) ₹ 12,61.03 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवंबर 2016 (₹ 1,25.00 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 1,70.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,95.00 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2014-00.102.01- उच्च न्यायालय, राँची (गैर-योजना)	मूल	61,03.24	54,41.98	54,42.44	+0.46	₹9,55.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	2,95.00				
	पुनर्वि.	(-)9,56.26				
2014-00.102.03- झारखंड उच्च न्यायालय में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट (गैर-योजना)	मूल	6,86.56	3,81.33	3,81.33	0.00	₹ 3,05.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 3,05.23				

अनुदान संख्या- 29- खनन एवं भूतत्व विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	48,62,27	49,54,83	29,06,36	(-)20,48,47
अनुपूरक	92,56			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

20,48,47

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	7,14,00	7,14,00	0,00	(-)7,14,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

7,14,00

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 20,48.47 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2016 (₹ 8.50 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 2.15 लाख) एवं जनवरी 2017(₹ 81.91 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 92.56 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या-29 क्रमशः

(2) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2853-02.001.01- खनन स्थापना (गैर-योजना)	मूल	21,43.08	11,17.32	11,17.32	0.00	₹ 10,39.06 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	13.30				
	पुनर्वि.	(-)10,39.06				
2853-02.001.01- खनन स्थापना (योजना)	मूल	5,30.00	1,92.59	1,92.59	0.00	₹ 3,37.41 लाख की प्रत्याशित बचत पदवर्ग समिति द्वारा अनुमोदन नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,37.41				
2853-02.102.02- भूतात्विक भेदन एवं प्रयोगात्मक कार्य (योजना)	मूल	8,95.00	2,84.51	2,84.51	0.00	₹ 6,10.49 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,10.49				
3451-00.090.04- खनन एवं भूतत्व विभाग (गैर-योजना)	मूल	1,95.87	1,82.33	1,82.33	0.00	₹ 29.54 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	16.00				
	पुनर्वि.	(-)29.54				

अनुदान संख्या-29 क्रमांत

पूँजी :

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4853-02.004.01- खनन स्थापना- मुख्य निर्माण कार्य (योजना)	मूल	4,64.00	0.00	0.00	0.00	₹4,64.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,64.00				
4853-02.004.03- भूतात्विक अन्वेषण इकाई का जीर्णोद्धार/ सुदृढीकरण (योजना)	मूल	2,50.00	0.00	0.00	0.00	₹2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50.00				

अनुदान संख्या- 30- कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,07,43	2,11,73	1,14,37	(-)97,36
अनुपूरक	4,30			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,09,30,00	1,15,30,00	81,02,49	(-)34,27,51
अनुपूरक	6,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

24,82,02

(मार्च 2017)

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹ 97.36 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2016 (₹ 1.80 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 2.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4.30 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या-30 क्रमशः

(3) बचत (₹10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2250-00.102.01- झारखंड वक्फ न्यायाधिकरण (गैर-योजना)	मूल	37.66	38.66	25.57	(-)13.09	₹13.09 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	1.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2251-00.090.13- झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग (गैर-योजना)	मूल	1,02.86	1,02.86	24.06	(-)78.80	₹ 78.80 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

पूँजी:

- (4) ₹ 34,27.51 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, जनवरी 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 6,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 24,82.02 लाख), अंतिम बचत (₹ 34,27.51 लाख) से ₹ 9,45.49 लाख कम था।
- (6) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-80.277.01- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग-अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण (योजना)	मूल	3,30.00	3.49	3.49	0.00	₹ 3,26.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,26.51				
4225-80.277.02- अल्पसंख्यक छात्राओं के लिये साईकिल योजना (योजना)	मूल	19,50.00	16,97.91	12,06.93	(-)4,90.98	₹2,52.09 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹4,90.98 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,52.09				

अनुदान संख्या-30 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-80.277.03- कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी (योजना)	मूल	11,50.00	9,99.23	9,99.23	0.00	₹1,50.77 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.77				
4225-80.277.12- अल्पसंख्यक जाति के लिए मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (के.प्रा.यो.)	मूल	2,00.00	2,00.00	1,73.91	(-)26.09	₹ 26.09 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं क्रिया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.277.12- अल्पसंख्यक जाति के लिए मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (योजना)	मूल	2,00.00	28.65	28.65	0.00	₹ 1,71.35 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,71.35				
4225-80.796.01- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग-अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं के लिये छात्रावास का निर्माण (योजना)	मूल	3,30.00	1,51.49	1,51.49	0.00	₹ 1,78.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं क्रिया गया है (सितम्बर 2017)
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,78.51				
4225-80.796.02- अल्पसंख्यक छात्राओं हेतु साईकिल योजना (योजना)	मूल	12,80.00	8,05.47	8,05.47	0.00	₹ 4,74.53 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,74.53				
4225-80.796.12- अल्पसंख्यक जाति के लिये मल्टीसेक्टर विकास कार्यक्रम (0907) (योजना)	मूल	3,50.00	4,09.32	4,09.32	0.00	₹ 1,40.68 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	2,00.00				
	पुनर्वि.	(-)1,40.68				

अनुदान संख्या-30 क्रमशः

(7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-80.277.12- अल्पसंख्यक जाति के लिये मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (के.यो.यो.)	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.277.13- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	जिलों से माँग प्राप्त नहीं होने के कारण ₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
4225-80.796.07- अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायक अनुदान (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
4225-80.796.08- हज हाउस का निर्माण (योजना)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
4225-80.796.11- अल्पसंख्यक जाति के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (के.यो.यो.)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-30 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-80.796.13- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को सहायता (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	जिलों से माँग प्राप्त नहीं होने के कारण ₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
4225-80.796.16 अल्पसंख्यक मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति (के.यो.यो.)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.796.17- अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रीक छात्रवृत्ति (के.यो.यो.)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या- 31- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष - 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं)

राजस्व :

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	52,70	78,45	57,83	(-)20,62
अनुपूरक	25,75			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2017) 20,62

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (1) ₹ 20.62 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 5.00 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 0.75 लाख) तथा जनवरी 2017 (₹ 20.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 25.75 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) बचत (₹10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.090.22- संसदीय कार्य विभाग (गैर-योजना)	मूल	52.70	57.83	57.83	0.00
	अनुपूरक	25.75			
	पुनर्वि.	(-)20.62			
₹ 20.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।					

अनुदान संख्या- 32- विधान सभा

(मुख्य शीर्ष - 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	68,24,35	71,08,00	65,68,71	(-)5,39,29
अनुपूरक	2,83,65			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

4,76,90

राजस्व:

प्रभारित :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	33,20	35,20	67,80	+32,60
अनुपूरक	2,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

5,20

टीका एवं टिप्पणियाँ:

दत्तमत:

- (1) ₹ 5,39.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 1,05.63 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 76.50 लाख) तथा जनवरी 2017 (₹ 1,01.52 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,83.65 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,76.90 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,39.29 लाख) से ₹ 62.39 लाख कम था।

अनुदान संख्या-32 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2011-02.103.01-विधान सभा सचिवालय (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,88.45 लाख की बचत, जो कि ₹ 43,55.04 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2011-02.101.05- सदस्यगण (गैर-योजना)	मूल	10,50.06	9,74.33	9,12.82	(-)61.51	मुख्यतः आयकर विभाग के विलंब दाखिल शुल्क के समाशोधन (₹ 10.00 लाख), दूरभाष विपत्रों एवं यात्रा भत्ते (₹5.00 लाख) के कारण ₹ 15.30 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गयी। ₹ 65.33 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 61.51 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	4.90				
	पुनर्वि.	(-)80.63				
2011-02.101.06- विरोधी दल का नेता (गैर-योजना)	मूल	87.04	48.47	48.47	0.00	₹ 42.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	3.50				
	पुनर्वि.	(-)42.07				
2011-02.101.07- सदस्यगण-निःशुल्क रेल एवं भाड़ा कूपन (गैर-योजना)	मूल	9,18.00	7,77.11	7,72.81	(-)4.30	₹ 1,45.19 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,40.89				

अनुदान संख्या-32 क्रमांत

प्रभारित :

- (4) विनियोग से ₹32,60,288 अधिक व्यय हुआ; अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है।
- (5) ₹ 32.60 लाख के अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, नवंबर 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 2.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (6) अधिक व्यय मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2011-02.101.01- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते (प्रभृत्त) (अन्य व्यय, प्रभारी भत्ता, आतिथ्य भत्ता, चिकित्सा भत्ता सहित) (गैर-योजना)	मूल	33.20	30.00	67.80	+37.80	₹ 5.20 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹37.80 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	2.00				
	पुनर्वि.	(-)5.20				

**अनुदान संख्या- 33- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
(कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2220-सूचना एवं प्रचार, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	30,75,69	36,07,53	25,40,88	(-)10,66,65
अनुपूरक	5,31,84			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(17 जनवरी 2017 : 66,31)

10,66,65

(मार्च 2017 : 10,00,34)

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,00,00	2,00,00	2,00,00	0,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ:

दत्तमत:

- (1) ₹ 10,66.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2016 (₹ 85.00 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 65.60 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 3,81.24 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,31.84 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या-33 क्रमांत

- (2) शीर्ष 2070-00.003.05- श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान (स्कीपा) (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 44.05 लाख की बचत, जो कि ₹ 5,61.68 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.090.04- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (गैर-योजना)	मूल	9,12.78	7,90.10	7,90.10	0.00	₹1,31.27 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹1,10.98 लाख की बचत आई.ए.एस. अधिकारियों द्वारा विदेशी प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने (₹ 1,04.30 लाख) तथा विपत्रों की कम प्राप्ति (₹ 6.68 लाख) के कारण हुई थी। ₹20.29 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	8.59				
	पुनर्वि.	(-)1,31.27				
2070-00.104.01- लोकायुक्त का कार्यालय (गैर-योजना)	मूल	2,17.67	1,49.10	1,49.10	0.00	₹71.97 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹18.09 लाख की बचत माननीय लोकायुक्त एवं उनके सचिव की पदस्थापना वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 53.88 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	3.40				
	पुनर्वि.	(-)71.97				
2070-00.796.06- श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान की अवसंरचना (योजना)	मूल	8,00.00	22.11	22.11	0.00-	₹7,77.89 लाख की प्रत्याशित बचत दिनांक 01.03.2017 से महानिदेशक का पद रिक्त रहने तथा निदेशक के छुट्टी पर जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,77.89				

अनुदान संख्या- 34- झारखंड लोक सेवा आयोग

(मुख्य शीर्ष - 2051 लोक सेवा आयोग)

राजस्व :

प्रभारित :

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	7,98,50	8,52,50	7,65,67	(-)86,83
अनुपूरक	54,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

86,83

टीका एवं टिप्पणियाँ

- (1) ₹ 86.83 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, नवम्बर 2016 (₹ 14.00 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 40.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 54.00 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2051-00.102.01- लोक सेवा आयोग (गैर-योजना)	मूल	7,98.50	7,65.67	7,65.67	0.00	₹ 86.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	54.00				
	पुनर्वि.	(-)86.83				

अनुदान संख्या- 35- योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,64,75,93	3,65,68,43	2,70,12,44	(-)95,55,99
अनूपूरक	92,50			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

95,55,99

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,00,00	3,00,00	3,00,00	0,00
अनूपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 95,55.99 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 31.50 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 58.00 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 3.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 92.50 लाख का अनूपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या-35 क्रमशः

(2) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत , जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.090.09- योजना एवं विकास विभाग (विकास आयुक्त सहित) (गैर-योजना)	मूल	7,52.30	4,95.65	4,95.65	0.00	₹ 3,13.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	56.50				
	पुनर्वि.	(-)3,13.15				
2052-00.094.03- योजना तंत्र का सुदृढीकरण (गैर-योजना)	मूल	6,46.84	4,97.18	4,97.18	0.00	₹ 1,85.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	36.00				
	पुनर्वि.	(-)1,85.66				
2053-00.796.17- संविदा भत्ता और परामर्शी शुल्क (नागरिक निबंधन प्रणाली व्यय का सुदृढीकरण) (योजना)	मूल	49.00	14.79	14.79	0.00	₹ 34.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.21				
2053-00.796.34- कैपेसिटी बिल्डींग/ सेमिनार सिम्पोजियम/ डीसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग/इनोभेसन / पी.पी.पी. वर्कशाप/ आदि (योजना)	मूल	8,00.00	5.00	5.00	0.00	₹ 7,95.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,95.00				
2053-00.796.39- विभाग/जिला योजना कार्यालय /जिला सांख्यिकी कार्यालय का सुदृढीकरण (योजना)	मूल	1,30.00	41.95	41.95	0.00	₹ 88.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)88.05				

अनुदान संख्या-35 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2053-00.800.39- विभाग/जिला योजना कार्यालय /जिला सांख्यिकी कार्यालय का सुदृढीकरण (योजना)	मूल	1,20.00	33.38	33.38	0.00	₹ 86.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)86.62				
3454-02.204.02- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सांख्यिकी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सहित) (गैर-योजना)	मूल	13,98.79	11,63.03	11,63.03	0.00	₹ 2,35.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,35.76				
3454-02.204.05- प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र (गैर-योजना)	मूल	1,83.57	1,46.65	1,46.65	0.00	₹ 36.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36.92				
3454-02.204.14- 6वीं आर्थिक गणना का संगठन	मूल	45.08	3.11	3.11	0.00	₹ 41.97 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)41.97				
3454-02.796.03- फसल सांख्यिकी के सुधार के निमित्त योजना (के.यो.यो.)	मूल	55.00	15.05	15.05	0.00	₹ 39.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.95				
3454-02.796.12- सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढीकरण (के.यो.यो.)	मूल	50.00	8.89	8.89	0.00	₹ 41.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)41.11				

अनुदान संख्या-35 क्रमशः

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.094.34- कैपेसिटी बिल्डींग/ सेमिनार सिम्पोजियम/ डीसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग / इनोभेसन/ पी.पी.पी. वर्कशॉप आदि (योजना)	मूल	6,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 6,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				
2053-00.796.24- ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड द्वारा खूटी जिला में नॉलेज सिटी की स्थापना (योजना)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
2053-00.796.25- ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (न्यू सिटी कैपिटल प्रोजेक्ट (योजना)	मूल	50,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50,00.00				
2053-00.796.33- डी.एच.डी.आर./ एस.एच.डी.आर. एवं अन्य के विकास और सांख्यिकी से संबंधित प्रतिवेदन की तैयारी तथा प्रकाशन (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या-35 क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2053-00.796.36 - नये वाहनों का क्रय (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2053-00.796.37- पी.पी.पी. (भाइविलीटी गैप फंडिंग) (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2053-00.796.38- मूल्यांकन/परामर्शी अन्य संविदा सेवा (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
3454-02.204.16- झारखंड राज्य सांख्यिकी योजना का नीतिकरण (जे.एस. एस.एस.पी.) (के.प्रा.यो.)	मूल	1,48.54	0.00	0.00	0.00	₹ 1,48.54 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,48.54				
3454-02.796.16- झारखंड राज्य सांख्यिकी योजना का नीतिकरण (जे.एस. एस.एस.पी.) (के.प्रा.यो.)	मूल	8,84.35	0.00	0.00	0.00	₹ 8,84.35 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,84.35				
3454-02.796.16- झारखंड राज्य सांख्यिकी योजना का नीतिकरण (जे. एस.एस.एस.पी.) (योजना)	मूल	1,30.26	0.00	0.00	0.00	₹ 1,30.26 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,30.26				

अनुदान संख्या- 36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	11,62,21,87	15,48,93,67	13,05,85,64	(-)2,43,08,03
अनुपूरक	3,86,71,80			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 2,43,20,07
 (13 दिसम्बर 2016 : 74,91,16
 मार्च 2017 : 1,68,28,91)

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,80,50,00	2,91,75,00	2,20,96,60	(-)70,78,40
अनुपूरक	11,25,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 71,40,76
 (मार्च 2017)

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व :

- (1) ₹ 2,43,08.03 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 3,00.00 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 2,11,20.80 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 1,72,51.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,86,71.80 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,43,20.07 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,43,08.03 लाख) से ₹ 12.04 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या-36 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2215-01.102.03- हस्तचालित नलकूप, तालाब एवं कुएं-उच्च दाब नलकूप (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 5,24.72 लाख की बचत, जो कि ₹ 81,67.31 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2215-01.101.01- आदित्यपुर जलापूर्ति योजना (गैर-योजना)	मूल	7,26.99	6,30.95	6,30.95	0.00	₹ 1,40.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	44.64				
	पुनर्वि.	(-)1,40.68				
2215-01.101.02- हटिया जलापूर्ति योजना (गैर-योजना)	मूल	6,73.54	7,46.78	7,46.78	0.00	₹ 1,23.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	1,97.00				
	पुनर्वि.	(-)1,23.76				
2215-01.101.04- नगरनिगम की शहरी जलापूर्ति योजना (गैर-योजना)	मूल	34,62.50	28,07.89	28,04.43	(-)3.46	₹ 6,58.07 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,54.61				
2215-01.101.05- आदित्यपुर जलापूर्ति योजना-शुद्ध जलापूर्ति हेतु रसायन (गैर-योजना)	मूल	15.00	15.00	15.00	0.00	₹ 58.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	58.46				
	पुनर्वि.	(-)58.46				
2215-01.101.07- स्वर्णरेखा जलापूर्ति योजना- शुद्ध जलापूर्ति हेतु रसायन (गैर-योजना)	मूल	50.00	1,09.37	1,09.74	+0.37	₹ 2,59.01 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	3,18.75				
	पुनर्वि.	(-)2,59.38				
2215-01.101.08- नगर निगम की शहरी जलापूर्ति योजना- शुद्ध जलापूर्ति हेतु रसायन (गैर-योजना)	मूल	80.00	10.00	10.00	0.00	₹ 70.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70.00				

अनुदान संख्या-36 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2215-01.102.10- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू. पी.) (के.प्रा.यो.)	मूल	1,34,82.00	65,69.04	65,69.06	+0.02	₹ 69,12.94 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)69,12.96				
2215-01.102.10- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू. पी. (योजना)	मूल	62,22.00	44,81.39	44,81.39	0.00	₹ 17,40.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)17,40.61				
2215-01.789.10- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू. पी.) (के.प्रा.यो.)	मूल	25,63.00	13,29.96	13,29.96	0.00	₹ 12,33.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,33.04				
2215-01.789.10- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू. पी.) (योजना)	मूल	23,51.00	12,93.87	12,93.87	0.00	₹ 10,57.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,57.13				
2215-01.796.02- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)	मूल	2,00.00	92.20	92.20	0.00	₹ 1,07.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,07.80				
2215-01.796.10- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू. पी.) (के.प्रा.यो.)	मूल	37,35.00	26,33.00	26,33.00	0.00	₹ 11,02.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,02.00				

अनुदान संख्या-36 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2215-01.796.10- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू पी.) (योजना)	मूल	34,27.00	25,57.30	25,57.30	0.00	₹ 8,69.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,69.70				
2215-01.796.11- ग्रामीण स्वच्छता (एन.बी.ए.) (के.प्रा.यो.)	मूल	1,45,60.80	87,22.92	87,22.92	0.00	₹ 73,37.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	15,00.00				
	पुनर्वि.	(-)73,37.88				
2215-01.796.13- रूरल सेनिटेशन हेतु अनुदान (योजना)	मूल	4,86.00	11.44	11.44	0.00	₹ 4,74.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,74.56				
2215-02.105.01- सरकारी भवनों में जलापूर्ति (गैर-योजना)	मूल	4,81.35	67.29	67.29	0.00	₹ 4,14.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,14.06				
2215-02.105.04- विभागीय भवन (गैर-योजना)	मूल	0.01	49.38	49.38	0.00	₹ 1,94.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	2,43.40				
	पुनर्वि.	(-)1,94.03				

अनुदान संख्या-36 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया है:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2215-01.102.02- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)	मूल	3,00.00	1,29.71	0.00	(-)1,29.71	₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,70.29				
2215-01.102.09- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) शुद्ध जलापूर्ति हेतु रसायन (गैर-योजना)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2215-01.106.13- ग्रामीण स्वच्छता अनुदान (योजना)	मूल	1,98.00	0.00	0.00	0.00	अनुदान की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹ 1,98.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,98.00				
2215-01.789.13- ग्रामीण स्वच्छता हेतु अनुदान (योजना)	मूल	3,16.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,16.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,16.00				

पूँजी :

- (5) ₹ 70,78.40 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2016 (₹ 9,25.00 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 2,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 11,25.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 71,40.76 लाख), अंतिम बचत (₹ 70,78.40 लाख) से ₹ 62.36 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या-36 क्रमांत

(7) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4215-01.102.02- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)	मूल	1,27,22.00	97,02.50	96,92.99	(-)9.51	₹ 32,29.01 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	2,00.00				
	पुनर्वि.	(-)32,19.50				
4215-01.789.02- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)	मूल	51,95.00	22,57.91	22,57.91	0.00	₹ 29,37.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)29,37.09				
4215-01.796.02- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)	मूल	61,33.00	52,64.29	52,99.35	+35.06	₹ 8,93.71 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 35.06 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	25.00				
	पुनर्वि.	(-)8,93.71				

अनुदान संख्या- 37- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (रुं हजार में)	वास्तविक व्यय (रुं हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (रुं हजार में)
मूल	17,99,71	18,04,09	17,77,99	(-)26,10
अनुपूरक	4,38			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

26,10

(17 जनवरी 2017 : 1, 60

मार्च 2017 : 24,50)

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (1) रुं 26.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2016 (रुं 4.33 लाख) एवं जनवरी 2017 (रुं 0.05 लाख) में प्राप्त किया गया रुं 4.38 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) शीर्ष 2053-00.094.08- राजभाषा स्थापना (गैर-योजना) के अन्तर्गत रुं 23.65 लाख की बचत, जो रुं 16,66.90 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।

अनुदान संख्या- 38- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	16,68,97	22,52,11	19,76,82	(-)2,75,29
अनुपूरक	5,83,14			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

2,76,05

टीका एवं टिप्पणियाँ:

- (1) ₹ 2,75.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2016 (₹ 1,01.13 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 4,28.96 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 53.05 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,83.14 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) शीर्ष 2030.03.001.02- जिला प्रचार (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,37.84 लाख की निवल बचत, जो कि ₹ 14,08.75 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2030-02.101.01- केन्द्रीय स्टाम्प भंडार, नासिक रोड से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (गैर-योजना)	मूल	2,00.00	1,39.42	1,39.42	0.00
	अनुपूरक	50.00			
	पुनर्वि.	(-)1,10.58			

अनुदान संख्या- 39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,44,53,05	12,95,30,19	5,25,40,87	(-)7,69,89,32
अनुपूरक	6,50,77,14			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

7,69,55,07

टीका एवं टिप्पणीयाँ :

- (1) ₹ 7,69,89.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 6,50,34.91लाख), नवम्बर 2016 (₹ 33.63 लाख)एवं जनवरी 2017 (₹ 8.60 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 6,50,77.14 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7,69,55.07 लाख), अंतिम बचत (₹ 7,69,89.32 लाख) से ₹ 34.25 लाख कम था।
- (3) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-01.101.07- कृषि इनपुट अनुदान (फसल क्षति 50 प्रतिशत से अधिक)	मूल	22,00.00	23.23	23.23	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)21,76.77			
₹21,76.77 लाख की प्रत्याशित बचत अधियाचना नहीं रहने के कारण हुई थी।					

अनुदान संख्या-39 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-01.102.04- शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति हेतु चापाकलों एवं अन्य जलापूर्ति संरचनाओं की मरम्मत/उन्नयन/ जीणोद्धार	मूल	0.00	5,01.65	4,07.96	(-)93.69	₹ 23,17.76 लाख की प्रत्याशित बचत अधियाचना नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹ 93.69 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	28,19.41				
	पुनर्वि.	(-)23,17.76				
2245-02.101.01- निःसहाय्यों एवं विकलांगों को नगद अनुदान (गैर-योजना)	मूल	50.00	0.00	10.30	+10.30	₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 10.30 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2245-02.101.03- संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान (गैर-योजना)	मूल	6,00.00	55.16	55.16	0.00	₹ 5,44.84 लाख की प्रत्याशित बचत अधियाचना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,44.84				
2245-02.113.02- बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्स्थापना (गैर-योजना)	मूल	35,00.00	1,36.30	1,36.30	0.00	₹ 33,63.70 लाख की प्रत्याशित बचत अधियाचना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33,63.70				
2245-02.113.03- आग से जले मकानों की मरम्मत/पुनर्स्थापना (गैर-योजना)	मूल	1,75.00	84.41	84.41	0.00	₹ 90.59 लाख की प्रत्याशित बचत अधियाचना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90.59				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-02.114.01- कृषि इनपुट अनुदान (फसल क्षति के लिए) (गैर-योजना)	मूल	1,20.00	89.53	88.92	(-)0.61	₹ 30.47 लाख की प्रत्याशित बचत अधियाचना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.47				
2245-80.102.01- विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध (गैर-योजना)	मूल	30,00.00	13,19.97	13,19.97	0.00	₹ 16,80.03 लाख की प्रत्याशित बचत अधियाचना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,80.03				
2245-80.102.02- संचार उपकरणों सहित आवश्यक खोज, बचाव एवं निष्कासन संबंधी उपकरणों की उपलब्धि (गैर-योजना)	मूल	1,00.00	22.61	22.61	0.00	₹ 10,77.39 लाख की प्रत्याशित बचत अधियाचना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	10,00.00				
	पुनर्वि.	(-)10,77.39				
2245-80.102.13- शीतलहरी से प्रभावित निःसहाय्यों को सहायता अनुदान (गैर-योजना)	मूल	2,00.00	54.52	54.52	0.00	₹ 1,45.48 लाख की प्रत्याशित बचत अधियाचना नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,45.48				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-01.101.01- निःसहाय्यों एवं विकलांगों को नगद राहत (गैर-योजना)	मूल	13,00.00	0.00	0.31	+0.31	₹13,00.00 लाख का संपूर्ण प्रावधान अधियाचना नहीं रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया। ₹ 0.31 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,00.00				

अनुदान संख्या-39 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2245-01.101.02- खाद्यान्न की आपूर्ति (गैर-योजना)	मूल	30,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30,00.00 लाख का संपूर्ण प्रावधान अधियाचना नहीं रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30,00.00				
2245-01.101.08- खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु राज्य द्वारा सहायता (गैर-योजना)	मूल	8,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 8,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अधियाचना नहीं रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	8,00.00				
2245-01.101.09- अन्य कार्य हेतु राज्य द्वारा सहायता (गैर-योजना)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	अधियाचना नहीं रहने के कारण ₹ 2,00.00 लाख सम्पूर्ण प्रावधान को अभ्यर्पित किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	2,00.00				
2245-01.104.01- चारे की पूर्ति (गैर-योजना)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान को अधियाचना नहीं रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2245-01.282.01- दवाओं की आपूर्ति (गैर-योजना)	मूल	20,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 20,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान को अधियाचना नहीं रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,00.00				
2245-02.101.02- खाद्यान्न की आपूर्ति (गैर-योजना)	मूल	1,10.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,10.00 लाख का संपूर्ण प्रावधान को अधियाचना नहीं रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,10.00				
2245-02.101.06- अन्य राज्यों के आपदा पीड़ितों को सहायतार्थ (गैर-योजना)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	अधियाचना नहीं रहने के कारण ₹ 5,00.00 लाख का संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

अनुदान संख्या-39 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-02.101.07- अंतर्राज्यीय आपदाग्रस्त व्यक्तियों के लिए वस्त्र/कंबल आदि का वितरण (गैर-योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	अधियाचना नहीं रहने के कारण ₹1,00.00 लाख का संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2245-02.105.01- पशुओं के लिए दवा (गैर-योजना)	मूल	75.00	0.00	0.00	0.00	अधियाचना नहीं रहने के कारण ₹75.00 लाख का संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75.00				
2245-02.282.01- मानव दवाओं की आपूर्ति (गैर-योजना)	मूल	1,02.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,02.00 लाख का संपूर्ण प्रावधान अधियाचना नहीं रहने के कारण अभ्यर्पित हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,02.00				
2245-80.001.18- एस.डी.एस.ए. और डी.डी.एम.ए.के सुदृढीकरण हेतु अनुदान (के.यो.यो.)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,28.00 लाख का संपूर्ण प्रावधान अधियाचना नहीं रहने के कारण अभ्यर्पित हुआ।
	अनुपूरक	1,28.00				
	पुनर्वि.	(-)1,28.00				
2245-80.101.16- 14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अलोक में क्षमता संवर्द्धन (गैर-योजना)	मूल	19,09.99	0.00	0.00	0.00	₹ 19,09.99 लाख का संपूर्ण प्रावधान अधियाचना नहीं रहने के कारण अभ्यर्पित हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,09.99				
2245-80.102.09- अधिकारियों के कोर बहुविषयी समूहों का प्रशिक्षण (गैर-योजना)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹ 60.00 लाख का संपूर्ण प्रावधान अधियाचना नहीं रहने के कारण अभ्यर्पित हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
2245-80.102.12- भूधसान से प्रभावितों को सहायता अनुदान (गैर-योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख का संपूर्ण प्रावधान अधियाचना नहीं रहने के कारण अभ्यर्पित हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या-39 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-80.102.14- अंतर्राज्यीय आपदा के निमित्त राहत शिविर की व्यवस्था (गैर-योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख का संपूर्ण प्रावधान अधियाचना नहीं रहने के कारण अभ्यर्पित हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2245-80.800.17- एस.डी.आर.एफ. निधि से निवेश (गैर-योजना)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,40,00.00 लाख का संपूर्ण प्रावधान अधियाचना नहीं रहने के कारण अभ्यर्पित हुआ।
	अनुपूरक	5,40,00.00				
	पुनर्वि.	(-)5,40,00.00				

(5) राज्य आपदा मोचन निधि:

राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) एक कोष है, जिसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 48(1) (ए) के अधीन किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 46 के अधीन किसी भी प्रकार के आपदा से संबंधित परिस्थितियों अथवा आपदा से निपटने के लिए किया गया है।

14वें वित्त आयोग द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के लिए निधि का प्रावधान करने की अनुशंसा की गई, जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधान एवं 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-33-5/2015-एन.डी.एम.-1 दिनांक 30.07.2015 के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि तथा राज्य स्तर पर राज्य आपदा मोचन निधि के प्रशासन एवं गठन के लिए दिशा निर्देश तैयार किया।

निधि में भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा, जबकि 25 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार को करना है। योजना में यह शर्त भी है कि निधि में होने वाले वृद्धि का निवेश के निवेश से अर्जित आय के साथ, भारत सरकार द्वारा जारी उसके विपरीत अनुदेशों तक, निम्नलिखित में से एक अथवा एक से अधिक साधनों में किया जाना चाहिए:

- (क) केन्द्रीय सरकार के दिनांकित प्रतिभूति;
- (ख) नीलाम किए गए खजाना विपत्रों;
- (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा सर्टिफिकेट; और
- (घ) सहकारी बैंकों में ब्याज वाले जमा

अनुदान संख्या-39 क्रमांत

केन्द्र एवं राज्य से निधि का वर्षवार आवंटन नीचे दर्शाया गया है:-

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	जोड़
	(₹ करोड़ में)					
केन्द्रांश (75 प्रतिशत)	2,73.00	2,86.50	3,00.75	3,15.75	3,31.50	15,07.50
राज्यांश (25 प्रतिशत)	91.00	95.50	1,00.25	1,05.25	1,10.50	5,02.50
जोड़	3,64.00	3,82.00	4,01.00	4,21.00	4,42.00	20,10.00

वर्ष 2016-17 के लिए, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्र संख्या-एफ 23(40)2015 एफ.सी. डी.-दिनांक 18 अप्रैल 2016 एवं एफ. 23(40) 2015 / एफ.सी.डी. दिनांक 03 फरवरी 2017 के द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किश्त, प्रत्येक के लिए ₹ 1,43.25 करोड़ के रूप में विमुक्त किया। फिर भी, राज्य सरकार ने वर्ष 2009-10 के लिए द्वितीय किश्त (₹53.16 करोड़ का केन्द्रांश तथा ₹ 17.72 करोड़ का राज्यांश) के रूप में ₹ 70.88 करोड़, स्वीकृति आदेश सं-02/आ.प्र.-101/2011-150 (स्वी.)/आ.प्र./राँची दिनांक 30 सितंबर 2016 के द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि में स्थानान्तरण हेतु संस्वीकृति प्रदान किया तथा वर्ष 2016-17 के लिए प्रथम एवं द्वितीय किश्त दोनों (₹ 143.25 करोड़ का केन्द्रांश तथा ₹ 47.75 करोड़ का राज्यांश) तथा (₹ 143.25 करोड़ का केन्द्रांश तथा ₹ 47.75 करोड़ का राज्यांश) स्वीकृति आदेश संख्या 02/आ.प्र.-101/2011-138 (स्वी.) /आ.प्र./ राँची, दिनांक 09 सितंबर 2016 तथा 02/आ.प्र.-101/2011-65 (आ.)आ.प्र., राँची, दिनांक 07 मार्च 2017 द्वारा संस्वीकृति प्रदान किया। अतः वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 452.87 करोड़ राज्य आपदा मोचन निधि में जमा किया गया।

वर्ष 2016-17 के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार, राँची ने राज्य आपदा मोजन निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) समिति की सहमति से संस्वीकृति प्रदान किया। (i) स्वीकृत्यादेश, (ii) राज्य आपदा मोचन निधि समिति का अनुमोदन एवं (iii) वित्त लेखे के अनुसार वर्ष के दौरान किये गए वास्तविक व्यय के जाँचोपरांत वर्ष 2016-17 से संबंधित ₹ 70.13 करोड़ राज्य आपदा मोचन निधि से समायोजन हेतु मापदण्डों को पूरा करने के लिए था। तदनुसार वर्ष 2016-17 के लेखे के दौरान मुख्य शीर्ष “2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत” को प्रतिस्पर्शी घटाव नामे के द्वारा निधि में ₹ 70.13 करोड़ नामे किया गया।

अतः 31 मार्च 2017 को राज्य आपदा मोचन निधि का अन्त शेष ₹ 1259.21 करोड़ हुआ।

**अनुदान संख्या- 40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2029- भू-राजस्व, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, 2053- जिला प्रशासन, 2506- भूमि सुधार, 3454- जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ, 3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4059- लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय, 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,08,56,33	5,25,55,77	3,64,44,05	(-)1,61,11,72
अनुपूरक	16,99,44			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

1,61,11,21

पूँजी:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	27,12,46	27,12,46	26,54,32	(-)58,14
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

2,46

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹ 1,61,11.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 14,31.08 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 2,54.69 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 13.67 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 16,99.44 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या-40 क्रमशः

(3) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2029-00.102.05- आदिवासियों को जमीन की वापसी/ अधिग्रहण (योजना)	मूल	74.00	5.77	5.77	0.00	₹ 68.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)68.23				
2029-00.102.14- भू-सम्बन्धी नक्शा एवं अन्य अभिलेखों का मुद्रण (योजना)	मूल	3,70.00	1,16.68	1,16.68	0.00	₹ 2,53.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,53.32				
2029-00.102.15- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्यों का पुनरीक्षण (गैर-योजना)	मूल	30,52.08	19,70.28	19,70.55	+0.27	₹ 10,93.08 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	11.55				
	पुनर्वि.	(-)10,93.35				
2029-00.102.19- बाह्य स्रोत से अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता हेतु (योजना)	मूल	3,70.00	1,95.15	1,95.15	0.00	₹ 1,74.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,74.85				
2029-00.102.20- मशीन, उपकरण एवं उपस्कर इत्यादि (योजना)	मूल	3,70.00	5,00.61	5,00.34	(-)0.27	₹ 73.95 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	2,04.29				
	पुनर्वि.	(-)73.68				
2029-00.103.01- भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (के.यो.यो.)	मूल	74,74.00	1,28.56	1,28.56	0.00	₹ 73,45.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 73,45.44				

अनुदान संख्या-40 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2029-00.104.01- राजस्व प्रशासन पर व्यय (उड़न दस्ता एवं सैरात रेमिशन कमिटी सहित (गैर-योजना)	मूल	2,11,03.36	1,82,83.74	1,82,83.23	(-)0.51	₹ 28,43.98 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	23.85				
	पुनर्वि.	(-)28,43.47				
2029-00.796.14- भू-सम्बन्धी नक्शा एवं अन्य अभिलेखों का मुद्रण (योजना)	मूल	1,30.00	38.63	38.63	0.00	₹ 91.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)91.37				
2029-00.796.19- बाह्य स्रोत से अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता हेतु (योजना)	मूल	1,30.00	86.35	86.35	0.00	₹ 43.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)43.65				
2052-00.092.04- भू अर्जन संबंधी स्थापना प्रभार (गैर-योजना)	मूल	12,60.89	7,87.11	7,87.11	0.00	पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 28.00 लाख के प्रावधान में कटौती एवं ₹ 4,50.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	5.04				
	पुनर्वि.	(-)4,78.82				
2052-00.099.01- सामान्य विभाग (गैर-योजना)	मूल	2,57.15	2,10.45	2,10.45	0.00	₹ 50.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	4.05				
	पुनर्वि.	(-)50.75				

अनुदान संख्या-40 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.099.04- भू-अभिलेख निदेशालय एवं सर्वेक्षण (गैर-योजना)	मूल	93.70	55.22	55.22	0.00	₹ 38.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)38.48				
2053-00.093.01- जिला प्रशासन (गैर-योजना)	मूल	76,61.31	58,73.83	58,73.83	0.00	₹ 17,97.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	10.12				
	पुनर्वि.	(-)17,97.60				
2053-00.094.01- अनुमण्डलीय स्थापना (गैर-योजना)	मूल	41,00.61	32,30.07	32,30.07	0.00	₹ 8,81.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	11.35				
	पुनर्वि.	(-)8,81.89				
2053-00.094.04- प्रमाणपत्र स्थापना (गैर-योजना)	मूल	2,80.29	1,83.85	1,83.85	0.00	₹ 96.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)96.44				
2053-00.094.05- प्रक्रियापालक स्थापना (गैर-योजना)	मूल	5,52.71	4,63.19	4,63.19	0.00	₹ 89.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)89.52				
2053-00.101.01- मुख्य कार्यालय (गैर-योजना)	मूल	7,77.37	5,59.77	5,59.77	0.00	₹ 2,18.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	1.00				
	पुनर्वि.	(-)2,18.60				

अनुदान संख्या-40 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2070-00.115.03- सर्किट भवन (गैर-योजना)	मूल	3,69.09	2,96.90	2,96.90	0.00	₹ 75.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	3.00				
	पुनर्वि.	(-)75.19				
3454-01.001.01- कृषि गणना (के.यो.यो.)	मूल	2,17.00	13.99	13.99	0.00	₹ 2,85.55 लाख की प्रत्याशित बचत (i) कृषि गणना से संबंधित केवल मुद्रण कार्य पूरा किये जाने तथा जिला द्वारा निधि की माँग नहीं किये जाने के कारण मानदेय का भुगतान नहीं होने (₹ 2,51.66 लाख), (ii) विपत्र पारित किये जाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने (₹4.50 लाख) एवं (iii) विमुक्त राशि के अंतर्गत ही निधि की निकासी किये जाने (₹ 29.39 लाख)के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	82.54				
	पुनर्वि.	(-)2,85.55				

पूंजी :

- (4) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2.46 लाख), अंतिम बचत (₹ 58.14 लाख) से ₹ 55.68 लाख कम था।
- (5) शीर्ष 4047-00.800.05- राजस्व प्रशासन के अन्तर्गत अंचल कार्यालय/निबंधन कार्यालय/राजस्व कचहरी/ दामिन बंगला एवं अंचलाधिकारी आवास का निर्माण/ जीर्णोद्धार (योजना)के अन्तर्गत ₹ 61.34 लाख की बचत, जो कि ₹ 14,80.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।

अनुदान संख्या- 41- पथ निर्माण विभाग

(मुख्य शीर्ष- 3054-सड़क तथा सेतु, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,91,96,02	3,07,42,30	2,28,68,60	(-)78,73,70
अनुपूरक	15,46,28			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

52,70,99

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	39,94,33,88	43,04,88,88	42,92,34,09	(-)12,54,79
अनुपूरक	3,10,55,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

23,46,41

टीका और टिप्पणियां :

राजस्व :

- (1) ₹ 78,73.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 में प्राप्त किया गया ₹15,46.28 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 52,70.99 लाख), अंतिम बचत (₹78,73.70 लाख) से ₹ 26,02.71 लाख कम था।

अनुदान संख्या-41 क्रमशः

(3) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो, मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3054.01.337.01- राष्ट्रीय उच्च पथों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (गैर-योजना)	मूल	14,75.00	21,26.03	4.27	(-)21,21.76	₹ 29,95.73 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	15,25.00				
	पुनर्वि.	(-)8,73.97				
3054.03.337.01- सड़क निर्माण कार्य (गैर-योजना)	मूल	1,50,00.00	1,18,36.90	1,15,80.90	(-)2,56.00	₹31,63.10 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹24.70 लाख मात्र की बचत आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब फाइलिंग शुल्क के भुगतान के कारण हुई थी। ₹ 31,38.40 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 2,56.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31,63.10				
3054.80.001.01- निदेशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)	मूल	10,31.75	8,35.33	8,24.75	(-)10.58	₹2,07.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,96.42				
3054.80.001.03- अनुश्रवण (गैर-योजना)	मूल	2,50.00	97.66	75.23	(-)22.43	₹ 1,74.77 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,52.34				
3054.80.001.04- अधीक्षण (गैर-योजना)	मूल	7,84.02	6,92.97	6,36.68	(-)56.29	₹ 1,47.34 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)91.05				

अनुदान संख्या-41 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
3054.80.001.05- निरूपण (गैर-योजना)	मूल	6,75.48	5,64.01	5,13.52	(-)51.49	₹1,64.51 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	1.55				
	पुनर्वि.	(-)1,13.02				
3054.80.001.06- राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-निदेशन (गैर-योजना)	मूल	1,36.93	1,01.15	1,00.49	(-)0.66	₹ 35.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35.78				
3054.80.001.07- राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-अधीक्षण (गैर-योजना)	मूल	2,06.05	1,59.07	1,59.07	0.00	₹49.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	2.50				
	पुनर्वि.	(-)49.48				
3054.80.001.08- राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-कार्य सम्पादन (गैर-योजना)	मूल	17,30.66	15,51.15	15,24.04	(-)27.11	आय कर अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब फाइलिंग शुल्क भुगतान किये जाने के कारण ₹2.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 1,82.01 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 27.11 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,79.51				

अनुदान संख्या-41 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3054.80.001.09- अग्रिम योजना स्थापना (गैर-योजना)	मूल	7,00.72	5,81.30	5,57.18	(-)24.12	पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 2.00 लाख मात्र के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 1,20.65 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 24.12 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	3.23				
	पुनर्वि.	(-)1,22.65				
3054.80.796.03- अनुश्रवण (गैर-योजना)	मूल	3,16.12	85.50	66.27	(-)19.23	₹ 2,49.85 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,30.62				
3451.00.090.12- पथ निर्माण विभाग (गैर-योजना)	मूल	1,89.60	1,61.63	1,61.63	0.00	(i) कार्यरत बल में वृद्धि (₹ 2.00 लाख) तथा (ii) पदाधिकारियों की नियुक्ति (₹ 2.14 लाख) के कारण ₹ 4.14 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹32.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27.97				

अनुदान संख्या-41 क्रमशः

पूँजी :

- (4) ₹12,54.79 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2017 में प्राप्त किया गया ₹3,10,55.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 23,46.41 लाख), अंतिम बचत (₹ 12,54.79 लाख) से ₹ 10,91.62 लाख अधिक था।
- (6) शीर्ष 5054.03.337.01-वृहद् सड़कें (योजना), 5054.03.796.01- वृहद् सड़के (योजना) एवं 5054.03.796.10-बीओटी (एनयूटी) परियोजना के एनयूटी भुगतान (योजना) के अन्तर्गत ₹ 92,69.86 लाख, ₹ 7,70.09 लाख और ₹ 9,10.10 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 13,85,30.14 लाख, ₹ 19,92,29.91 लाख तथा ₹ 3,49,03.78 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5054.03.337.02- केन्द्रीय सड़क कोष (योजना)	मूल	0.00	87,79.64	73,74.24	(-)14,05.40	₹ 16,25.76 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	90,00.00				
	पुनर्वि.	(-)2,20.36				
5054.03.796.03- पुल (योजना)	मूल	1,00,00.00	94,83.05	93,89.23	(-)93.82	₹ 6,10.77 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,16.95				
5054.03.796.06- मशीन एवं उपकरण (योजना)	मूल	1,80.00	1,15.12	1,15.12	0.00	₹ 64.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)64.88				

अनुदान संख्या-41 क्रमशः

(7) निम्नलिखित मामले में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5054.03.052.06- मशीन एवं उपकरण (योजना)	मूल	1,40.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,40.00				

(8) निम्नलिखित मामले में, बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5054.03.799.01- विविध निर्माण कार्य अग्रिम (योजना)	मूल	0.00	0.00	28,85.09	+28,85.09	₹ 28,85.09 लाख के बिना बजट प्रावधान के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(9) उचत लेन-देन :

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ 28,85.09 लाख (निवल) का उपयोग “उचत” शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किया गया, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देन में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई हैं :-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम -इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत के नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

अनुदान संख्या-41 क्रमशः

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान हुए लेने-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2016 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2017 को अन्तशेष
(₹ लाख में)					
(i) 3054-सड़क तथा सेतु					
विविध निर्माण	4,77.61	0.00	0.00	0.00	4,77.61
कार्य अग्रिम					
जोड़	4,77.61	0.00	0.00	0.00	4,77.61
(ii) 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय					
स्टॉक	(-) 1.26	0.00	0.00	0.00	(-) 1.26
विविध निर्माण	5,96,07.33	28,85.09	0.00	28,85.09	6,24,92.42
कार्य अग्रिम					
जोड़	5,96,06.07	28,85.09	0.00	28,85.09	6,24,91.16

(10) केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान :-

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्पिरिट पर उत्पाद शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों से लिया जाता है। इस निधि में अन्तरण के लिए प्रत्येक वर्ष स्वीकृत किये गए राशि केन्द्रीय सरकार के लेखे में मुख्य शीर्ष “3054-सड़क तथा सेतु” में प्रतिस्पर्शी नामें द्वारा शीर्ष “8224-केन्द्रीय सड़क निधि” में जमा की जाती है। इस राशि में से 80 प्रतिशत राज्य सरकार को आवंटित की जाती है। इस निधि से आवंटन तथा उनमें से व्यय के लिए लेखाकरण प्रक्रिया निम्नलिखित है :-

राज्य सरकार की अंतर्गत राशि केन्द्रीय बुक में मुख्य शीर्ष ‘3601-राज्य सरकार को सहायक अनुदान’ में डेबिट किया जाता है। प्राप्त की गई राशि को राज्य सरकार के लेखे में शीर्ष “1601-केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान” में क्रेडिट किया जाता है। प्राप्त की गई आवंटित राशि शीर्ष “3054-सड़क तथा सेतु, 80-सामान्य, 797-आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण” में प्रतिस्पर्शी नामें द्वारा शीर्ष “8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान” में जमा किया जाता है।

योजनाओं पर हुए वास्तविक व्यय को प्रारंभ में शीर्ष ‘3054/5054’ में पुस्तकित किया जाता है एवं अन्ततः केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत शीर्ष “8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान” के शेष से किया जाता है इसे मुख्य शीर्ष “3054/5054 लघु शीर्ष, 902-जमा शीर्ष से पूरी की गई राशि” में प्रतिस्पर्शी ऋणात्मक डेबिट द्वारा शीर्ष “8449-अन्य जमा” में डेबिट करते हुए लेखांकित किया जाता है।

राज्य सरकार ने निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया। यद्यपि, वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार से ₹1,10,55.00 लाख प्राप्त किया। शीर्ष “8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान” में अन्तरण के लिए “शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, 797-आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण” के अन्तर्गत अनुपूरक बजट,

अनुदान संख्या-41 क्रमांत

2017-18 में समुचित बजट प्रावधान किए जाने हेतु इस मामले को सड़क निर्माण विभाग तथा वित्त विभाग के समक्ष रक्षा गया है।

(11) पथ निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर की समीक्षा:

लोक निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभागों में से अन्य व्यय सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती है तथा शेष को लेखे के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अन्तर्गत अभिलिखित निर्माण-कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 तक के प्रभागों को तथा इन वर्षों के निर्माण-कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशत ता को दर्शाती है:-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण-कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभागों की प्रतिशतता (₹ लाख में)	मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार	निर्माण-कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार की प्रतिशतता
2014-15	22,42,05.70	1,19,11.00	5.31	3.51	0.00
2015-16	34,13,64.62	1,92,52.55	5.64	5,66.12	0.17
2016-17	34,78,58.86	1,09,80.49	2.50	115.12	0.03

अनुदान संख्या- 42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष - 2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम, 2505-ग्राम रोजगार, 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	43,85,45,91	47,23,25,41	34,69,80,15	(-)12,53,45,26
अनुपूरक	3,37,79,50			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

11,10,79,60

पूंजी:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,34,59,66	5,66,36,78	5,30,94,15	(-)35,42,63
अनुपूरक	31,77,12			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

32,21,87

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व :

- (1) ₹ 12,53,45.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2016 (₹ 1.53 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 3,35,56.47 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 2,21.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,37,79.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 11,10,79.60 लाख), अंतिम बचत (₹12,53,45.26 लाख) से ₹ 1,42,65.66 लाख कम था।

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2501-02.101.06- जलछाजन योजना-नाबार्ड (योजना), 2501-02.796.06- जलछाजन योजना-नाबार्ड (योजना), 2505-01.702.02-इंदिरा आवास योजना-सामान्य के लिये योजना (योजना) एवं 2505-01.789.02-इंदिरा आवास योजना सामान्य के लिये योजना (के.प्रा.यो.) के अन्तर्गत ₹ 2,34.22 लाख, ₹1,72.08 लाख, ₹ 6,43.77 लाख एवं ₹ 2,27.40 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 34,68.22 लाख, ₹ 25,48.08 लाख, ₹ 2,26,38.00 लाख एवं ₹ 1,03,95.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-02.101.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.यो.)	मूल	42,36.88	20,16.32	20,16.32	0.00	₹ 22,20.56 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 3,68.36 लाख की बचत केन्द्रांश विमुक्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹18,52.20 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22,20.56				
2501-02.101.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (योजना)	मूल	28,25.00	13,44.21	13,44.21	0.00	₹ 14,80.79 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश विमुक्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,80.79				
2501-02.101.07- उद्वह सिंचाई योजना (योजना)	मूल	49,00.00	9,80.00	9,80.00	0.00	₹ 39,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39,20.00				
2501-02.789.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.यो.)	मूल	12,97.00	4,95.20	4,95.20	0.00	₹8,01.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,01.80				

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-02.789.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (योजना)	मूल	8,64.80	3,30.13	3,30.13	0.00	₹ 5,34.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,34.67				
2501-02.789.07- उद्वह सिंचाई योजना (योजना)	मूल	15,00.00	3,00.00	3,00.00	0.00	₹ 12,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,00.00				
2501-02.796.03- सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम-जलछाजन निदेशालय (योजना)	मूल	1,70.00	85.21	85.21	0.00	₹ 90.41 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	5.62				
	पुनर्वि.	(-)90.41				
2501-02.796.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.यो.)	मूल	31,13.32	11,26.48	11,26.48	0.00	₹ 23,36.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)
	अनुपूरक	3,50.00				
	पुनर्वि.	(-)23,36.84				
2501-02.796.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (योजना)	मूल	24,25.00	7,50.98	7,50.98	0.00	₹ 16,74.02 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश विमुक्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,74.02				
2501-02.796.07- उद्वह सिंचाई योजना (योजना)	मूल	36,00.00	7,20.00	7,20.00	0.00	₹ 28,80.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28,80.00				

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-06.101.05- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिये योजना (योजना)	मूल	58,80.00	76,20.49	76,20.49	0.00	₹ 12,97.51 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश विमुक्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	30,38.00				
	पुनर्वि.	(-)12,97.51				
2501-06.101.13- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (योजना)	मूल	3,50.00	2,57.18	2,57.18	0.00	₹ 2,57.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)92.82				
2501-06.101.14- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	40,00.00	10,70.00	10,70.00	0.00	₹ 30,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	70.00				
	पुनर्वि.	(-)30,00.00				
2501-06.789.05- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिये योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	27,00.00	17,89.48	17,89.48	0.00	₹ 9,10.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,10.52				
2501-06.789.05- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिये योजना (योजना)	मूल	18,00.00	23,39.86	23,39.86	0.00	₹ 3,90.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	9,30.00				
	पुनर्वि.	(-)3,90.14				
2501-06.789.11- माइक्रोडीप सिंचाई योजना पर बागवानी में रूकावट पर पहल (योजना)	मूल	2,10.00	90.00	90.00	0.00	₹ 1,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,20.00				

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-06.796.04- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगहार योजना-डी.आर. डी.ए. प्रशासन (के.प्रा.यो.)	मूल	13,09.00	5,01.89	5,01.89	0.00	₹ 8,07.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,07.11				
2501-06.796.04- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी.आर.डी.ए. प्रशासन (योजना)	मूल	8,58.00	5,11.51	5,11.51	0.00	₹ 3,46.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,46.49				
2501-06.796.05- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-सामान्य के लिये योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	64,80.00	42,94.75	42,94.75	0.00	₹ 21,85.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)21,85.25				
2501-06.796.05- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-सामान्य के लिये योजना (योजना)	मूल	43,20.00	56,12.07	56,12.07	0.00	₹ 9,39.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	22,32.00				
	पुनर्वि.	(-)9,39.93				
2501-06.796.10- विभाग का कम्प्यूटरीकरण (योजना)	मूल	2,45.00	15.74	15.74	0.00	₹ 2,29.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,29.26				
2501-06.796.11- माइक्रोडीप सिंचाई योजना पर बागवानी में रूकावट पर पहल (योजना)	मूल	5,04.00	2,16.00	2,16.00	0.00	₹ 2,88.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,88.00				

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-06.796.13- प्रखण्ड प्रशासन (योजना)	मूल	6,00.00	5,27.13	5,27.13	0.00	₹ 72.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.87				
2501-06.796.14- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	10,00.00	5,29.00	5,29.00	0.00	₹ 5,76.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	1,05.00				
	पुनर्वि.	(-)5,76.00				
2501-06.796.14- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन योजना (योजना)	मूल	2,00.00	30.00	30.00	0.00	₹ 1,70.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,70.00				
2501-06.800.04- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी.आर.डी.ए. प्रशासन (के.प्रा.यो.)	मूल	10,31.00	4,90.86	4,90.86	0.00	₹ 5,40.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,40.14				
2501-06.800.04- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना डी.आर.डी.ए. प्रशासन (योजना)	मूल	7,02.00	3,98.93	3,98.93	0.00	₹ 3,03.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,03.07				
2501-06.800.05- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिये योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	88,20.00	58,45.64	58,45.64	0.00	₹ 29,74.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)29,74.36				

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2501-06.800.11- माइक्रोडीप सिंचाई योजना पर बागवानी में रूकावट पर पहल (योजना)	मूल	6,86.00	2,94.00	2,94.00	0.00	₹ 3,92.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,92.00				
2505-01.789.02- ईदिरा आवास योजना- सामान्य के लिये योजना (योजना)	मूल	69,30.00	61,40.39	61,40.39	0.00	₹ 7,89.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,89.61				
2505-01.796.01- नरेगा-मुख्यालय स्थापना (योजना)	मूल	1,50.00	99.69	99.69	0.00	₹ 72.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	22.00				
	पुनर्वि.	(-)72,31				
2505-02.101.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के.प्रा.यो.)	मूल	9,34,92.00	6,81,32.32	6,81,32.32	0.00	₹ 2,53,59.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,53,59.68				
2505-02.101.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (योजना)	मूल	1,03,88.00	1,65,49.43	1,65,49.43	0.00	₹ 65,61.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	1,27,23.32				
	पुनर्वि.	(-)65,61.89				
2505-02.101.05- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (योजना)	मूल	5,24.50	5.27	5.27	0.00	₹ 5,19.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,19.23				

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2505-02.789.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के.प्रा.यो.)	मूल	2,86,20.00	2,08,56.83	2,08,56.83	0.00	₹ 77,63.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)77,63.17				
2505-02.789.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (योजना)	मूल	31,80.00	50,66.15	50,66.15	0.00	₹ 20,08.75 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश विमुक्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	38,94.90				
	पुनर्वि.	(-)20,08.75				
2505-02.796.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के.प्रा.यो.)	मूल	6,86,88.00	5,00,56.40	5,00,56.40	0.00	₹ 1,86,31.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,86,31.60				
2505-02.796.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (योजना)	मूल	76,32.00	1,21,58.77	1,21,58.77	0.00	₹ 48,20.98 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश विमुक्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	93,47.75				
	पुनर्वि.	(-)48,20.98				
2505-02.796.05- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (योजना)	मूल	10,18.00	6.80	6.80	0.00	₹ 10,11.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,11.20				

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2515-00.102.10- उत्तर प्रक्रम- 2 प्रखण्ड (गैर-योजना)	मूल	2,03,39.51	1,78,27.79	1,78,28.03	+0.24	₹ 25,14.51 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	3.03				
	पुनर्वि.	(-)25,14.75				
2515-00.796.09- कर्मचारियों पर प्रशिक्षण व्यय (योजना)	मूल	3,80.34	2,94.30	2,94.30	0.00	₹ 1,26.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	40.88				
	पुनर्वि.	(-)1,26.92				
2515-00.796.40- उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड (योजना)	मूल	1,00.00	4.20	4.20	0.00	₹ 95.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)95.80				

(4) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2501-02.101.08- नीरांचल योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	4,61.30	0.00	0.00	0.00	₹4,61.30 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,61.30				
2501-02.101.08- नीरांचल योजना (योजना)	मूल	3,08.00	0.00	0.00	0.00	₹3,08.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,08.00				

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-02.789.08- नीरांचल योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	1,41.50	0.00	0.00	0.00	₹ 1,41.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,41.50				
2501-02.789.08- नीरांचल योजना (योजना)	मूल	94.00	0.00	0.00	0.00	₹ 94.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)94.00				
2501-02.796.08- नीरांचल योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	3,39.20	0.00	0.00	0.00	₹ 3,39.20 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,39.20				
2501-02.796.08- नीरांचल योजना (योजना)	मूल	2,26.00	0.00	0.00	0.00	केद्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 2,26.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,26.00				
2501-06.101.12- युवा कौशल विकास (योजना)	मूल	1,47.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,47.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,47.00				

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2501-06.789.09- एस.एच.जी. ऋण परिक्षण योजना (योजना)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2501-06.789.12- युवा कौशल विकास (योजना)	मूल	45.00	0.00	0.00	0.00	₹ 45.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.00				
2501-06.796.09- एस.एच.जी. ऋण परिक्षण योजना (योजना)	मूल	72.00	0.00	0.00	0.00	₹ 72.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.00				
2501-06.796.12- युवा कौशल विकास (योजना)	मूल	1,08.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,08.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,08.00				
2501-06.800.09- एस.एच.जी. ऋण परिक्षण योजना (योजना)	मूल	98.00	0.00	0.00	0.00	₹ 98.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)98.00				

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2505-01.796.02- इंदिरा आवास योजना- सामान्य के लिये योजना (योजना)	मूल	1,66,32.00	1,42,65.90	0.00	(-)1,42,65.90	₹ 1,66,32.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)23,66.10				
2515-00.102.28- उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड-आदर्श ग्राम योजना (योजना)	मूल	9,80.00	0.00	0.00	0.00	₹ 9,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,80.00				
2515-00.102.43- मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना (योजना)	मूल	49.00	0.00	0.00	0.00	₹ 49.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)49.00				
2515-00.789.28- उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड-आदर्श ग्राम योजना (योजना)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2515-00.796.28- उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड-आदर्श ग्राम योजना (योजना)	मूल	7,20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 7,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,20.00				
2515-00.796.43- मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना (योजना)	मूल	36.00	0.00	0.00	0.00	₹ 36.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36.00				

अनुदान संख्या-42 क्रमशः

पूँजी :

- (5) ₹ 35,42.63 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, जनवरी 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 31,77.12 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता है।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 32,21.87 लाख), अंतिम बचत (₹ 35,42.63 लाख) से ₹ 3,20.76 लाख कम था।
- (7) शीर्ष 4515-00.796.39- प्रखण्ड भवन-मुख्य निर्माण कार्य (योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,25.64 लाख की बचत, जो कि ₹ 1,10,00.00 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4515-00.796.40- विधायक योजना (योजना)	मूल	1,90,08.00	1,58,40.00	1,57,08.48	(-)1,31.52	₹32,99.52 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31,68.00				

(8) उंचत लेन-देन

- (क) इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कोई भी राशि शीर्ष 'उंचत', जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है, के अन्तर्गत लेखांकित नहीं किया गया था। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम :- इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियां से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

अनुदान संख्या-42 क्रमांत

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2016 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2017 का अन्तशेष
(₹ लाख में)					
2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
जोड़	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	1,69.16	0.00	0.00	0.00	1,69.16
जोड़	1,69.16	0.00	0.00	0.00	1,69.16

अनुदान संख्या- 43- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2203-तकनीकी शिक्षा, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4202-खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	96,63,65	1,73,58,62	1,44,32,13	(-)29,26,49
अनुपूरक	76,94,97			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

29,26,49

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,41,80,00	1,76,65,00	1,76,63,05	(-)1,95
अनुपूरक	34,85,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

1,95

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹29,26.49 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2016 (₹5,27.40 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 70,32.35 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 1,35.22 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 76,94.97 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या-43 क्रमशः

- (2) शीर्ष 2203-00.003. A7-प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग (योजना) एवं 2203-00.105.01- डिप्लोमा पाठ्यक्रम अन्तर्निर्दिष्ट (सैंडवीच) पाठ्यक्रम सहित (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,28.02 लाख एवं ₹ 1,46.46 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 26,85.00 लाख एवं ₹ 21,01.51 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.004.97- परामर्शी शुल्क तकनीकी निर्माण/ पी.पी.पी. / प्रशिक्षण/ कौशल एवं अन्य कार्य (योजना)	मूल	1,85.00	1,02.46	1,02.46	0.00	₹ 82.54 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)82.54				
2203-00.004.A5- गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों को सहायक अनुदान (योजना)	मूल	5,92.00	2,00.00	2,00.00	0.00	₹ 3,92.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,92.00				
2203-00.112.02- स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण (योजना)	मूल	3,70.00	2,96.99	2,96.99	0.00	₹ 2,03.01 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	1,30.00				
	पुनर्वि.	(-)2,03.01				
2203-00.112.AA- बाह्य संपोषित परियोजनान्तर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु सहायक अनुदान (योजना)	मूल	0.00	1,16.76	1,16.76	0.00	₹ 43.24 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	1,60.00				
	पुनर्वि.	(-)43.24				

अनुदान संख्या-43 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.796.44- राजकीय पॉलीटेक्निकों/ खनन संस्थानों का सुदृढीकरण (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) (योजना)	मूल	2,60.00	1,35.97	1,35.97	0.00	₹ 1,24.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,24.03				
2203-00.796.97- परामर्शी शुल्क-तकनीकी निर्माण / पी.पी.पी./ प्रशिक्षण/कौशल एवं अन्य कार्य (योजना)	मूल	65.00	30.13	30.13	0.00	₹ 54.87 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	20.00				
	पुनर्वि.	(-)54.87				
2203-00.796.A6- निदेशालय का सुदृढीकरण (योजना)	मूल	15.60	39.68	39.68	0.00	₹ 20.92 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	45.00				
	पुनर्वि.	(-)20.92				
2203-00.796.AA- बाह्य संपोषित परियोजनान्तर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम हेतु सहायक अनुदान (योजना)	मूल	0.00	14.22	14.22	0.00	₹ 50.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	65.00				
	पुनर्वि.	(-)50.78				

अनुदान संख्या-43 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.003.82- स्कील डेवलपमेंट थ्रु पोलिटिकनिक (के.यो.यो.)	मूल	0.00	7.75	0.00	(-)7.75	₹ 24.03 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	24.03				
	पुनर्वि.	(-)16.28				
2203-00.003.84- स्कील डेवलपमेंट (योजना)	मूल	2,22.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,22.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,22.00				
2203-00.112.A4- झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (योजना)	मूल	1,85.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,85.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,85.00				
2203-00.789.47- बाह्य सम्पोषित योजनान्तर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम हेतु 70 प्रतिशत सहायक अनुदान (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

अनुदान संख्या-43 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.796.02- स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का सुदृढीकरण (योजना)	मूल	1,30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,30.00				
2203-00.796.47- बाह्य सम्पोषित योजनान्तर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम हेतु 70 प्रतिशत सहायक अनुदान (योजना)	मूल	1,30.00	0.00	0.00	0.00	₹1,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,30.00				
2203-00.796.84- स्कील डेवलपमेंट (योजना)	मूल	78.00	0.00	0.00	0.00	₹ 78.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78.00				
2203-00.796.A4- झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (योजना)	मूल	65.00	0.00	0.00	0.00	₹ 65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65.00				

अनुदान संख्या-43 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.796.A5- गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को सहायक अनुदान (योजना)	मूल	2,08.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,08.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,08.00				
2203-00.800.47- बाह्य सम्पोषित योजनान्तर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम हेतु 70 प्रतिशत सहायक अनुदान (योजना)	मूल	3,20.00	0.00	0.00	0.00	₹3,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,20.00				

अनुदान संख्या- 44- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2205-कला एवं संस्कृति, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,01,41	7,14,90	6,04,01	(-)1,10,89
अनुपूरक	1,13,49			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

1,10,89

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 1,10.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 1,13.49 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2205-00.105.01- सार्वजनिक पुस्तकालय (गैर-योजना)	मूल	60.88	34.64	34.64	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)26.24			
2205-00.105.05- जिला केन्द्रीय पुस्तकालय -सहायता अनुदान (गैर-योजना)	मूल	11.34	57.52	57.52	0.00
	अनुपूरक	56.90			
	पुनर्वि.	(-)10.72			

अनुदान संख्या-44 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2251-00.090.01- शिक्षा विभाग (गैर-योजना)	मूल	4,75.56	4,54.42	4,54.42	0.00	₹ 50.64 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	29.50				
	पुनर्वि.	(-)50.64				
2251-00.090.03- झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (गैर-योजना)	मूल	39.20	29.97	29.97	0.00	₹ 17.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	8.00				
	पुनर्वि.	(-)17.23				

अनुदान संख्या- 45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग

(मुख्य शीर्ष-2203- तकनीकी शिक्षा, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,48,35,05	1,57,61,71	1,23,67,99	(-)33,93,72
अनुपूरक	9,26,66			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

33,93,72

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	33,50,00	33,50,00	26,70,45	(-)6,79,55
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

6,79,55

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 33,93.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2016 (₹ 6,82.30 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 2,44.36 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 9,26.66 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या-45 क्रमशः

- (2) शीर्ष 2203-00.001.A8- राज्य ई-गवर्नेस परियोजना (योजना) एवं 2203-00.796-A8- राज्य ई-गवर्नेस परियोजना (योजना) के अन्तर्गत ₹ 86.50 लाख एवं ₹ 1,28.38 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 46,13.36 लाख एवं ₹ 30,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.001.55-ई-प्रोक्योरमेंट (योजना)	मूल	1,55.00	87.84	87.84	0.00	₹ 67.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)67.16				
2203-00.001.63-ई-गवर्नेस-आपदा प्रबंधन, गृह/स्वास्थ्य एवं अन्य सभी विभागों के लिए ग्रीवांस एवं एमरजेंसी सर्विस हेतु कॉल सेन्टर की स्थापना (योजना)	मूल	1,00.00	5.58	5.58	0.00	₹ 94.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)94.42				
2203-00.001.96-साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना (योजना)	मूल	1,00.00	46.86	46.86	0.00	₹ 53.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)53.14				
2203-00.001.A9-नेशनल ई-गवर्नेस एक्शन प्लान (के.प्रा.यो.)	मूल	11,00.00	88.15	88.15	0.00	₹ 11,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	88.15				
	पुनर्वि.	(-)11,00.00				
2203-00.789.85-स्कील डेवेलपमेंट (युवाओं के लिए कार्यक्रम) (योजना)	मूल	50.00	3.45	3.45	0.00	₹ 46.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.55				

अनुदान संख्या-45 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.796.21- ई-गवर्नेस-नये सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण (योजना)	मूल	5,00.00	7,17.79	7,17.79	0.00	₹ 82.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	3,00.00				
	पुनर्वि.	(-)82.21				
2203-00.796.68- प्रशिक्षण एवं विकास (योजना)	मूल	1,00.00	44.30	44.30	0.00	₹ 55.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)55.70				
2203-00.796.85- (स्कील डेवेलपमेंट (युवाओं के लिए कार्यक्रम) (योजना)	मूल	1,00.00	15.00	15.00	0.00	₹ 85.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)85.00				
3451-00.090.02- सूचना प्रावैधिकी विभाग (गैर-योजना)	मूल	1,85.05	1,69.97	169.97	0.00	₹ 21.08 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	6.00				
	पुनर्वि.	(-)21.08				

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.001.85- स्कील डेवेलपमेंट (युवाओं के लिए कार्यक्रम) (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2203-00.001.93- ई-मुलाकात (योजना)	मूल	1,12.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,12.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,12.00				

अनुदान संख्या-45 क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2203-00.001.98- आई.टी./आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेज इन्सेटिव (योजना)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2203-00.001.A9- नेशनल ई-गवर्नेस एक्शन प्लान (योजना)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,88.15 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	88.15				
	पुनर्वि.	(-)3,88.15				
2203-00.796.A9- नेशनल ई-गवर्नेस प्लान (योजना)	मूल	8,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 8,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,00.00				

पूँजी :

(4) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4202-02.105.70- सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क का निर्माण (योजना)	मूल	25,00.00	18,20.45	18,20.45	0.00	₹ 6,79.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,79.55				

अनुदान संख्या- 46- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3452-पर्यटन, 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	47,18,62	49,81,18	38,93,38	(-)10,87,80
अनुपूरक	2,62,56			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

10,69,71

पूँजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	76,00,00	76,00,00	74,26,61	(-)1,73,39
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

1,73,39

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 10,87.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 1,15.16 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 2.00 लाख) तथा जनवरी 2017 (₹ 1,45.40 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,62.56 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 10,69.71 लाख), अंतिम बचत (₹ 10,87.80 लाख) से ₹ 18.09 लाख कम था।

अनुदान संख्या-46 क्रमशः

(3) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3452-01.101.07- कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण योजना (योजना)	मूल	1,20.00	9.71	9.71	0.00	₹ 1,10.29 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,10.29				
3452-01.796.02- प्रचार कार्य (योजना)	मूल	6,00.00	6,27.04	6,27.04	0.00	₹ 1,03.96 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	1,31.00				
	पुनर्वि.	(-)1,03.96				
3452-80.104.13- कंसल्टेंसी एवं अन्य सेवाएं (योजना)	मूल	4,00.00	73.83	75.73	+1.90	₹ 3,26.17 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 1.90 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,26.17				
3452-80.796.13- कंसल्टेंसी एवं अन्य सेवाएं (योजना)	मूल	3,00.00	12.55	12.55	0.00	₹ 2,87.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,87.45				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3452-01.190.11- राज्य पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहन (योजना)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹ 60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				

अनुदान संख्या-46 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3452-01.796.07- कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण योजना (योजना)	मूल	80.00	0.00	0.00	0.00	₹ 80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.00				
3452-01.796.11- राज्य पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहन (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				

पूँजी :

(5) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5452-80.104.62- पर्यटन योजनाओं का समेकित विकास, भूमि अधिग्रहण/मार्गीय सुविधाओं, पर्यटक सूचना केन्द्रों, एडभेंचर टूरिज्म (चालु) (योजना)	मूल	15,00.00	10,74.31	10,74.31	0.00	किसी भी योजना की राशि की निकासी नहीं किये जाने के कारण ₹3,75.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹50.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,25.69				

अनुदान संख्या- 47- परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2041वाहन कर, 3055-सड़क परिवहन, 3075-अन्य परिवहन सेवाएं, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,47,32,75	2,30,58,10	2,24,23,81	(-)6,34,29
अनुपूरक	83,25,35			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

6,34,29

पूंजी:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	17,72,00	17,72,00	9,51,70	(-)8,20,30
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

8,20,30

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 6,34.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 33,18.00 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 3.35 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 50,04.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 83,25.35 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या-47 क्रमशः

(2) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2041-00.001.01- राज्य परिवहन अधिकरण (गैर-योजना)	मूल	1,37.03	1,06.14	1,06.14	0.00	₹ 31.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	1.00				
	पुनर्वि.	(-)31.89				
2041-00.101.01- प्रादेशिक परिवहन अधिकरण (गैर-योजना)	मूल	1,67.94	85.09	85.09	0.00	₹ 82.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)82.85				
2041-00.101.02- मोटर वाहन पर नियंत्रण (गैर-योजना)	मूल	8,58.43	4,26.76	4,26.76	0.00	₹ 4,31.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,31.67				
2041-00.102.01- वाहनों का निरीक्षण (गैर-योजना)	मूल	1,42.48	87.14	87.14	0.00	₹ 55.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)55.34				
3451-00.090.14- परिवहन विभाग (गैर-योजना)	मूल	1,88.87	1,73.17	1,73.17	0.00	₹ 22.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	6.35				
	पुनर्वि.	(-)22.05				

अनुदान संख्या-47 क्रमशः

पूँजी :

(3) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5055-00.190.02- परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण- भवनों का निर्माण (योजना)	मूल	40.00	4.66	4.66	0.00	35.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35.34				
5055-00.190.14- ट्रेनिंग एवं एक्सपोजर/ कार्यशाला/ गोष्ठी जागरूकता अभियान (योजना)	मूल	40.00	19.03	19.03	0.00	₹ 20.97 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.97				
5055-00.190.17- मशीन एवं उपकरण (योजना)	मूल	80.00	46.02	46.02	0.00	₹ 33.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33.98				
5055-00.190.22- सड़क सुरक्षा निधि (योजना)	मूल	4,00.00	2,44.16	2,44.16	0.00	₹ 1,55.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,55.84				
5055-00.796.05 अस्थायी चेकपोस्टों का निर्माण (योजना)	मूल	80.00	37.60	37.60	0.00	₹ 42.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42.40				

अनुदान संख्या-47 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5055-00.796.14- ट्रेनिंग एवं एक्सपोजर कार्यशाला/गोष्ठी / जागरूकता अभियान (योजना)	मूल	60.00	25.92	25.92	0.00	₹ 34.08 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.08				
5055-00.796.17- मशीन एवं उपकरण (योजना)	मूल	1,20.00	36.38	36.38	0.00	₹ 83.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)83.62				
5055-00.796.22- सड़क सुरक्षा निधि (योजना)	मूल	6,00.00	2,70.97	2,70.97	0.00	₹ 3,29.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,29.03				

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5055-00.796.02- परिवहन निदेशालय का सुदृढ़ीकरण-भवनों का निर्माण (योजना)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹ 60.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				

अनुदान संख्या- 48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ, 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 6217-शहरी विकास के लिए कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	23,34,57,09	34,49,57,14	27,57,81,78	(-)6,91,75,36
अनुपूरक	11,15,00,05			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 8,03,79,50

(23 दिसम्बर 2016 : 41,31,00
6 फरवरी 2017 : 12,00,00
मार्च 2017 : 7,50,48,50)

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	29,00,00	78,00,00	70,37,72	(-)7,62,28
अनुपूरक	49,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 7,62,28
(मार्च 2017)

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 6,91,75.36 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹4,85,45.71 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 3,63,67.17 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 2,65,87.17 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 11,15,00.05 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 8,03,79.50 लाख), अंतिम बचत (₹ 6,91,75.36 लाख) से ₹ 1,12,04.14 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या-48 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2217-80.191.89- प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए सहाय्य अनुदान (पी.एम.ए.वाई.) (के.प्रा.यो.) एवं 2217-80.796.78- जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत पूर्व से संचालित योजना (योजना) के अन्तर्गत ₹ 3,21.94 लाख एवं ₹ 8,20.70 लाख की बचत, जो कि ₹ 1,06,50.00 लाख एवं ₹ 10,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2215-01.796.01- पेय जलापूर्ति के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना)	मूल	68,00.00	54,06.08	54,25.20	+19.12	₹ 33,93.92 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 19.12 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	20,00.00				
	पुनर्वि.	(-)33,93.92				
2217-80.001.01- राज्य स्तरीय नगरीय प्रशासन निदेशालय (गैर-योजना)	मूल	1,03.49	33.03	33.03	0.00	₹ 79.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	9.00				
	पुनर्वि.	(-)79.46				
2217-80.001.03- नगर और प्रदेशिक आयोजन की स्थापना (गैर-योजना)	मूल	86.35	51.06	51.06	0.00	₹ 35.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.50				
	पुनर्वि.	(-)35.79				
2217-80.001.04- शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव आयोजन (गैर-योजना)	मूल	1,96.00	1,35.00	1,35.00	0.00	₹ 61.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)61.00				
2217-80.191.40- शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों पर व्यय हेतु अनुदान (गैर-योजना)	मूल	4,99.69	5,53.84	5,53.84	0.00	₹ 1,25.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	1,79.30				
	पुनर्वि.	(-)1,25.15				

अनुदान संख्या-48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.191.59- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल. एम.) हेतु अनुदान (योजना)	मूल	3,36.00	10,98.62	10,98.62	0.00	₹ 5,69.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	13,32.46				
	पुनर्वि.	(-)5,69.84				
2217-80.191.60- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल. एम.) हेतु अनुदान (केन्द्रांश) (के.प्रा.यो.)	मूल	5,04.00	14,32.63	14,32.63	0.00	₹ 12,82.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	22,11.06				
	पुनर्वि.	(-)12,82.43				
2217-80.191.61- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना-सह-एन.आर. सी.पी. (राज्यांश) (एन.एल.सी.पी. सहित) एवं एन.जी. आर.बी.डी. सह नमामी गंगे हेतु अनुदान (योजना)	मूल	8,00.00	2,69.27	2,69.27	0.00	₹ 9,30.73 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹8,00.00 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा निधि पैटर्न में किये गए परिवर्तन के कारण हुई थी ₹ 1,30.73 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	4,00.00				
	पुनर्वि.	(-)9,30.73				
2217-80.191.63- राजीव आवास योजना हेतु अनुदान (राज्यांश) (योजना)	मूल	6,12.50	4,55.60	4,55.60	0.00	₹ 1,56.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,56.90				

अनुदान संख्या-48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.191.64- राजीव आवास योजना (आर.ए. वाई.) हेतु अनुदान (50:50 एवं 75:25) (केन्द्रांश) (के.प्रा.यो.)	मूल	6,12.50	10.57	10.57	0.00	₹ 6,01.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,01.93				
2217-80.191.68- स्वच्छ भारत मिशन (राज्यांश) (योजना)	मूल	40,00.00	55,61.47	55,61.47	0.00	₹ 20,51.58 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कटौती के कारण हुई थी। ₹ 20,86.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	57,00.00				
	पुनर्वि.	(-)41,38.53				
2217-80.191.73- स्वच्छ भारत मिशन (केन्द्रांश) (के.प्रा.यो.)	मूल	40,00.00	51,19.16	51,19.16	0.00	₹ 10,80.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	22,00.00				
	पुनर्वि.	(-)10,80.84				
2217-80.192.07- नगर पषर्द/ नगरपालिका को उनके नियमित कर्मियों के वेतानादि के भुगतान हेतु अनुदान (गैर-योजना)	मूल	8,99.99	5,92.52	6,08.83	+16.31	₹ 3,07.47 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 16.31 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,07.47				

अनुदान संख्या-48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.192.40- शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थपित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों पर व्यय हेतु अनुदान (गैर-योजना)	मूल	5,99.39	1,87.20	1,87.20	0.00	₹ 4,17.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	5.00				
	पुनर्वि.	(-)4,17.19				
2217-80.192.82- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल बेसिक ग्रांट के तहत् नगर परिषदों/ नगरपालिकाओं को अनुदान (गैर-योजना)	मूल	61,22.30	30,92.38	30,92.38	0.00	₹30,29.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30,29.92				
2217-80.192.84- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत् नगर परिषदों/ नगरपालिकाओं को अनुदान (गैर-योजना)	मूल	18,06.95	15,14.32	15,14.32	0.00	₹2,92.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,92.63				
2217-80.193.07- नगर पंचायत/ अधिसूचित क्षेत्र समिति को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के भुगतान हेतु अनुदान (गैर-योजना)	मूल	1,20.00	77.55	77.55	0.00	₹ 42.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42.45				

अनुदान संख्या-48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.193.40- शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों पर व्यय हेतु अनुदान (गैर-योजना)	मूल	6,49.68	3,32.70	3,32.70	0.00	₹ 3,26.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	10.00				
	पुनर्वि.	(-)3,26.98				
2217-80.193.83- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अलोक में जेनरल बेसिक ग्रांट के तहत नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र समिति को अनुदान (गैर-योजना)	मूल	34,26.82	9,14.78	9,14.78	0.00	₹ 25,12.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25,12.04				
2217-80.193.85- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल परफॉरमेंस ग्रांट के तहत नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र समिति को अनुदान (गैर-योजना)	मूल	10,11.40	7,55.76	7,55.76	0.00	₹ 2,55.64 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,55.64				
2217-80.789.59- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल. एम.) हेतु अनुदान (राज्यांश) (योजना)	मूल	84.00	3,26.98	3,26.98	0.00	₹ 1,67.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	4,10.87				
	पुनर्वि.	(-)1,67.89				

अनुदान संख्या-48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.789.60- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) हेतु अनुदान (केन्द्रांश) (के.प्रा.यो.)	मूल	1,26.00	3,18.19	3,18.19	0.00	₹ 3,84.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	5,77.12				
	पुनर्वि.	(-)3,84.93				
2217-80.789.89- प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम. ए.वाई.) के लिए सहाय्य अनुदान (के.प्रा.यो.)	मूल	7,50.00	11,00.55	11,00.55	0.00	₹ 22,53.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	26,04.00				
	पुनर्वि.	(-)22,53.45				
2217-80.796.59- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) हेतु अनुदान (राज्यांश) (योजना)	मूल	4,20.00	5,18.81	5,18.81	0.00	₹ 2,26.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	3,25.67				
	पुनर्वि.	(-)2,26.86				
2217-80.796.60- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) हेतु अनुदान (केन्द्रांश) (के.प्रा.यो.)	मूल	6,30.00	5,17.20	5,17.20	0.00	₹ 5,35.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	4,22.82				
	पुनर्वि.	(-)5,35.62				
2217-80.796.64- राजीव आवास योजना (आर.ए. वाई.) हेतु अनुदान (केन्द्रांश) (के.प्रा.यो.)	मूल	4,90.00	23.22	23.22	0.00	₹ 4,66.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,66.78				
2217-80.796.70- स्मार्ट सिटी (राज्यांश) (योजना)	मूल	48,00.00	92,00.00	92,00.00	0.00	₹ 70,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	1,14,00.00				
	पुनर्वि.	(-)70,00.00				

अनुदान संख्या-48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.796.71- शहरी पुनरुत्थान मिशन (राज्यांश) (योजना)	मूल	28,80.00	21,38.08	21,38.08	0.00	₹ 7,41.92 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,41.92				
2217-80.796.73- स्वच्छ भारत मिशन (केन्द्रांश) (टोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित) (के.प्रा.यो.)	मूल	60,00.00	46,23.28	46,23.28	0.00	₹ 13,76.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,76.72				
2217-80.796.75- स्मार्ट सिटी (केन्द्रांश) (के.प्रा.यो.)	मूल	72,00.00	92,00.00	92,00.00	0.00	₹ 54,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	74,00.00				
	पुनर्वि.	(-)54,00.00				
2217-80.796.76- शहरी पुनरुत्थान मिशन (केन्द्रांश) (के.प्रा.यो.)	मूल	43,20.00	30,03.42	30,03.42	0.00	₹ 13,16.58 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,16.58				
2217-80.796.89- प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम. ए.वाई.) के लिए सहाय्य अनुदान (के.प्रा.यो.)	मूल	30,00.00	74,17.96	74,17.97	+0.01	₹ 25,82.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	70,00.00				
	पुनर्वि.	(-)25,82.04				
2251-00.090.05- शहरी विकास विभाग (गैर-योजना)	मूल	5,89.23	4,34.84	4,34.84	0.00	₹1,78.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	24.10				
	पुनर्वि.	(-)1,78.49				

अनुदान संख्या-48 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.191.62- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार (एन.आर.सी. पी.) द्वारा प्रायोजित योजना हेतु अनुदान (केन्द्रांश) (के.प्रा.यो.)	मूल	8,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 8,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,00.00				
2217-80.191.65- झारखण्ड राज्य विकास निधि अनुदान (राज्य निधि) (योजना)	मूल	32,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 32,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32,00.00				
2217-80.191.67- बाह्य सम्पोषित योजनाओं हेतु अनुदान (योजना)	मूल	20,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,00.00				
2217-80.191.70- स्मार्ट सिटी (राज्यांश) (योजना)	मूल	32,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 32,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32,00.00				
2217-80.191.75- स्मार्ट सिटी (केन्द्रांश) (के.प्रा.यो.)	मूल	48,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 48,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48,00.00				

अनुदान संख्या-48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.192.05- नगर पर्वदों एवं नगरपालिकाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय हेतु सहाय्य अनुदान (गैर-योजना)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2217-80.193.05- नगर पंचायतों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय हेतु सहाय्य अनुदान (गैर-योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2217-80.789.61- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी. सहित) एवं एन.जी. आर.बी.ए. सह नमामी गंगे हेतु अनुदान (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा निधि पैटर्न में किये गए परिवर्तन के कारण ₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

अनुदान संख्या-48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.789.62- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन. एल. सी. पी. सहित) एवं एन.जी. आर.बी.ए. सह नमामी गंगे हेतु अनुदान (के.प्रा.यो.)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा निधि पैटर्न में किये गए परिवर्तन के कारण ₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2217-80.789.63- राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) हेतु अनुदान (राज्यांश) (योजना)	मूल	1,22.50	0.00	0.00	0.00	₹ 1,22.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,22.50				
2217-80.789.64- राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) हेतु अनुदान (केन्द्रांश) (के.प्रा.यो.)	मूल	1,22.50	0.00	0.00	0.00	₹ 1,22.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,22.50				
2217-80.796.61- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन. एल. सी. पी. सहित) एवं एन.जी. आर.बी.ए. (राज्यांश) सह नमामी गंगा हेतु अनुदान (योजना)	मूल	11,50.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा निधि पैटर्न में किये गए परिवर्तन के कारण ₹11,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,50.00				

अनुदान संख्या-48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.796.62- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन. एल. सी. पी. सहित) एवं एन.जी. आर.बी.ए. (केन्द्रांश) सह नमामी गंगा हेतु अनुदान (योजना)	मूल	11,50.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा निधि पैटर्न में किये गए परिवर्तन के कारण ₹11,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,50.00				
2217-80.796.67- बाह्य सम्पोषित, रांची सिवरेज-ड्रेनेज एवं इनर सर्कुलर रोड योजनाओं हेतु अनुदान (योजना)	मूल	30,00.00	0.00	0.00	0.00	₹30,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30,00.00				

(5) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.191.81- 14वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में जेनरल बेसिक ग्रांट के तहत नगर निगमों को अनुदान (गैर-योजना)	मूल	1,58,92.89	50,43.13	78,26.33	+27,83.20	₹ 1,08,49.76 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹27,83.20 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,08,49.76				

अनुदान संख्या-48 क्रमशः

(6) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, अभ्यर्षण द्वारा प्रावधान में कटौती अनौचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.796.89- प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम. ए.वाई.) के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)	मूल	30,00.00	41,29.35	58,41.29	+17,11.94	₹ 5,70.65 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹17,11.94 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	17,00.00				
	पुनर्वि.	(-)5,70.65				

पूँजी :

(7) ₹7,62.28 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 में प्राप्त किया गया ₹49,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(8) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6217-60.191.03- नगर निगम को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के भुगतान के लिए ऋण (गैर-योजना)	मूल	17,00.00	12,38.88	12,38.88	0.00	₹ 4,61.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,61.12				
6217-60.192.03- नगर पर्वद/ नगरपालिका को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के भुगतान के लिए ऋण (गैर-योजना)	मूल	10,00.00	7,90.03	7,90.03	0.00	₹ 2,09.97 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,09.97				

अनुदान संख्या-48 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6217-60.193.02- नगर पंचायत/ अधिसूचित क्षेत्र समिति को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के भुगतान के लिए ऋण (गैर-योजना)	मूल	2,00.00	1,08.81	1,08.81	0.00	₹ 91.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)91.19				

अनुदान संख्या- 49- जल संसाधन विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2700- मुख्य सिंचाई, 2701- मध्यम सिंचाई, 2705- कमान क्षेत्र विकास, 2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास, 3451- सचिवालय-आर्थिक संवाएं, 4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,98,01,54	3,98,64,45	2,65,88,16	(-)1,32,76,29
अनुपूरक	62,91			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

1,32,76,29

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	13,05,90,00	15,10,87,00	11,21,10,69	(-)3,89,76,31
अनुपूरक	2,04,97,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

3,61,31,35

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 1,32,76.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, नवम्बर 2016 (₹ 62.16 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 0.75 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 62.91 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या-49 क्रमशः

(2) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2700-01.001.01- तेनुघाट बाँध परियोजना (गैर-योजना)	मूल	4,61.80	3,83.03	3,83.03	0.00	₹ 1,06.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	27.33				
	पुनर्वि.	(-1,06.10)				
2700-01.001.02- स्वर्णरेखा बाँध परियोजना (गैर-योजना)	मूल	1,85,26.33	1,28,30.02	1,28,30.02	0.00	₹ 56,98.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	2.35				
	पुनर्वि.	(-)56,98.66				
2701-03.001.03- सिंचाई योजना से राजस्व संग्रह (गैर-योजना)	मूल	1,49.36	90.48	90.48	0.00	₹ 58.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)58.88				
2701-03.001.06- छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना (गैर-योजना)	मूल	69,80.81	43,42.20	43,42.20	0.00	₹ 26,49.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	10.60				
	पुनर्वि.	(-)26,49.21				
2701-03.001.07- मध्यम सिंचाई परियोजना (गैर-योजना)	मूल	1,10,95.08	74,59.78	74,59.78	0.00	₹ 36,57.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	21.82				
	पुनर्वि.	(-)36,57.12				
2701-80.001.01- मुख्यालय सचिवालय स्थापना (गैर-योजना)	मूल	2,10.98	1,40.16	1,40.16	0.00	₹ 70.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.06				
	पुनर्वि.	(-)70.88				

अनुदान संख्या-49 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2705-00.001.02- काँची सिंचाई योजना (केन्द्रांश-50: राज्यांश-50) (गैर-योजना)	मूल	7,00.00	4,99.70	2,54.22	(-)2,45.48	₹ 4,45.78 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.30				
3451-00.090.09- जल संसाधन विभाग (गैर-योजना)	मूल	7,77.18	6,45.95	6,45.95	0.00	₹ 1,31.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.75				
	पुनर्वि.	(-)1,31.98				

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2705-00.101.01- मयुराक्षी जलाशय योजना (केन्द्रांश - 50: राज्यांश - 50) (योजना)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2705-00.789.02- काँची सिंचाई योजना (केन्द्रांश - 50: राज्यांश - 50) (योजना)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2711-01.001.01- गंगा नदी के दायें किनारे पर बाढ़ के दौरान मरम्मत कार्य (गैर-योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या-49 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामले में अधिक व्यय हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2705-00.789.01- मयूराक्षी जलाशय योजना (केन्द्रांश-50: राज्यांश-50) (योजना)	मूल	2,00.00	1,96.85	4,42.33	+2,45.48	₹ 2,45.48 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3.15				

पूँजी :

- (5) ₹ 3,89,76.31 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, नवम्बर 2016 (₹ 1,21,46.00 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 83,51.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,04,97.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,61,31.35 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,89,76.31 लाख) से ₹ 28,44.96 लाख कम था।
- (7) शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 80-सामान्य, 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, 62-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (योजना), 800-अन्य व्यय, 54-पूर्ण सिंचाई योजना का ई.आर.एम. (योजना) एवं 64-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (योजना) के अन्तर्गत ₹ 3,10.57 लाख, ₹ 2,68.35 लाख एवं ₹ 1,99.62 लाख की बचत जो क्रमशः ₹ 42,40.00 लाख, ₹ 92,20.00 लाख एवं ₹ 79,18.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4700-80.789.09- स्वर्णरेखा परियोजना ए.आई.बी.पी. (योजना)	मूल	40,00.00	39,97.00	20,27.00	(-)19,70.00	₹ 19,73.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3.00				
4700-80.796.09- स्वर्णरेखा परियोजना ए.आई.बी.पी. (योजना)	मूल	60,00.00	59,98.36	46,00.00	(-)13,98.36	₹ 14,00.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1.64				

अनुदान संख्या-49 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4700-80.796.12- ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (के.प्रा.यो.)	मूल	95,06.00	4,25.00	4,25.00	0.00	₹ 90,81.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90,81.00				
4701-80.789.46- सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (योजना)	मूल	5,00.00	3,49.60	2,06.04	(-)1,43.56	₹ 2,93.96 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.40				
4701-80.789.66- नये भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों की मरम्मति (योजना)	मूल	4,20.00	2,30.35	2,09.28	(-)21.07	₹ 2,10.72 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,89.65				
4701-80.796.46- सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (योजना)	मूल	18,00.00	10,48.05	10,17.41	(-)30.64	₹ 7,82.59 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,51.95				
4701-80.796.62- मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (योजना)	मूल	37,00.00	10,43.50	10,43.50	0.00	₹ 26,56.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26,56.50				
4701-80.796.68- भवनों का संधारण (योजना)	मूल	2,40.00	1,69.54	1,69.02	(-)0.52	₹ 70.98 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70.46				
4701-80.796.69- प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सेमिनार (योजना)	मूल	50.00	10.39	9.39	(-)1.00	₹ 40.61 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.61				

अनुदान संख्या-49 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4701-80.796.70- ई-गवर्नेंस (योजना)	मूल	1,00.00	53.29	53.29	0.00	₹ 46.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.71				
4701-80.796.75- सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन (योजना)	मूल	4,00.00	2,41.96	2,42.96	+1.00	₹ 1,57.04 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,58.04				
4701-80.800.46- सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (योजना)	मूल	17,00.00	14,51.88	14,51.88	0.00	₹ 6,48.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	4,00.00				
	पुनर्वि.	(-)6,48.12				
4701-80.800.71- छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत 2011-12 में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व (योजना)	मूल	45,00.00	7,98.88	7,98.88	0.00	₹ 37,01.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37,01.12				
4701-80.800.75- सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन (योजना)	मूल	6,00.00	4,27.86	3,63.12	(-)64.74	₹ 2,76.88 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	40.00				
	पुनर्वि.	(-)2,12.14				
4711-01.789.58- नई बाढ़ नियंत्रण/ कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण (योजना)	मूल	5,80.00	1,83.05	1,83.05	0.00	₹ 3,96.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,96.95				

अनुदान संख्या-49 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4711-01.789.59- चालू बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का निर्माण (योजना)	मूल	3,00.00	10.43	10.43	0.00	₹ 2,89.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,89.57				
4711-01.796.56- बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का निर्माण (योजना)	मूल	12,00.00	10,76.57	10,76.57	0.00	₹ 1,23.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,23.43				
4711-01.796.57- बाढ़ नियंत्रण/ कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण (योजना)	मूल	5,00.00	83.43	83.43	0.00	₹ 4,16.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,16.57				
4711-01.796.58- नई बाढ़ नियंत्रण/ कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण (योजना)	मूल	35,00.00	1,97.29	1,97.29	0.00	₹ 33,02.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33,02.71				

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4700-80.789.12- ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश) (के.प्रा.यो.)	मूल	65,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 65,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65,00.00				

अनुदान संख्या-49 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4700-80.800.12- ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश) (के.प्रा.यो.)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
4701-80.005.76- राष्ट्रीय हाइड्रोलोजी परियोजना (योजना)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
4701-80.789.63- मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (योजना)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
4701-80.789.65- छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (योजना)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
4701-80.796.12- डैम सेफ्टी एवं हाइड्रोलोजी प्रोजेक्ट-2 (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

अनुदान संख्या-49 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4701-80.796.14- झारखंड सिंचाई आयोग का निर्माण (योजना)	मूल	80.00	0.00	0.00	0.00	₹ 80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.00				
4701-80.796.63- मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (योजना)	मूल	20,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,00.00				
4701-80.796.67- जीर्ण वाहनों का पुनर्स्थापन एवं नये वाहनों का क्रय (योजना)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
4701-80.800.65- छोटानागपुर संथाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (योजना)	मूल	20,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,00.00				

अनुदान संख्या-49 क्रमांत

(9) निम्नलिखित मामले में बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4701-03.799.01- उच्चत-विविध निर्माण कार्य अग्रिम (योजना)	मूल	0.00	0.00	4,42.12	+4,42.12	₹ 4,42.12 लाख की व्यय बिना बजट प्रावधान के किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(10) उच्चत लेन-देन:

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ 4,42.12 लाख (निवल) के व्यय को शीर्ष “उच्चत” के अन्तर्गत लेखांकित किया गया था, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है :-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम : इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं इस प्रकार उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्यौरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिये गए हैं :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2016 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2017 को अन्तशेष
(₹ लाख में)					
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	47,36.27	4,42.12	0.00	4,42.12	51,78.39
कुल	47,36.27	4,42.12	0.00	4,42.12	51,78.39

अनुदान संख्या- 50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2702-लघु सिंचाई, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	95,17,54	95,21,44	63,33,49	(-)31,87,95
अनुपूरक	3,90			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

31,87,16

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,26,10,00	6,13,46,00	3,89,80,39	(-)2,23,65,61
अनुपूरक	87,36,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

2,23,35,68

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 31,87.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवंबर 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 3.90 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या-50 क्रमशः

(2) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यत निम्न के अंतर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2702-02.005.01- सर्वेक्षण तथा अनुसंधान (गैर-योजना)	मूल	95,17.52	63,34.28	63,33.49	(-)0.79	₹ 31,87.14 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	3.90				
	पुनर्वि.	(-)31,87.14				

पूँजी :

- (3) ₹ 2,23,65.61 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 54,36.00 लाख) एवं नवंबर 2016 (₹ 33,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 87,36.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (4) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,23,35.68 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,23,65.61 लाख) से ₹ 29.93 लाख कम था।
- (5) शीर्ष 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 18-चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (योजना) के अंतर्गत ₹ 13,06.34 लाख की बचत, जो ₹ 2,10,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4702-00.101.18- चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (योजना)	मूल	98,00.00	85,74.94	84,78.77	(-)96.17	₹ 35,25.06 लाख की प्रत्याशित बचत, बजट उपबन्ध का 15 प्रतिशत राशि व्यय में प्रतिबंधित किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 96.17 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	23,00.00				
	पुनर्वि.	(-)35,25.06				
4702-00.101.19- नये लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (योजना)	मूल	53,00.00	7,32.81	7,28.56	(-)4.25	₹ 45,71.44 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45,67.19				

अनुदान संख्या-50 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4702-00.101.20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य (योजना)	मूल	53,00.00	34,03.11	34,03.11	0.00	₹ 18,96.89 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,96.89				
4702-00.101.28- लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (योजना)	मूल	20.00	3,24.36	3,24.36	0.00	₹ 50.64 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	3,55.00				
	पुनर्वि.	(-)50.64				
4702-00-101.31- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्शी एवं मूल्यांकन (योजना)	मूल	50.00	2.57	2.57	0.00	₹ 47.43 लाख की प्रत्याशित बचत मार्च में 15 प्रतिशत निकासी में प्रतिबंधित किये जाने के कारण हुई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47.43				
4702-00.101.34- झारखंड राज्य जल समिति एवं झालकों की वेतन हेतु अनुदान (योजना)	मूल	3,55.00	2,50.00	2,50.00	0.00	₹ 1,05.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,05.00				
4702-00.101.35- ए.आई.बी.पी.एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम (केंद्राश) (के.प्रा.यो.)	मूल	11,30.00	61.49	55.37	(-)6.12	₹ 17,38.63 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	6,64.00				
	पुनर्वि.	(-)17,32.51				
4702-00.796.03- रेसनलाईजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टीकस (के.यो.यो.)	मूल	5,00.00	58.92	57.32	(-)1.60	₹ 4,42.68 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,41.08				

अनुदान संख्या-50 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4702-00.796.19- नई लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण (योजना)	मूल	35,00.00	7,70.00	7,70.00	0.00	₹ 27,30.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27,30.00				
4702-00.796.20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य (योजना)	मूल	45,00.00	29,88.86	29,33.33	(-)55.53	₹ 15,66.67 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,11.14				
4702-00.796.24- नई योजनाओं का भूगर्भ जल सर्वेक्षण/ कृत्रिम पुनर्भरण (योजना)	मूल	40.00	1.96	1.96	0.00	₹ 38.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)38.04				
4702-00.796.34- झारखंड राज्य जल संसाधन विकास समिति, एवं झालकों को वेतन हेतु अनुदान (योजना)	मूल	3,55.00	2,50.00	2,50.00	0.00	₹ 1,05.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,05.00				
4702-00.796.35- ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (के.प्रा.यो.)	मूल	7,34.00	2,27.66	2,43.74	+16.08	₹ 33,83.34 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 16.08 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	28,77.00				
	पुनर्वि.	(-)33,83.34				

अनुदान संख्या-50 क्रमशः

(6) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4702-00.101.07- वाटर वॉडिज कार्य का पुनर्स्थापना (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
4702-00.101.25- भवन/गोदान एवं कार्यालय का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (योजना)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹ 60.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
4702-00.789.18- चालू लघु सिंचाई का निर्माण (योजना)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
4702-00.789.19- नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (योजना)	मूल	1,40.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,40.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,40.00				
4702-00.796.07- वाटर बॉडीज कार्य का पुनर्स्थापना (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या-50 क्रमांत

(7) निम्नलिखित मामलों में अधिक व्यय हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4702-00.789.20- वाटर बॉडीज का पुनर्स्थापन कार्य (योजना)	मूल	1,80.00	0.00	56.40	+56.40	₹ 1,80.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने तथा ₹ 56.40 लाख के अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,80.00				

(8) उचंत लेन-देन :

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ 89.54 लाख (निवल) को शीर्ष “उचंत” के अन्तर्गत लेखांकित किया गया था, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनो सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम - इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किये जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2016 को आदिशेष	नामे (₹ लाख में)	जमा	निवल	31 मार्च 2017 को अन्तशेष
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय विविध निर्माण कार्य अग्रिम	5,12.76	89.54	0.00	89.54	6,02.30
कुल	5,12.76	89.54	0.00	89.54	6,02.30

अनुदान संख्या- 51- कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2225 -अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	16,17,75,33	19,14,63,91	13,16,17,13	(-)5,98,46,78
अनुपूरक	2,96,88,58			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

3,78,76,58

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,98,44,00	2,36,31,77	1,83,01,30	(-)53,30,47
अनुपूरक	37,87,77			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

13,69,86

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 5,98,46.78 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2016 (₹ 1,00,00.00 लाख) नवम्बर 2016 (₹ 1,84,67.71 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 12,20.87 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,96,88.58 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,78,76.58 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,98,46.78 लाख) से ₹ 2,19,70.20 लाख कम था।

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2225-03.277.57- उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना) के अन्तर्गत ₹ 4,05.27 लाख की बचत, जो कि ₹ 43,52.35 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-01.001.01- निदेशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)	मूल	36,32.10	36,30.24	20,10.20	(-)16,20.04	₹ 16,21.90 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1.86				
2225-01.277.02- छात्रावास संधारण (गैर-योजना)	मूल	1,63.51	1,63.51	76.67	(-)86.84	₹ 86.84 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.277.03- आवासीय विद्यालय (गैर-योजना)	मूल	24,09.63	24,09.63	16,58.34	(-)7,51.29	₹ 8,31.29 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	80.00				
	पुनर्वि.	(-)80.00				
2225-01.789.01- निदेशन एवं प्रशासन (योजना)	मूल	2,20.00	1,77.86	1,77.77	(-)0.09	₹ 42.23 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42.14				
2225-01.789.03- पोस्ट मैट्रीक तकनीकी छात्रवृत्ति (के.प्रा.यो.)	मूल	15,40.00	20,71.00	3,13.51	(-)17,57.49	₹ 17,57.49 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	5,31.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.789.13- छात्र/छात्राओं हेतु साईकिल योजना (योजना)	मूल	21,00.00	17,54.16	17,49.66	(-)4.50	₹ 3,50.34 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,45.84				
2225-01.789.59- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (योजना)	मूल	40,00.00	34,50.20	34,50.20	0.00	₹ 23,49.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	18,00.00				
	पुनर्वि.	(-)23,49.80				
2225-01.789.61- प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)	मूल	25,00.00	21,97.20	21,97.20	0.00	₹ 3,02.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,02.80				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-01.789.62- मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)	मूल	15,00.00	6,84.94	6,84.94	0.00	₹ 8,15.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,15.06				
2225-01.789.67- शिक्षा-विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)	मूल	20,00.00	12,07.45	12,07.45	0.00	₹ 7,92.55 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2,92.55 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 5,00.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,92.55				
2225-01.789.88- छात्रावासों का जीर्णोद्धार (योजना)	मूल	2,00.00	99.30	99.30	0.00	₹ 1,00.70 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.70				
2225-02.277.03- लड़के एवं लड़कियों के लिए छात्रावास (गैर-योजना)	मूल	9,79.35	9,79.35	5,13.60	(-)4,65.75	₹ 4,65.75 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.277.04- आवासीय विद्यालय (गैर-योजना)	मूल	81,47.58	81,47.58	57,14.42	(-)24,33.16	₹ 26,83.16 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	2,50.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50.00				
2225-02.277.13- छात्र/छात्राओं हेतु साईकिल योजना (योजना)	मूल	13,00.00	7,10.21	7,10.21	0.00	₹ 5,89.79 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,89.79				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.277.18- अन्य कल्याण कार्यक्रम- गैर सरकारी संस्थानों को अनुदान (योजना)	मूल	50.00	15.45	15.45	0.00	₹ 34.55 लाख की प्रत्याशित बचत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.55				
2225-02.277.26- झारखंड जनजातीय अनुसंधान संस्थान, राँची (गैर-योजना)	मूल	1,69.54	1,69.54	1,38.41	(-)31.13	₹31.13 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.277.57- उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)	मूल	8,00.00	7,11.16	7,11.16	0.00	₹ 88.84 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)88.84				
2225-02.277.59- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (योजना)	मूल	22,80.00	11,82.84	1,82.84	0.00	₹ 13,42.16 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	2,45.00				
	पुनर्वि.	(-)13,42.16				
2225-02.277.61- प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)	मूल	12,50.00	10,86.53	10,86.53	0.00	₹ 1,67.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	4.00				
	पुनर्वि.	(-)1,67.47				
2225-02.277.65- प्रवेशिकोत्तर प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के.यो.यो.)	मूल	7,50.00	24,50.00	4.23	(-)24,45.77	₹ 24,45.77 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	17,00.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.277.69- पहाड़िया दिवस विद्यालय (गैर-योजना)	मूल	4,33.17	3,83.04	2,23.68	(-)1,59.36	₹2,47.36 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	37.87				
	पुनर्वि.	(-)88.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.277.84- आदिम जनजातियों के लिए अंत्योदय योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना (योजना)	मूल	1,20.00	39.97	39.97	0.00	₹ 80.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.03				
2225-02.277.85- मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)	मूल	9,00.00	2,63.10	2,63.10	0.00	₹ 6,36.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,36.90				
2225-02.277.92- छात्रावासों का जीर्णोद्धार (योजना)	मूल	1,50.00	50.23	50.23	0.00	₹ 99.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)99.77				
2225-02.282.01- आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्र (योजना)	मूल	2,85.35	2,85.35	1,85.63	(-)99.72	₹99.72 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.01- शिक्षा-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता हेतु अनुदान (योजना)	मूल	1,10,00.00	98,00.00	98,00.00	0.00	₹ 12,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12.00.00				
2225-02.796.03- आदिम जातियों के लिये विशेष स्वास्थ्य योजना (योजना)	मूल	1,50.00	32.56	32.56	0.00	₹ 1,17.44 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,17.44				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.796.06- पहाड़िया का कल्याण (मध्याह्न भोजन) (योजना)	मूल	80.00	39.38	39.38	0.00	₹ 40.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.62				
2225-02.796.11- प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के.यो.यो.)	मूल	12.50.00	41,50.00	17,36.57	(-)24,13.43	₹ 24,13.43 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	29,00.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.26- झारखंड जनजातीय अनुसंधान संस्थान, राँची (के.प्रा.यो.)	मूल	1,00.00	1,00.00	44.24	(-)55.76	₹ 55.76 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.26- झारखंड जनजातीय अनुसंधान संस्थान, राँची (योजना)	मूल	1,00.00	14.99	14.99	0.00	₹ 85.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)85.01				
2225-02.796.39- ग्रामीण अस्पतालों का संधारण (योजना)	मूल	20,00.00	14,06.96	14,06.96	0.00	₹ 5,93.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,93.04				
2225-02.796.59- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (योजना)	मूल	71,00.00	91,19.76	91,19.76	0.00	₹ 23,80.24 लाख की प्रत्याशित बचत ऑन लाईन जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जाने तथा बैंकों द्वारा समय पर बैंक खाता एवं आधार संख्या को नहीं जोड़े जाने के फलस्वरूप छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	44,00.00				
	पुनर्वि.	(-)23,80.24				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.796.61- प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)	मूल	39,50.00	32,66.76	32,66.76	0.00	₹ 6,83.24 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 3,26.88 लाख की बचत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 3,56.36 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,83.24				
2225-02.796.74- सेमिनार / टेक्नोलॉजी कैम्प (योजना)	मूल	24.00	2,34.00	2,34.00	0.00	₹ 40.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	2,50.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
2225-02.796.78- समन्वयक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण/ आदिम जनजाती विकास प्राधिकरण (योजना)	मूल	12,50.00	5,08.57	5,08.57	0.00	₹ 7,41.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,41.43				
2225-02.796.84- आदिम जनजातियों के लिये अंत्योदय योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना (योजना)	मूल	2,80.00	1,77.28	1,77.28	0.00	₹ 1,02.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,02.72				
2225-02.796.85- मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)	मूल	27,00.00	13,90.12	13,90.12	0.00	₹ 13,09.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,09.88				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-03.277.03- अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पोस्ट मैट्रिक प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के.यो.यो.)	मूल	11,00.00	13,95.60	4,39.19	(-)9,56.41	₹ 9,56.41 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	2,95.60				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.277.06- प्री.-मैट्रीक छात्रवृत्ति (के.प्रा.यो.)	मूल	2,00.00	2,00.00	1,52.99	(-)47.01	₹ 47.01 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.277.06- प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति (योजना)	मूल	2,00.00	1,70.58	1,70.58	0.00	₹ 29.42 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)29.42				
2225-03.277.10- शिक्षा-छात्र/छात्राओं के लिए साईकिल योजना (योजना)	मूल	49,50.00	42,65.34	42,65.32	(-)0.02	₹ 6,84.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,84.66				
2225-03.277.12- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (योजना)	मूल	86,00.00	98,28.17	98,28.17	0.00	₹ 29,27.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	41,56.00				
	पुनर्वि.	(-)29,27.83				
2225-03.277.18- पिछड़े वर्गों के लिये आवासीय विद्यालयों का संधारण (गैर-योजना)	मूल	3,26.12	3,26.12	2,11.72	(-)1,14.40	₹ 1,39.40 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	25.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-03.277.84- अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रावासों का जीर्णोद्धार (योजना)	मूल	1,00.00	23.21	23.21	0.00	₹ 76.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)76.79				
2225-03.796.03- अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पोस्ट मैट्रीक प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के.यो.यो.)	मूल	13,00.00	15,50.15	9,23.00	(-)6,27.15	₹ 6,27.15 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	2,50.15				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.796.06- अन्य पिछड़े वर्गों के लिये प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति (के.प्रा.यो.)	मूल	2,00.00	2,00.00	42.47	(-)1,57.53	₹ 1,57.53 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.796.06- अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति (योजना)	मूल	2,00.00	39.97	39.97	0.00	₹ 1,60.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,60.03				
2225-03.796.18- पिछड़े वर्गों के लिये आवासीय विद्यालयों का संधारण (योजना)	मूल	1,60.00	86.31	86.31	0.00	₹ 73.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)73.69				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-03.796.23- प्रवेशिकोत्तर प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (पुस्तक अधिकोष सहित) (योजना)	मूल	94,00.00	88,48.33	88,48.33	0.00	₹ 50,51.67 लाख की प्रत्याशित बचत ऑनलाईन जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जाने तथा बैंकों द्वारा समय पर बैंक खाता को आधार संख्या से नहीं जोड़े जाने के फलस्वरूप छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	45,00.00				
	पुनर्वि.	(-)50,51.67				

(4) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-01.277.15- छात्राओं के लिये पोशाक (गैर-योजना)	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00	₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.789.04- अस्वच्छ कार्यों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के.यो.यो.)	मूल	80.00	80.00	0.00	(-)80.00	₹ 80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.789.20- शिक्षा-अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम को स्थापना अनुदान एवं सहायक अनुदान (योजना)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-01.789.81- प्रशिक्षण (नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी) (योजना)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 50.00 लाख की बचत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹1,50.00 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2225-01.789.86- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (वर्ग IX एवं X) (के.यो.यो.)	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00	(-)4,00.00	₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.789.87- शिक्षा-आय वृद्धि परिसम्पत्ति हेतु अनुदान (योजना)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				
2225-02.277.14- छात्रवृत्ति एवं वृत्ति (योजना)	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.277.24- शिक्षा-छात्रावास, संधारण बर्तन, उपस्कर एवं टी.वी. (के.यो.यो.)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.277.57- उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)	मूल	3,50.00	3,50.00	0.00	(-)3,50.00	₹ 3,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.02- व्यवसायिक प्रशिक्षण (के.यो.यो.)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.12- प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2225-02.796.28- लाह विकास योजना (योजना)	मूल	1,01,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,01,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,01,00.00				
2225-02.796.45- शिक्षा-कन्सल्टेंसी स्टडी (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2225-02.796.49- शिक्षा-छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास संधारण बर्त्तन, उपस्कर एवं टी.वी. (के.यो.यो.)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.796.57- उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (के.यो.यो.)	मूल	6,50.00	6,50.00	0.00	(-)6,50.00	₹ 6,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.89- लाह एवं लघु-वनोपज विषणन एवं विकास कार्यक्रम (के.प्रा.यो.)	मूल	30,00.00	30,00.00	0.00	(-)30,00.00	₹ 30,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.89- लाह एवं लघु वनोपज विपणन एवं विकास कार्यक्रम (योजना)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 10,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 7,00.00 लाख की बचत केन्द्र सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 3,00.00 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
2225-02.796.90- वन बंधु कल्याण योजना (के.यो.यो.)	मूल	26,00.00	26,00.00	0.00	(-)26,00.00	₹ 26,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.94- अन्य कल्याण कार्यक्रम-आवासीय विद्यालय में प्रयोगशाला का सुदृढीकरण (योजना)	मूल	45.00	0.00	0.00	0.00	₹ 45.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-03.796.07- पिछड़ा वर्ग विकास निगम-सहायता अनुदान (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)50.00			

पूँजी :

- (5) ₹ 53,30.47 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, नवम्बर 2016 (₹ 20,87.00 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 17,00.77 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 37,87.77 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 13,69.86 लाख), अंतिम बचत (₹ 53,30.47 लाख) से ₹ 39,60.61 लाख कम था।
- (7) शीर्ष 4225-02.796.37-शिक्षा-आदिवासियों का जाहेरस्थान / हड़गड़ी / मसना / सरना की घेराबंदी एवं जीर्णोद्धार (योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,79.66 लाख की बचत, जो कि ₹ 29,65.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-01.789.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.यो.)	मूल	2,00.00	2,00.00	17.59	(-)1,82.41
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	0.00			
4225-02.277.05- आवासीय विद्यालय का जीर्णोद्धार (योजना)	मूल	5,00.00	4,52.66	3,18.36	(-)1,34.30
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)47.34			

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-02.277.33- आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी हाउस, मानकी मुंडा हाउस, पाराहा हाउस, परगना हाउस एवं घमुकुड़ीय हाउस का निर्माण (योजना)	मूल	3,50.00	2,82.52	2,53.29	(-)29.23	₹ 96.71 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)67.48				
4225-02.277.37- शिक्षा-आदिवासियों का जाहेरस्थान/ हड़गड़ी/मसना/सरना की घेराबंदी एवं जीर्णोद्धार (योजना)	मूल	11,50.00	14,15.80	10,95.50	(-)3,20.30	₹ 6.20 लाख की प्रत्याशित बचत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 3,20.30 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	2,72.00				
	पुनर्वि.	(-)6.20				
4225-02.283.06- अनुसूचित जनजातियों के लिये आवासों का निर्माण (योजना)	मूल	2,40.35	2,40.35	1,88.44	(-)51.91	₹ 51.91 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-02.796.33- आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र / मांझी हाउस, मानकी मुंडा हाउस, पाराहा हाउस, परगना हाउस एवं घमुकुड़ीय हाउस का निर्माण (योजना)	मूल	7,80.00	6,23.49	6,23.49	0.00	₹ 1,56.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,56.51				
4225-03.277.06- आवासीय विद्यालय का निर्माण (योजना)	मूल	1,00.00	1,00.00	36.41	(-)63.59	₹ 63.59 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

(8) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-01.789.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (योजना)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	केन्द्र सरकार से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
4225-01.789.21- बाबू जगजीवन राम बालिका छात्रावास निर्माण योजना (के.यो.यो.)	मूल	5,05.00	5,05.00	0.00	(-)5,05.00	₹ 5,05.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-02.277.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.यो.)	मूल	85.00	85.00	0.00	(-)85.00	₹ 85.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.0				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-02.277.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (योजना)	मूल	85.00	0.00	0.00	0.00	₹ 85.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)85.00				
4225-02.277.38- आवासीय उच्च विद्यालय को +2 में उत्क्रमण (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-02.277.40- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लड़के एवं लड़कियों के लिये छात्रावास (के.यो.यो.)	मूल	2,45.00	2,45.00	0.00	(-)2,45.00	₹ 2,45.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-02.277.41- अनुसूचित जनजाति के लड़कियों के लिये छात्रावास निर्माण (के.यो.यो.)	मूल	2,50.00	2,50.00	0.00	(-)2,50.00	₹ 2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-02.796.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.यो.)	मूल	1,65.00	1,65.00	0.00	(-)1,65.00	₹ 1,65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-02.796.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य (योजना)	मूल	1,65.00	0.00	0.00	0.00	केन्द्र सरकार से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,65.00				
4225-02.796.38- आवासीय उच्च विद्यालय को +2 में उत्क्रमण (योजना)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-02.796.39- नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिये आश्रम स्कूल (के.यो.यो.)	मूल	6,05.00	6,05.00	0.00	(-)6,05.00	₹ 6,05.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-02.796.40- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लड़के एवं लड़कियों के लिये छात्रावास (के.यो.यो.)	मूल	3,65.00	3,65.00	0.00	(-)3,65.00	₹ 3,65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-02.796.41- अनुसूचित जनजाति के लड़कियों के लिये छात्रावास निर्माण (के.यो.यो.)	मूल	3,72.00	3,72.00	0.00	(-)3,72.00	₹ 3,72.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-03.277.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.यो.)	मूल	1,65.00	1,65.00	0.00	(-)1,65.00	₹ 1,65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-03.277.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (योजना)	मूल	1,65.00	0.00	0.00	0.00	केन्द्र सरकार से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,65.00				

अनुदान संख्या-51 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-03.796.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.यो.)	मूल	85.00	85.00	0.00	(-)85.00	₹ 85.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-03.796.02- छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (योजना)	मूल	85.00	0.00	0.00	0.00	केन्द्र सरकार से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 85.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)85.00				

**अनुदान संख्या- 52- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
(कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	96,36,47	1,01,88,32	74,27,89	(-)27,60,43
अनुपूरक	5,51,85			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

27,61,44

पूंजी:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	21,50,00	21,50,00	20,18,00	(-)1,32,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

1,32,00

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹ 27,60.43 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवंबर 2016 (₹ 2,66.25 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 2,85.60 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,51.85 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या-52 क्रमशः

(2) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2204-00.102.01- राष्ट्रीय कैडेट कोर-प्रशासन (गैर-योजना)	मूल	9,59.82	9,01.54	9,01.54	0.00	₹ 3,23.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	2,65.00				
	पुनर्वि.	(-)3,23.28				
2204-00.104.48- खेल प्रोत्साहन गतिधियों को अनुदान एवं परामर्श (योजना)	मूल	3,00.00	2,24.00	2,24.00	0.00	₹ 76.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)76.00				
2204-00.104.49- कमल क्लब एवं हॉकी एवं फुटबॉल खेल क्लब को अनुदान (पंचायत, प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तरीय) (योजना)	मूल	8,30.00	6,22.50	6,22.50	0.00	निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹2,07.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,07.50				
2204-00.104.50- अन्तर्राष्ट्रीय से प्रखण्ड स्तर तक का खेल प्रतियोगिता / आयोजन / भागीदारी एवं साहसिक खेल (योजना)	मूल	2,50.00	1,92.66	1,92.66	0.00	₹ 57.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)57.34				
2204-00.796.48- खेल प्रोत्साहन गतिविधियों को अनुदान एवं परामर्श (योजना)	मूल	4,70.00	4,00.00	4,00.00	0.00	₹ 70.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70.00				

अनुदान संख्या-52 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2204-00.796.49- कमल क्लब एवं हॉकी एवं फुटबॉल खेल क्लब को अनुदान (पंचायत, प्रखण्ड जिला एवं राज्य स्तरीय) (योजना)	मूल	13,70.00	10,27.50	10,27.50	0.00	निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹3,42.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,42.50				
2204-00.796.50- अन्तर्राष्ट्रीय से प्रखण्ड स्तर तक खेल प्रतियोगिता/ आयोजन/ भागीदारी एवं साहसिक खेल (योजना)	मूल	3,50.00	2,93.79	2,93.79	0.00	₹ 56.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)56.21				
2205-00.101.39- सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन (योजना)	मूल	5,45.00	2,95.30	2,95.30	0.00	₹ 2,49.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,49.70				
2205-00.101.40- सरकारी/गैर-सरकारी सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान (योजना)	मूल	2,20.00	72.60	72.60	0.00	₹ 1,47.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,47.40				
2205-00.789.39- सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन (योजना)	मूल	90.00	18.76	18.76	0.00	₹ 71.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)71.24				
2205-00.796.34- सांस्कृतिक कल्याण योजना एवं सांस्कृतिक प्रकाशन (योजना)	मूल	80.00	36.74	36.74	0.00	₹ 43.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)43.26				

अनुदान संख्या-52 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2205-00.796.39- सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन (योजना)	मूल	6,05.00	3,92.78	3,92.78	0.00	₹ 2,12.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,12.22				

(3) निम्नलिखित मामलों में संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2204-00.104.10 - राष्ट्रीय सेवा योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2204-00.104.33- प्रशिक्षण, कार्यशाला, अध्ययन एवं यात्रा (योजना)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 60.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	30.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
2204-00.104.35- कौशल विकास (योजना)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 20.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				
2204-00.104.44- राजीव गाँधी खेल अभियान (के.प्रा.यो.)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹ 25.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				

अनुदान संख्या-52 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2204-00.789.48- खेल प्रोत्साहन गतिविधियों को अनुदान एवं परामर्श (योजना)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2204-00.796.10- राष्ट्रीय सेवा योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2204-00.796.33- प्रशिक्षण, कार्यशाला, अध्ययन एवं यात्रा (योजना)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 40.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	20.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
2204-00.796.44- राजीव गाँधी खेल अभियान (के.प्रा.यो.)	मूल	70.00	0.00	0.00	0.00	₹ 70.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70.00				
2205-00.101.34- सांस्कृतिक कल्याण योजना एवं सांस्कृतिक प्रकाशन (योजना)	मूल	80.00	0.00	0.00	0.00	₹ 80.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.00				

अनुदान संख्या-52 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2205-00.101.37- रविन्द्र भवन की स्थापना एवं कार्यशाला आयोजन (के.प्रा.यो.)	मूल	2,35.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,35.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,35.00				
2205-00.101.37- रविन्द्र भवन की स्थापना एवं कार्यशाला आयोजन (योजना)	मूल	2,40.00	0.00	0.00	0.00	₹2,40.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,40.00				
2205-00.101.43- राज्य/जिला स्तरीय कला संस्कृति परिषद् (योजना)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 20.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				
2205-00.789.40- सरकारी एवं गैर-सरकारी सांस्कृतिक आयोजन हेतु अनुदान (योजना)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹ 25.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				
2205-00.789.44- सांस्कृतिक परामर्शी गतिविधि (योजना)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹25.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				
2205-00.796.43- राज्य/जिला स्तरीय कला संस्कृति परिषद् (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

अनुदान संख्या-52 क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2205-00.796.44- सांस्कृतिक परामर्शी गतिविधि (योजना)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)30.00			
₹30.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।					

पूँजी :

(4) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	वास्तविक (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-04.101.12- सांस्कृतिक भवनों, संग्रहालय एवं एम.सी.सी. निर्माण, सुरक्षा तथा रखरखाव (योजना)	मूल	2,00.00	1,38.00	1,38.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)62.00			
निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 12.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।					

(5) निम्नलिखित मामलों में संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-04.789.12- सांस्कृतिक भवनों, संग्रहालय एवं एम.सी.सी. निर्माण, सुरक्षा तथा रखरखाव (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)50.00			
₹ 50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।					

अनुदान संख्या- 53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2405-मछली पालन, 4405 -मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	50,61,11	79,91,11	58,81,44	(-)21,09,67
अनुपूरक	29,30,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 21,09,67

(15 दिसम्बर 2016 : 1,01,00

मार्च 2017 : 20,08,67)

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	79,58,00	89,77,25	51,06,38	(-)38,70,87
अनुपूरक	10,19,25			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 38,70,87

(मार्च 2017)

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 21,09.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2016 (₹ 20,36.00 लाख) एवं नवम्बर 2016 (₹ 8,94.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 29,30.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या-53 क्रमशः

- (2) शीर्ष 2405-00.101.02- जलाशय मत्स्य का विकास योजना (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,17.65 लाख की प्रत्याशित बचत, जो कि ₹ 13,64.48 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2405-00.001.01- मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (गैर-योजना)	मूल	12,01.11	10,07.19	10,07.19	0.00	₹ 1,93.92 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,01.00 लाख की बचत कार्यपालक अभियंता, अधिकारी (मत्स्य प्रयाग) के सभी पदों का भवन निगम में स्थानान्तरित होने के कारण हुई थी। ₹92.91 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,93.92				
2405-00.101.06- तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (योजना)	मूल	4,70.00	4,06.89	4,06.89	0.00	₹ 63.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)63.11				
2405-00.101.20- मत्स्य प्रसार योजना (योजना)	मूल	2,95.00	2,19.72	2,19.72	0.00	₹ 75.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75.28				
2405-00.101.56- फिश फिड फैक्ट्री की स्थापना (योजना)	मूल	1,50.00	23.37	23.37	0.00	₹ 1,26.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,26.63				

अनुदान संख्या-53 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2405-00.101.61- मनरेगा वेल फिशरीज (योजना)	मूल	1,00.00	67.37	67.37	0.00	₹ 32.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32.63				
2405-00.789.02- जलाशय मत्स्य का विकास योजना (योजना)	मूल	70.00	2,52.74	2,52.74	0.00	₹37.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	2,20.00				
	पुनर्वि.	(-)37.26				
2405-00.789.06- तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (योजना)	मूल	1,00.00	81.93	81.93	0.00	₹18.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18.07				
2405-00.789.20- मत्स्य प्रसार योजना (योजना)	मूल	50.00	27.58	27.58	0.00	₹22.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22.42				
2405-00.789.56- फिश फीड फैक्ट्री की स्थापना (योजना)	मूल	25.00	0.78	0.78	0.00	₹24.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24.22				
2405-00.796.02- जलाशय मत्स्य का विकास योजना (योजना)	मूल	1,80.00	8,68.60	8,68.60	0.00	₹1,08.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	7,97.00				
	पुनर्वि.	(-)1,08.40				
2405-00.796.06- तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (योजना)	मूल	2,30.00	1,63.15	1,63.15	0.00	₹66.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)66.85				

अनुदान संख्या-53 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2405-00.796.18- मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र का गठन (योजना)	मूल	1,40.00	1,09.05	1,09.05	0.00	₹ 30.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.95				
2405-00.796.20- तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (योजना)	मूल	1,45.00	59.18	59.18	0.00	₹ 85.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)85.82				
2405-00.796.61- मनरेगा वेल फिशरीज (योजना)	मूल	80.00	58.52	58.52	0.00	₹ 21.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)21.48				

(3) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2405-00.101.17- एन.एफ.डी.बी. (90:10) (योजना)	मूल	24.00	0.00	0.00	0.00	₹ 24.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24.00				
2405-00.101.60- केज एक्वाकल्चर (योजना)	मूल	5,30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,30.00				

अनुदान संख्या-53 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2405-00.789.60- केज एक्वाकल्चर (योजना)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2405-00.796.52- मात्स्यकी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना (योजना)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				
2405-00.796.56- फिश फीड फैक्ट्री के निर्माण हेतु सब्सिडी (पी.पी.पी.) (योजना)	मूल	75.00	0.00	0.00	0.00	₹ 75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75.00				
2405-00.796.60- केज एक्वाकल्चर (योजना)	मूल	2,70.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,70.00				

पूँजी :

- (4) ₹ 38,70.87 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 9,00.00 लाख) एवं नवम्बर 2016 (₹ 1,19.25 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 10,19.25 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या-53 क्रमशः

- (5) शीर्ष 4405-00.101.64-रियरिंग तालाब का निर्माण (योजना) के अन्तर्गत ₹ 98.03 लाख की प्रत्याशित बचत, जो कि ₹ 9,98.25 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4405-00.101.02- मछुआरों का आवास निर्माण (के.प्रा.यो.)	मूल	4,13.00	1,05.60	1,05.60	0.00	₹ 3,07.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,07.40				
4405-00.101.02- मछुआरों का आवास निर्माण (योजना)	मूल	4,13.00	1,06.80	1,06.80	0.00	₹ 3,06.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,06.20				
4405-00.101.59- तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (योजना)	मूल	1,50.00	5,46.65	5,46.65	0.00	₹ 1,63.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	5,60.00				
	पुनर्वि.	(-)1,63.35				
4405-00.789.64- रियरिंग तालाब का निर्माण (योजना)	मूल	1,50.00	1,17.57	1,20.10	+2.53	₹ 32.43 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 2.53 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32.43				
4405.00.796.02- मछुआरों का आवास निर्माण (के.प्रा.यो.)	मूल	2,10.00	75.60	75.60	0.00	₹ 1,34.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,34.40				

अनुदान संख्या-53 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4405-00.796.02- मछुआरों का आवास निर्माण (योजना)	मूल	2,10.00	75.60	75.60	0.00	₹ 1,34.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,34.40				
4405-00.796.59- तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (योजना)	मूल	1,50.00	2,90.57	2,90.57	0.00	₹ 1,99.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	3,40.00				
	पुनर्वि.	(-)1,99.43				
4405-00.796.64- रियरिंग तालाब का निर्माण (योजना)	मूल	4,50.00	3,05.36	3,02.83	(-)2.53	₹ 1,44.64 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,44.64				

(6) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4405-00.101.62- मत्स्य डोमेस्टिक मार्केट (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4405-00.101.68- केज एक्वाकल्चर (योजना)	मूल	11,56.00	0.00	0.00	0.00	₹ 11,56.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,56.00				

अनुदान संख्या-53 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4405-00.789.68- केज एसक्वाकल्चर (योजना)	मूल	2,50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50.00				
4405-00.796.61- मत्स्य विकास प्रशिक्षण केन्द्र का गठन (योजना)	मूल	65.00	0.00	0.00	0.00	₹ 65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65.00				
4405-00.796.62- मत्स्य डोमेस्टिक मार्केट (योजना)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				
4405-00.796.63- मात्स्यकी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (योजना)	मूल	75.00	0.00	0.00	0.00	₹ 75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75.00				
4405-00.796.68- मत्स्य डोमेस्टिक मार्केट (योजना)	मूल	6,30.00	0.00	0.00	0.00	₹ 6,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,30.00				

अनुदान संख्या- 54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष - 2404- डेयरी विकास, 4404- डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,03,69,70	3,21,83,83	2,21,39,64	(-)1,00,44,19
अनुपूरक	18,14,13			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

1,00,44,19

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	19,00,00	19,00,00	9,47,91	(-)9,52,09
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

9,52,09

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 1,00,44.19 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 18,14.13 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या-54 क्रमशः

(2) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.001.02- मुख्यालय स्थापना तथा डेयरी सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी (गैर-योजना)	मूल	1,96.50	1,59.10	1,59.10	0.00	₹ 37.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.40				
2404-00.102.05- टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम (योजना)	मूल	19,48.75	17,00.08	17,00.08	0.00	₹ 2,62.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	14.13				
	पुनर्वि.	(-)2,62.80				
2404-00.102.07 क्षेत्रीय डेयरी विकास कार्यालय एवं प्रशिक्षण (गैर-योजना)	मूल	1,15.13	77.66	77.64	(-)0.02	₹ 37.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.47				
2404-00.102.10- विस्तृत इकाइयाँ (गैर-योजना)	मूल	7,58.07	6,05.05	6,05.05	0.00	₹ 1,53.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,53.02				
2404-00.102.65- दुधारू मवेशी वितरण (योजना)	मूल	62,85.60	50,50.60	50,50.60	0.00	₹ 12,35.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 11,40.96 लाख की बचत निधि की कम आवश्यकता के कारण हुई थी। ₹ 94.47 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,35.00				

अनुदान संख्या-54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.102.66- प्रशिक्षण, प्रसार एवं कौशल विकास (योजना)	मूल	6,90.00	3,27.06	3,27.06	0.00	₹ 3,62.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,62.94				
2404-00.102.69- पशु आहार एवं चारा विकास (योजना)	मूल	3,00.00	90.91	90.91	0.00	₹ 2,09.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,09.09				
2404-00.102.70- हीफर रियरींग कार्यक्रम (योजना)	मूल	2,95.00	1,34.25	1,34.25	0.00	₹ 1,60.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,60.75				
2404-00.102.72- प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता (योजना)	मूल	1,80.00	69.30	69.30	0.00	₹ 1,10.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,10.70				
2404-00.102.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	8,07.63	71.98	71.98	0.00	₹ 7,35.65 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के अंतिम क्षण में मंजूरी मिलने के कारण कोषागार से निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,35.65				
2404-00.102.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (योजना)	मूल	5,38.42	47.92	47.92	0.00	₹ 4,90.50 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के अंतिम क्षण में मंजूरी मिलने के कारण कोषागार से निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,90.50				

अनुदान संख्या-54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.102.74- राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन.एल.एम.) (के.प्रा.यो.)	मूल	4,65.45	59.81	59.81	0.00	₹ 4,05.64 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 3,79.71 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की कम विमुक्ति के कारण हुई थी। ₹ 25.93 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,05.64				
2404-00.102.74- राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन.एल.एम.) (योजना)	मूल	3,10.30	38.55	38.55	0.00	₹ 2,71.75 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2,53.14 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की कम विमुक्ति के कारण हुई थी। ₹ 18.61 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,71.75				
2404-00.102.76- नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट (एन.पी.डी.डी.) (योजना)	मूल	6,00.00	82.75	82.75	0.00	₹ 5,17.25 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 4,57.25 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के कम विमुक्ति के कारण हुई थी। ₹ 60.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,17.25				

अनुदान संख्या-54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.789.65- दुधारू मवेशी वितरण (योजना)	मूल	13,61.88	10,01.17	10,01.17	0.00	₹ 3,60.71 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 3,12.80 लाख की बचत निधि की कम आवश्यकता के कारण हुई थी। ₹ 47.91 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,60.71				
2404-00.789.66- प्रशिक्षण, प्रसार एवं कौशल विकास (योजना)	मूल	2,50.00	66.81	66.81	0.00	₹ 1,83.19 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,83.19				
2404-00.789.69- पशु आहार एवं चारा विकास (योजना)	मूल	65.00	3.25	3.25	0.00	₹ 61.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)61.75				
2404-00.789.70- हीफर रियरिंग कार्यक्रम (योजना)	मूल	70.00	7.50	7.50	0.00	₹ 62.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)62.50				
2404-00.789.72- प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता (योजना)	मूल	39.00	4.37	4.37	0.00	₹ 34.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.63				
2404-00.789.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	1,75.02	15.57	15.57	0.00	₹ 1,59.45 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के अंतिम क्षण में मंजूरी मिलने के कारण कोषागार से निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,59.45				

अनुदान संख्या-54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.789.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (योजना)	मूल	1,16.68	10.38	10.38	0.00	₹ 1,06.30 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के अंतिम क्षण में मंजूरी मिलने के कारण कोषागार से निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,06.30				
2404-00.789.74- राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन.एल.एम.) (के.प्रा.यो.)	मूल	78.36	30.98	30.98	0.00	₹ 47.38 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 31.68 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की कम विमुक्ति के कारण हुई थी। ₹ 15.70 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47.38				
2404-00.789.74- राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन.एल.एम.) (योजना)	मूल	52.24	20.30	20.30	0.00	₹ 31.94 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 21.12 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की कम विमुक्ति के कारण हुई थी। ₹ 10.82लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31.94				

अनुदान संख्या-54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.796.65- दुधारू मवेशी वितरण (योजना)	मूल	28,28.52	22,70.85	22,70.85	0.00	₹ 5,57.67 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 5,48.14 लाख की बचत निधि की कम आवश्यकता के कारण हुई थी। ₹ 9.53 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,57.67				
2404-00.796.66- प्रशिक्षण, प्रसार एवं कौशल विकास (योजना)	मूल	4,00.00	1,93.84	1,93.86	+ 0.02	₹ 2,06.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,06.16				
2404-00.796.68- दुग्ध संग्रहण, विधायन एवं विपणन (योजना)	मूल	26,00.00	34,22.40	34,22.40	0.00	₹ 9,77.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	18,00.00				
	पुनर्वि.	(-)9,77.60				
2404-00.796.69- पशु आहार एवं चारा विकास (योजना)	मूल	1,35.00	49.34	49.34	0.00	₹ 85.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)85.66				
2404-00.796.70- हीफर रियरींग कार्यक्रम (योजना)	मूल	1,35.00	76.50	76.50	0.00	₹ 58.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)58.50				
2404-00.796.72- प्रगतिशील डेयरी कृषको को सहायता (योजना)	मूल	81.00	42.65	42.65	0.00	₹ 38.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)38.35				

अनुदान संख्या-54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.796.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	3,63.45	32.29	32.29	0.00	₹ 3,31.16 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के अंतिम क्षण में मंजूरी मिलने के कारण कोषागार से निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,31.16				
2404-00.796.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (योजना)	मूल	2,42.30	21.60	21.60	0.00	₹ 2,20.70 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के अंतिम क्षण में मंजूरी मिलने के कारण कोषागार से निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,20.70				
2404-00.796.74- राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन.एल.एम.) (के.प्रा.यो.)	मूल	1,65.69	20.75	20.75	0.00	₹ 1,44.94 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,32.15 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की कम विमुक्ति के कारण हुई थी। ₹ 12.79 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,44.94				

अनुदान संख्या-54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.796.74- राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन.एल.एम.) (योजना)	मूल	1,10.46	13.83	13.83	0.00	₹ 96.63 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 88.10 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की कम विमुक्ति के कारण हुई थी। ₹ 8.53 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)96.63				

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.102.67- परामर्शी सेवाएँ (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 47.21 लाख की बचत निकासी पर 15 प्रतिशत की सीमा लागू होने के कारण कोषागार से निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 2.79 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2404-00.102.71- कैटल हॉस्टल (योजना)	मूल	1,20.00	0.00	0.00	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,20.00				

अनुदान संख्या-54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.102.75- नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग (एन.पी.बी.बी.) (के.प्रा.यो.)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की कम विमुक्ति के कारण ₹ 1,2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2404-00.102.76- नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट (एन.पी.डी.डी.) (के.प्रा.यो.)	मूल	6,00.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा कार्यरत एजेंसी को केन्द्रांश (₹ 4,51.55 लाख) के हस्तांतरण तथा केन्द्रांश की कम मंजूरी (₹ 1,48.45 लाख) के कारण ₹ 6,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				
2404-00.789.71- कैटल हॉस्टल (योजना)	मूल	26.00	0.00	0.00	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 26.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26.00				
2404-00.796.71- कैटल हॉस्टल (योजना)	मूल	54.00	0.00	0.00	0.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 54.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)54.00				
2404-00.796.75- नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग (एन.पी.बी.बी.) (के.प्रा.यो.)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की कम विमुक्ति के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या-54 क्रमांत

पूँजी :

(4) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4404-00.102.77- आधार संरचना विकास तथा गोकुल ग्राम एवं खटाल पुनर्वास (योजना)	मूल	8,90.00	2,76.75	2,76.75	0.00	₹ 6,13.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,13.25				
4404-00.789.77- आधार संरचना विकास तथा गोकुल ग्राम एवं खटाल पुनर्वास (योजना)	मूल	2,00.00	42.38	42.38	0.00	₹ 1,57.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,57.62				
4404-00.796.77- आधार संरचना विकास तथा गोकुल ग्राम एवं खटाल पुनर्वास (योजना)	मूल	3,10.00	1,28.78	1,28.78	0.00	₹ 1,81.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,81.22				

अनुदान संख्या- 55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2505- ग्राम रोजगार, 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	12,04,37,20	22,28,67,21	21,16,53,95	(-)1,12,13,26
अनुपूरक	10,24,30,01			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

1,12,16,22

पूंजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	12,17,90,00	15,92,90,00	15,43,62,69	(-)49,27,31
अनुपूरक	3,75,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

48,87,71

टीका एवं टिप्पणियाँ :-

राजस्व :

- (1) ₹ 1,12,13.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 9,99,00.00 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 25,28.61 लाख) तथा जनवरी 2017 (₹ 1.40 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 10,24,30.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या-55 क्रमशः

- (2) शीर्ष 2515-00.102.41-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जे.एस.आर.आर.डी.ए. को अनुदान (योजना) के अंतर्गत ₹ 38,23.00 लाख की बचत, जो कि ₹ 10,92,77.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2505-01.702.11- एन.आर.ई.पी. क्षेत्रीय स्थापना (योजना)	मूल	9,50.00	7,64.36	7,64.36	0.00	₹ 1,85.64 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,85.64				
2505-01.796.11- एन.आर.ई.पी. क्षेत्रीय स्थापना (योजना)	मूल	16,00.00	8,73.58	8,73.58	0.00	₹ 7,26.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,26.42				
2515-00.001.25- मुख्य अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्यालय स्थापना) (गैर-योजना)	मूल	66.56	12.37	12.37	0.00	₹ 54.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)54.19				
2515-00.00.26- अभियंता प्रमुख (ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्यालय स्थापना) (गैर-योजना)	मूल	2,08.72	1,74.05	1,74.05	0.00	₹ 34.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.67				
2515-00.001.27- अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय स्थापना) (गैर-योजना)	मूल	62,87.89	56,82.38	56,85.33	+2.95	₹ 6,32.57 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	30.01				
	पुनर्वि.	(-)6,35.52				

अनुदान संख्या-55 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.001.28- कार्यपालक अभियंता (आर.ई.ओ.) गैर-पी.एम.जी.एस. वाई. सड़क हेतु (गैर-योजना)	मूल	50,00.00	71,89.04	71,89.04	0.00	₹ 53,10.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	75,00.00				
	पुनर्वि.	(-)53,10.96				
2515-00.102.08- मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता (ख) - ग्रामीण विकास (विशेष प्रमंडल स्थापना (योजना)	मूल	4,15.03	2,87.16	2,87.16	0.00	₹ 1,27.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,27.87				
3451-00.090.16- ग्रामीण कार्य विभाग (गैर-योजना)	मूल	2,49.00	1,91.05	1,91.05	0.00	₹ 57.95 लाख की प्रत्याशित बचत को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)57.95				

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.001.35- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी.आई. यू का सुदृढीकरण (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2515-00.003.50- राज्य प्रशिक्षण नीति अन्तर्गत कर्मियों/ पदाधिकारियों का प्रशिक्षण (योजना)	मूल	80.00	0.00	0.00	0.00	₹ 80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.00				

अनुदान संख्या-55 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.796.35- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-पी.आई.यू. का सुदृढीकरण (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2515-00.796.50- राज्य प्रशिक्षण नीति अन्तर्गत कर्मियों/ पदाधिकारियों का प्रशिक्षण (योजना)	मूल	80.00	0.00	0.00	0.00	₹80.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.00				

पूँजी :

- (4) ₹ 49,27.31 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 3,00,00.00 लाख) तथा नवम्बर 2016 (₹ 75,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,75,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹48,87.71 लाख), अंतिम बचत (₹49,27.31 लाख) से ₹ 39.60 लाख कम था।
- (6) शीर्ष 4515-00.103.04-न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-ग्रामीण पथों का निर्माण (योजना), 4515-00.789.04-न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-ग्रामीण पथों का निर्माण (योजना) तथा 4575-00.796.10-मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (योजना) के अंतर्गत ₹ 9,25.86 लाख, ₹ 3,07.99 लाख की बचत एवं ₹ 5,14.73 लाख की निवल बचत, जो क्रमशः ₹ 4,53,00.00 लाख, ₹ 90,00.00 लाख तथा ₹ 2,00,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4515-00.103.07- मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास) (योजना)	मूल	19,30.00	14,32.85	14,32.85	0.00	₹ 4,97.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,97.15				

अनुदान संख्या-55 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4515-00.796.07- मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास) (योजना)	मूल	45,70.00	24,88.29	24,88.29	0.00	₹ 20,81.71 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,81.71				

**अनुदान संख्या- 56- ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2015 -निर्वाचन, 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 6515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिये कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	14,16,06,76	18,94,67,86	16,71,36,37	(-)2,23,31,49
अनुपूरक	4,78,61,10			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

2,22,05,18

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,00,00	6,00,00	3,30.46	(-)2,69,54
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

3,37,11

(मार्च 2017)

टीका एवं टिप्पणीयाँ

राजस्व:

- (1) ₹ 2,23,31.49 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2016 (₹ 3,70,93.52 लाख), नवम्बर 2016 (₹ 49,40.51 लाख) एवं जनवरी 2017(₹ 58,27.07 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,78,61.10 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,22,05.18 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,23,31.49 लाख) से ₹ 1,26.31 लाख कम था।

अनुदान संख्या-56 क्रमशः

(3) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2015-00.109.01- राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज) (गैर-योजना)	मूल	2,80.76	1,88.11	1,88.11	0.00	₹ 96.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	4.00				
	पुनर्वि.	(-)96.65				
2515-00.001.03- जिला पंचायत स्थापना (गैर-योजना)	मूल	1,52,46.15	1,22,76.75	1,22,76.51	(-)0.24	₹ 31,56.38 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	1,86.98				
	पुनर्वि.	(-)31,56.38				
2515-00.001.06- जिला पंचायत स्थापना-दलपतियों से संबंधित व्यय (गैर-योजना)	मूल	85.20	53.58	53.58	0.00	₹ 31.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31.62				
2515-00.001.14- पंचायत मुख्यालय स्थापना (गैर-योजना)	मूल	1,00.75	70.62	70.62	0.00	₹ 30.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.13				
2515-00.003.01- कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत (गैर-योजना)	मूल	3,55.55	2,37.11	2,37.11	0.00	₹ 1,18.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,18.44				
2515-00.101.04- पंचायतों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को मानदेय/दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता का भुगतान (गैर-योजना)	मूल	35,00.00	28,33.67	28,33.67	0.00	₹ 6,66.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,66.33				

अनुदान संख्या-56 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.196.05- जिला परिषद के गैर-शिक्षण कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन एवं भत्ता तथा अन्य लाभों के लिये सहाय्य अनुदान (गैर-योजना)	मूल	4,00.00	3,55.94	2,87.39	(-)68.55	₹ 44.06 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 68.55 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)44.06				
2515-00.796.18- पंचायत भवनों का निर्माण/ अनुरक्षण/परिवर्तन/ सुसज्जीकरण आदि (योजना)	मूल	25,65.75	49,00.47	49,00.47	0.00	₹ 19,00.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	42,35.15				
	पुनर्वि.	(-)19,00.43				
2515-00.796.19- जिला परिषदों को बस पड़ाव / डाक बंगला / कार्यालय एवं भवनों का निर्माण हेतु अनुदान (योजना)	मूल	1,10.00	53.92	53.92	0.00	₹56.08 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)56.08				
2515-00.796.20- क्षमता विकास (प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण सहित) (योजना)	मूल	4,67.50	2,96.66	2,96.66	0.00	क्षमता विकास के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिये अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण ₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹1,20.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,70.84				

अनुदान संख्या-56 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.796.26- प्रमण्डलीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों का सुदृढीकरण (योजना)	मूल	1,23.40	52.64	52.64	0.00	₹20.76 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक पद संवर्ग समिति की सहमति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70.76				
2515-00.796.30- गैर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष एवं गैर समेकित कार्य योजना जिला के लिये विशेष अनुदान (योजना)	मूल	71,50.00	35,33.92	35,33.92	0.00	₹36,16.08 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36,16.08				
3451-00.090.17- पंचायती राज एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमण्डल) (गैर-योजना)	मूल	99.35	2,16.60	2,16.60	0.00	₹56.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	1,74.00				
	पुनर्वि.	(-)56.75				

(4) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.001.05- पंचायत चुनाव (गैर-योजना)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				

अनुदान संख्या-56 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.198.45-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में सामान्य परफार्मेंस अनुदान (गैर-योजना)	मूल	1,18,57.00	0.00	0.00	0.00	पंचायती राज मंत्रालय से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,18,57.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,18,57.00				

पूंजी :

- (5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,37.11 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,69.54 लाख) से ₹ 67.57 लाख अधिक था।
- (6) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6515-00.197.01-जिला तथा स्थानीय निधि समितियों को उधार (गैर-योजना)	मूल	6,00.00	2,62.89	3,30.45	+67.56	₹ 3,37.11 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 67.56 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 3,37.11				

**अनुदान संख्या- 57- नगर विकास एवं आवास विभाग
(आवास प्रभाग)**

(मुख्य शीष-2216- आवास, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 6216-आवास के लिए उधार)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	25,15,51	25,23,51	25,16,21	(-)7,30
अनुपूरक	8,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

7,30

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	25,50,00	25,50,00	25,50,00	0,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 7.30 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए जनवरी 2017 में प्राप्त किया गया ₹ 8.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

**अनुदान संख्या- 58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2202- सामान्य शिक्षा, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	16,23,50,23	17,14,57,14	12,02,17,31	(-)5,12,39,83
अनुपूरक	91,06,91			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

5,12,93,83

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,00,00	6,00,00	4,98,20	(-)1,01,80
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

1,01,80

टीका एवं टिप्पणीयाँ

राजस्व :

- (1) ₹ 5,12,39.83 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 80,00.00 लाख) एवं नवंबर 2016 (₹ 11,06.91 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 91,06.91 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

- (2) शीर्ष 2202-02.109.23- झारखंड हेतु विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत वित्त रहित स्कूलों के लिए सहायक अनुदान (इंटर विद्यालय सहित) (योजना) एवं 2202-03.103.01-इंटरमीडिएट शिक्षा (+2-व्यवसायिक शिक्षा सहित) (गैर-योजना) के अंतर्गत ₹2,55.66 लाख एवं ₹ 2,29.47 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 45,00.00 लाख एवं ₹ 95,07.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.101.01- निरीक्षण (गैर-योजना)	मूल	2,56.79	2,18.07	2,18.07	0.00	₹ 38.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)38.72				
2202-02.101.02- जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी (गैर-योजना)	मूल	16,32.15	12,51.99	12,51.99	0.00	₹ 3,80.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,80.16				
2202-02.101.03- क्षेत्रीय उप निदेशक एवं अन्य पदाधिकारी (गैर-योजना)	मूल	2,31.09	1,99.23	1,99.23	0.00	₹ 31.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31.86				
2202-02.109.01- माध्यमिक विद्यालय (गैर-योजना)	मूल	5,59,91.00	2,80,67.43	2,80,45.18	(-)22.25	₹ 2,79,45.82 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,79,23.57				
2202-02.109.02- राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति (कें.प्रा.यो.)	मूल	65.00	7.00	7.00	0.00	₹ 58.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)58.00				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.109.04- नेतरहाट आवासीय विद्यालय (आवासीय महाविद्यालय सहित) (गैर-योजना)	मूल	4,21.86	3,73.52	4,02.81	+29.29	₹ 48.34 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 29.29 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.34				
2202-02.109.24- सामान्य वर्ग के छात्राओं (वर्ग 8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (योजना)	मूल	4,00.00	2,43.00	2,43.00	0.00	₹ 1,57.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,57.00				
2202-02.109.35- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एम.ए.) (योजना)	मूल	37,50.00	17,50.00	17,50.00	0.00	₹ 20,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,00.00				
2202-02.109.45- केन्द्र प्रायोजित योनान्तर्गत बालिकाओं के लिए छात्रावास की स्थापना (केंद्रांश-90: राज्यांश-10) (के.प्रा.यो.)	मूल	24,57.00	1,57.99	1,57.99	0.00	₹ 22,99.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22,99.01				
2202-02.109.57- प्रकाशन एवं शिक्षण सेमिनार (योजना)	मूल	74.50	24.82	24.82	0.00	₹ 49.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)49.68				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2202-02.109.61- कोचिंग के माध्यम से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा (योजना)	मूल	2,64.00	87.78	87.78	0.00	₹ 1,76.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,76.22				
2202-02.789.35- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) (के.प्रा.यो.)	मूल	12,75.00	5,95.00	5,95.00	0.00	₹ 6,80.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,80.00				
2202-02.789.45- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत छात्राओं के छात्रावास का निर्माण (के.प्रा.यो.)	मूल	8,35.00	25.41	25.41	0.00	₹ 8,09.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,09.59				
2202-02.789.62- छात्राओं को पोशाक पाठ्य-पुस्तक एवं कॉपी का निःशुल्क वितरण (योजना)	मूल	7,65.00	1,69.82	1,69.82	0.00	₹ 5,95.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,95.18				
2202-02.796.18- झारखंड क्षेत्र के लिये विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत लोक प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण (योजना)	मूल	1,00.00	41.63	41.63	0.00	₹ 58.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)58.37				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.796.24- झारखंड क्षेत्र के लिये विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के छात्राओं (वर्ग-8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (योजना)	मूल	2,64.00	84.21	84.21	0.00	₹ 1,79.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,79.79				
2202-02.796.35- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) (केंद्रांश-75 : राज्यांश-25) (योजना)	मूल	24,75.00	11,55.00	11,55.00	0.00	₹ 13,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,20.00				
2202-02.796.45- केन्द्र प्रायोजित योनान्तर्गत बालिकाओं के लिए छात्रावास की स्थापना (केंद्रांश-90: राज्यांश 10) (योजना)	मूल	16,22.00	49.75	49.75	0.00	₹ 15,72.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक					
	पुनर्वि.	(-)15,72.25				
2202-02.796.60- झारखंड क्षेत्र के लिए आर.एम.एस.ए. योजना के अंतर्गत कम्प्यूटर साक्षरता (आई.सी.टी) (योजना)	मूल	3,68.00	0.01	0.01	0.00	₹ 3,67.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,67.99				
2202-02.796.61- कोचिंग के माध्यम से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा (योजना)	मूल	1,90.00	1,43.29	1,43.29	0.00	₹ 46.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.71				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.103.04- शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (गैर-योजना)	मूल	3,40.80	2,12.75	2,12.75	0.00	₹ 1,28.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,28.05				
2202-05.103.04- राजकीय संस्कृत विद्यालय (गैर-योजना)	मूल	1,75.99	1,04.49	1,04.49	0.00	₹ 71.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)71.50				
2202-05.103.05- गैर-सरकारी संस्कृति स्कूल (गैर-योजना)	मूल	3,28.00	2,56.64	2,56.64	0.00	₹ 71.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)71.36				
2202-05.200.04- गैर-सरकारी मदरसा (गैर-योजना)	मूल	44,21.02	27,70.60	27,70.60	0.00	₹16,50.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,50.42				

(3) निम्नलिखित मामलों में, संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.109.36- केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत मॉडल विद्यालयों की स्थापना (के.प्रा.यो.)	मूल	20,00.00	0.00	0.00	0.00	₹20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,00.00				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.109.36- केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत मॉडल विद्यालयों की स्थापना (योजना)	मूल	20,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,00.00				
2202-02.109.59- जे.सी.ई.आर.टी. की स्थापना (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2202-02.109.60- झारखंड क्षेत्र के लिए आर.एम.एस.ए. योजना के अंतर्गत कम्प्यूटर साक्षरता (आई.सी.टी.) (के.प्रा.यो.)	मूल	5,58.00	0.00	0.00	0.00	₹5,58.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,58.00				
2202-02.789.24- सामान्य वर्ग के छात्राओं (वर्ग-8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (योजना)	मूल	1,36.00	0.00	0.00	0.00	₹1,36.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,36.00				
2202-02.789.36- केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत मॉडल विद्यालयों की स्थापना (केन्द्रांश-50: राज्यांश-50) (के.प्रा.यो.)	मूल	6,80.00	0.00	0.00	0.00	₹6,80.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,80.00				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.789.36- केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत मॉडल विद्यालयों की स्थापना (केन्द्रांश-50: राज्यांश-50) (योजना)	मूल	6,80.00	0.00	0.00	0.00	₹ 6,80.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,80.00				
2202-02.789.60- आर.एम.एस.ए. योजना के अंतर्गत झारखंड क्षेत्र में कम्प्यूटर साक्षरता (आई.सी.टी.) (के.प्रा.यो.)	मूल	1,90.00	0.00	0.00	0.00	₹1,90.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,90.00				
2202-02.789.61- कोचिंग के माध्यम से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा (योजना)	मूल	1.22.00	0.00	0.00	0.00	₹1,22.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,22.00				
2202-02.796.36- केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत मॉडल विद्यालयों की स्थापना (केन्द्रांश-50: राज्यांश-50) (के.प्रा.यो.)	मूल	13,20.00	0.00	0.00	0.00	₹13,20.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,20.00				

अनुदान संख्या-58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.796.36- केंद्र प्रायोजित योजनान्तर्गत मॉडल विद्यालयों की स्थापना (केन्द्रांश-50: राज्यांश-50) (योजना)	मूल	13,20.00	0.00	0.00	0.00	₹13,20.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,20.00				
2202-02.796.59- जे.सी.ई.आर.टी. की स्थापना (योजना)	मूल	33.00	0.00	0.00	0.00	₹33.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33.00				

पूंजी :

(4) निम्नलिखित मामलों में, संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-01.202.47- राज्य में बी.एड. कॉलेज का निर्माण (योजना)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4202-01.789.47- राज्य में बी.एड. कॉलेज का निर्माण (योजना)	मूल	17.00	0.00	0.00	0.00	₹17.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)17.00				

अनुदान संख्या-58 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-01.796.47- राज्य में बी.एड. कॉलेज का निर्माण (योजना)	मूल	33.00	0.00	0.00	0.00	₹33.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33.00				

**अनुदान संख्या- 59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2202- सामान्य शिक्षा, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	65,89,29,10	67,93,64,11	54,34,74,30	(-)13,58,89,81
अनुपूरक	2,04,35,01			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

9,10,39,58

पूंजी :

पूंजी:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	25,00,00	25,00,00	25,00,00	0,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹ 13,58,89.81 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, नवम्बर 2016 (₹ 90,03.25 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 1,14,31.76 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,04,35.01 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनाश्वयक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 9,10,39.58 लाख), अंतिम बचत (₹ 13,58,89.81 लाख) से ₹4,48,50.23 लाख कम था।

अनुदान संख्या-59 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2202-01.101.03- सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (के.प्रा.यो.) एवं 2202-01.796.03-राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) (के.प्रा.यो.) के अन्तर्गत ₹ 19,49.31 लाख एवं ₹ 10,75.51 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 2,07,65.89 लाख एवं ₹ 1,08,04.74 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.001.01- प्राथमिक शिक्षा निदेशालय (गैर-योजना)	मूल	2,06.90	1,54.44	1,53.54	(-)0.90	₹56.61 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	3.25				
	पुनर्वि.	(-)55.71				
2202-01.101.01- राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (गैर-योजना)	मूल	27,93,89.88	23,83,96.08	23,83,96.08	0.00	₹4,09,93.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,09,93.80				
2202-01.101.15- सामान्य एवं पिछड़ी जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें (योजना)	मूल	10,00.00	8,83.04	8,83.04	0.00	₹1,16.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,16.96				
2202-01.101.27- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न के मूल्य हेतु राशि (के.प्रा.यो.)	मूल	27,00.00	27,00.00	16,76.84	(-)10,23.16	₹10,23.16 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.101.47- वयस्क/अनौपचारिक शिक्षा कर्मियों का वेतन (योजना)	मूल	3,20.00	1,97.95	1,97.95	0.00	₹1,22.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,22.05				

अनुदान संख्या-59 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.101.50- गरीबी रेखा के ऊपर के बालकों को निःशुल्क पोषाक वितरण (योजना)	मूल	11,20.00	7,12.01	7,12.01	0.00	₹ 4,07.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,07.99				
2202-01.101.51- मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (योजना)	मूल	17,60.00	6,93.74	6,93.74	0.00	₹ 10,66.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,66.26				
2202-01.101.55- बच्चों को निःशुल्क विद्यालय किट हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (योजना)	मूल	1,19,88.00	89,91.00	89,91.00	0.00	₹ 29,97.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)29,97.00				
2202-01.102.02- अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता (गैर-योजना)	मूल	2,53,81.91	1,72,93.04	1,72,78.18	(-)14.86	₹ 81,03.73 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80,88.87				
2202-01.104.01- निरीक्षण (गैर-योजना)	मूल	67,12.76	42,97.01	42,96.44	(-)0.57	₹ 24,16.32 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24,15.75				
2202-01.107.01- प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (गैर-योजना)	मूल	18,47.65	9,84.08	9,84.08	0.00	₹ 8,63.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,63.57				

अनुदान संख्या-59 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.107.42- डायट (के.प्रा.यो.)	मूल	2,50.00	2,50.00	15.64	(-)2,34.36	₹ 2,34.36 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.107.42- डायट (योजना)	मूल	1,25.00	2.90	2.90	0.00	₹1,22.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,22.10				
2202-01.111.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा.यो.)	मूल	5,25,20.00	4,46,73.60	2,70,31.97	(-)1,76,41.63	₹ 2,54,88.03 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78,46.40				
2202-01.111.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)	मूल	2,62,00.00	2,35,80.00	2,35,80.00	0.00	₹ 26,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26,20.00				
2202-01.789.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा.यो.)	मूल	1,92,30.00	1,53,42.49	93,70.26	(-)59,72.23	₹ 98,59.74 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)38,87.51				
2202-01.789.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)	मूल	1,10,10.00	99,09.00	99,09.00	0.00	₹ 11,01.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,01.00				

अनुदान संख्या-59 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.789.27- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न के मूल्य हेतु राशि (के.प्रा.यो.)	मूल	11,00.00	11,00.00	4,34.69	(-)6,65.31	₹ 6,65.31 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.789.42- डायट (के.प्रा.यो.)	मूल	70.00	70.00	2.00	(-)68.00	₹ 68.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.789.50- गरीबी रेखा के ऊपर के बालकों को निःशुल्क पोषाक वितरण (योजना)	मूल	4,76.00	3,69.62	3,69.62	0.00	₹ 1,06.38 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,06.38				
2202-01.789.51- मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (योजना)	मूल	7,48.00	44.44	44.44	0.00	₹ 7,03.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,03.56				
2202-01.789.55- बच्चों को निःशुल्क विद्यालय किट हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (योजना)	मूल	50,94.90	38,28.68	38,28.68	0.00	₹ 12,66.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,66.22				
2202-01.796.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा.यो.)	मूल	3,32,00.00	2,68,53.06	1,20,43.51	(-)1,48,09.55	₹ 2,11,56.49 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)63,46.94				

अनुदान संख्या-59 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.796.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)	मूल	2,77,90.00	2,44,47.18	2,44,47.18	0.00	₹ 33,42.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33,42.82				
2202-01.796.27- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न के मूल्य हेतु राशि (के.प्रा.यो.)	मूल	18,00.00	18,00.00	8,40.72	(-)9,59.28	₹ 9,59.28 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.796.42- डायट (के.प्रा.यो.)	मूल	2,30.00	2,30.00	15.35	(-)2,14.65	₹ 2,14.65 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.796.42- डायट (योजना)	मूल	1,75.00	30.14	30.14	0.00	₹1,44.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,44.86				
2202-01.796.44- राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस.एल. एम.ए.) को सहाय्य अनुदान(केन्द्रांश-75: राज्यांश-25) (के.प्रा.यो.)	मूल	1,50.00	1,50.00	67.44	(-)82.56	₹ 82.56 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या-59 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.796.46- राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस.एल.एम.ए.) को सहाय्य अनुदान (केन्द्रांश-75: राज्यांश-25) (के.प्रा.यो.)	मूल	10,75.00	4,94.85	4,94.85	0.00	₹ 4,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹1,80.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,80.15				
2202-01.796.47- वयस्क/अनौपारिक शिक्षा कर्मियों का वेतन (योजना)	मूल	3,44.00	59.92	59.92	0.00	₹ 2,84.08 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,84.08				
2202-01.796.50- गरीबी रेखा के ऊपर के बालकों को निःशुल्क पोषाक वितरण (योजना)	मूल	12,04.00	4,16.50	4,16.50	0.00	₹ 7,87.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,87.50				
2202-01.796.51- मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (योजना)	मूल	18,92.00	10,01.08	10,01.08	0.00	₹4,22.88 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹4,68.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,90.92				
2202-01.796.55- बच्चों को निःशुल्क विद्यालय किट हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान (योजना)	मूल	1,28,87.10	96,65.32	96,65.32	0.00	₹32,21.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32,21.78				

अनुदान संख्या-59 क्रमांत

(4) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.111.49- महिला सामाख्या को अनुदान (के.प्रा.यो.)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	₹40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.789.42- डायट (योजना)	मूल	67.00	0.00	0.00	0.00	₹ 67.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)67.00				
2202-01.789.47- व्यस्क / अनौपचारिक शिक्षा कर्मियों का वेतन (योजना)	मूल	1,36.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,36.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,36.00				
2202-01.796.49- महिला सामाख्यया की अनुदान (के.प्रा.यो.)	मूल	45.00	45.00	0.00	(-)45.00	₹ 45.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या- 60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	31,56,93,73	31,78,55,96	24,14,67,70	(-)7,63,88,26
अनुपूरक	21,62,23			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

7,80,31,56

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,43,30,00	2,65,10,00	1,16,96,42	(-)1,48,13,58
अनुपूरक	1,21,80,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2017)

1,48,13,58

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 7,63,88.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2016 (₹ 3,59.65 लाख), नवंबर 2016 (₹ 17,27.33 लाख) एवं जनवरी 2017 (₹ 75.25 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 21,62.23 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7,80,31.56 लाख), अंतिम बचत (₹ 7,63,88.26 लाख) से ₹ 16,43.30 लाख कम था।

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2235-02.101.18-स्वामी विवेकानंद निःशुल्क स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना (योजना), 2235-02.103.28-आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय (योजना), 2235-03.101.12-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना), 2235-03.101.13-राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना), 2235-03.796.11-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता) (योजना) एवं 2235-03.796.12-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना) के अंतर्गत ₹ 4,30.19 लाख, ₹ 4,04.37 लाख, ₹ 5,71.42 लाख, ₹ 6,91.43 लाख, ₹ 6,95.79 लाख एवं ₹ 12,04.41 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 65,00.00 लाख, ₹ 45,00.00 लाख, ₹ 1,88,05.39 लाख, ₹ 87,26.40 लाख, ₹ 1,13,88.49 लाख एवं ₹ 2,08,19.17 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.001.01- निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)	मूल	2,12.87	1,85.33	1,85.33	0.00	₹ 43.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	16.30				
	पुनर्वि.	(-)43.84				
2235-02.101.03- मूक एवं बधिर विद्यालय तथा कर्मशाला (गैर-योजना)	मूल	1,15.99	56.07	56.07	0.00	₹ 59.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)59.92				
2235-02.101.A5- निःशक्तों का कल्याण (योजना)	मूल	82.00	41.96	41.96	0.00	₹ 40.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.04				
2235-02.102.48- स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (के.प्रा.यो.)	मूल	3,81.00	2,53.17	2,53.17	0.00	₹ 1,27.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,27.83				
2235-02.102.48- स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (योजना)	मूल	2,54.00	1,68.78	1,68.78	0.00	₹ 85.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)85.22				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.102.49- प्रचार, शिक्षा एवं प्रसार (के.प्रा.यो.)	मूल	1,50.00	37.69	37.69	0.00	₹ 1,12.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,12.31				
2235-02.102.49- प्रचार, शिक्षा एवं प्रसार (योजना)	मूल	1,00.00	32.47	32.47		₹ 67.53 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)67.53				
2235-02.102.51- समेकित बाल विकास योजना (224 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय की स्थापना) (के.प्रा.यो.)	मूल	1,15,20.00	80,50.25	80,48.65	(-)1.60	₹ 34,71.35 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34,69.75				
2235-02.102.53- प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (के.प्रा.यो.)	मूल	2,48.00	57.90	57.90	0.00	₹ 1,90.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,90.10				
2235-02.102.53- प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (योजना)	मूल	1,65.00	24.34	24.34	0.00	₹ 1,40.66 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार को निधि वापस किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,40.66				
2235-02.102.58- किशोरी बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)-नई योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	83.00	42.27	42.27	0.00	₹ 40.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.73				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.102.88- विश्व बैंक संपोषित आई.सी.डी.एस. परियोजना IV (के.प्रा.यो.)	मूल	11,04.00	5,27.49	5,27.49	0.00	₹ 5,76.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,76.51				
2235-02.102.88- विश्व बैंक संपोषित आई.सी.डी.एस. परियोजना IV (योजना)	मूल	1,23.00	52.75	52.75	0.00	₹ 70.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70.25				
2235-02.102.97- मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (योजना)	मूल	70,00.00	61,26.37	61,26.37	0.00	₹ 8,73.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,73.63				
2235-02.102.A8- आँगनवाडी केन्द्रों का सुदृढीकरण (योजना)	मूल	14,40.00	2,78.22	2,78.22	0.00	₹ 11,61.78 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 61.78 लाख की बचत भारत सरकार को निधि वापस किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 11,00.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,61.78				
2235-02.103.01- झारखण्ड महिला विकास समिति के कार्यालय संचालन हेतु (गैर-योजना)	मूल	36.91	6.88	6.88	0.00	₹ 30.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.03				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.103.36- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (योजना)	मूल	16,40.00	12,65.70	12,65.70	0.00	₹ 3,74.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,74.30				
2235-02.103.74- अनुश्रवण कोषांग का संचालन (योजना)	मूल	53.00	18.83	18.83	0.00	₹ 34.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.17				
2235-02.103.75- आँगनबाड़ी सेविका/ सहायिका को पोषाक (के.प्रा.यो.)	मूल	1,86.00	1,17.19	1,17.19	0.00	₹ 68.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)68.81				
2235-02.103.75- आँगनबाड़ी सेविका/ सहायिका को पोषाक (योजना)	मूल	1,24.00	78.12	78.12	0.00	₹ 45.88 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार को निधि वापस किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.88				
2235-02.103.85- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस. (75:25) (के.प्रा.यो.)	मूल	6,90.00	3,05.10	3,05.10	0.00	₹ 3,84.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,84.90				
2235-02.103.85- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस. (75:25) (योजना)	मूल	4,60.00	2,19.17	2,19.17	0.00	₹ 2,40.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,40.83				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.103.90- आँगनबाड़ी केंद्रों एवं लघु आँगनबाड़ी केंद्रों में साईकिल (योजना)	मूल	3,30.00	2,82.24	2,82.24	0.00	₹ 55.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	8.00				
	पुनर्वि.	(-)55.76				
2235-02.103.98- आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के लिए जीवन ज्योति बीमा योजना (योजना)	मूल	1,38.00	1,05.11	1,05.11	0.00	₹ 32.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32.89				
2235-02.103.A0- तेजस्विनी योजना (किशोरी बालिकाओं, युवा महिलाओं के आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण हेतु) (योजना)	मूल	4,50.00	2,50.00	2,50.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2235-02.106.39- प्रतिप्रेक्षण गृह (गैर-योजना)	मूल	3,83.82	2,26.60	2,26.60	0.00	₹ 1,97.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	40.63				
	पुनर्वि.	(-)1,97.85				
2235-02.106.A4- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केंद्रों छात्रावासों/ गृहों इत्यादि का जीर्णोद्धार एवं उपस्कर की आपूर्ति (योजना)	मूल	4,50.00	63.96	63.96	0.00	₹ 3,86.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,86.04				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.106.A6- विभिन्न स्कूलों, पुनर्वास केंद्रों/ छात्रावासों/गृहों इत्यादि का संचालन (योजना)	मूल	4,12.00	1,70.30	1,70.30	0.00	₹ 2,41.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,41.70				
2235-02.789.18- स्वामी विवेकानंद निःशुल्क सवावलंबन प्रोत्साहन योजना (योजना)	मूल	12,22.00	11,72.82	11,72.82	0.00	₹ 1,77.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	1,28.00				
	पुनर्वि.	(-)1,77.18				
2235-02.789.36- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (योजना)	मूल	4,40.00	3,02.40	3,02.40	0.00	₹ 1,37.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,37.60				
2235-02.796.28- आंगनबाड़ी सेविकाओं/ सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय (योजना)	मूल	48,00.00	41,89.42	41,89.42	0.00	₹ 6,10.58 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,10.58				
2235-02.796.31- समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड (योजना)	मूल	81.00	25.01	25.01	0.00	₹ 55.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)55.99				
2235-02.796.48- स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (10 प्रतिशत राज्यांश) (के.प्रा.यो.)	मूल	4,13.00	2,73.04	2,73.04	0.00	₹ 1,39.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,39.96				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.48- स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (10 प्रतिशत राज्यांश) (योजना)	मूल	2,76.00	1,82.04	1,82.04	0.00	₹ 93.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)93.96				
2235-02.796.49- प्रचार, शिक्षा एवं प्रसार (के.प्रा.यो.)	मूल	1,62.00	60.65	60.65	0.00	₹ 1,01.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,01.35				
2235-02.796.49- प्रचार शिक्षा एवं प्रसार (योजना)	मूल	1,08.00	35.30	35.30	0.00	₹ 72.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.70				
2235-02.796.51- समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) (के.प्रा.यो.)	मूल	1,24,80.00	90,87.20	90,87.20	0.00	₹ 33,92.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33,92.80				
2235-02.796.53- प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (के.प्रा.यो.)	मूल	2,68.00	1,56.38	1,56.38	0.00	₹ 1,11.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,11.62				
2235-02.796.53- प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (योजना)	मूल	1,79.00	57.02	57.02	0.00	₹ 1,21.98 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार को निधि वापस किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,21.98				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235.-02.796.57- इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	3,62.00	2,49.34	2,49.34	0.00	₹ 4,49.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	3,37.00				
	पुनर्वि.	(-)4,49.66				
2235.-02.796.57- इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (योजना)	मूल	2,42.00	1,48.50	1,48.50	0.00	₹ 93.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)93.50				
2235-02.796.75- आँगनबाड़ी सेविका/ सहायिका को पोषाक (के.प्रा.यो.)	मूल	2,02.00	1,24.84	1,24.84	0.00	₹ 77.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)77.16				
2235-02.796.75- आँगनबाड़ी सेविका/ सहायिका को पोषाक (योजना)	मूल	1,35.00	83.23	83.23	0.00	₹ 51.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)51.77				
2235-02.796.85 - समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) (75:25) (के.प्रा.यो.)	मूल	7,50.00	5,37.04	5,37.04	0.00	₹ 2,12.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,12.96				
2235-02.796.85- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) (75:25) (योजना)	मूल	5,00.00	3,58.66	3,58.66	0.00	₹ 1,41.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,41.34				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.88- विश्व बैंक संपोषित आई.सी.डी.एस. परियोजना-IV (के.प्रा.यो.)	मूल	11,96.00	5,22.00	5,22.00	0.00	₹ 6,74.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,74.00				
2235-02.796.88- विश्व बैंक संपोषित आई.सी.डी.एस. परियोजना-IV (योजना)	मूल	1,33.00	57.49	57.49	0.00	₹ 75.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75.51				
2235.-02.796.90- आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों में साईकिल (योजना)	मूल	3,70.00	2,72.40	2,72.40	0.00	₹ 97.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)97.60				
2235.-02.796.97- मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (योजना)	मूल	70,00.00	50,07.34	50,07.34	0.00	₹ 19,92.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,92.66				
2235-02.796.98- आंगनबाड़ी सेविका/ सहायिका के लिए जीवन ज्योति बीमा योजना (योजना)	मूल	1,50.00	94.95	94.95	0.00	₹ 55.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)55.05				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.A0- तेजस्विनी योजना (किशोरी बालिकाओं, युवा महिलाओं के आर्थिक एवं समाजिक सशक्तीकरण हेतु) (योजना)	मूल	4,50.00	2,50.00	2,50.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2235-02.796.A4- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केंद्रों छात्रावासों, गृहों इत्यादि का जीर्णोद्धार एवं उपस्कर कर आपूर्ति (योजना)	मूल	5,50.00	1,12.21	1,12.21	0.00	₹ 4,37.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,37.79				
2235-02.796.A5- निःशक्त कल्याणार्थ योजना (योजना)	मूल	96.00	42.44	42.44	0.00	₹ 53.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)53.56				
2235-02.796.A6- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केंद्रों/ छात्रावासों/ गृहों इत्यादि का संचालन (योजना)	मूल	4,38.00	1,97.19	1,97.19	0.00	₹ 2,40.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,40.81				
2235-02.796.A8- आँगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढीकरण (योजना)	मूल	15,60.00	4,60.73	4,60.73	0.00	₹ 10,99.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,99.27				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-03.101.15- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (योजना)	मूल	4,22.19	3,38.25	3,38.25	0.00	₹ 83.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)83.94				
2235-03.101.16- आदिम जनजाति समुहों के लिए पेंशन योजना (योजना)	मूल	23,40.00	5,65.57	5,65.57	0.00	₹ 17,74.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)17,74.43				
2235-03.101.18- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)	मूल	4,22.19	3,38.25	3,38.25	0.00	₹ 83.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)83.94				
2235-03.101.20- राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना (योजना)	मूल	22,14.00	18,34.93	18,34.93	0.00	₹ 3,79.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,79.07				
2235-03.101.21- एच.आई.वी./ एड्स से प्रभावित व्यक्तियों हेतु राज्य सुरक्षा पेंशन योजना (योजना)	मूल	1,64.00	17.90	17.90	0.00	₹ 1,46.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,46.10				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-03.102.19- राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना (कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता) (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता) (योजना)	मूल	11,22.00	4,65.40	4,65.40	0.00	₹ 6,56.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,56.60				
2235-03.789.11- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता) (योजना)	मूल	37,98.35	33,53.89	33,53.89	0.00	₹ 4,44.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,44.46				
2235-03.789.12- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना)	मूल	69,44.09	60,44.50	60,53.84	+9,34	₹ 8,99.59 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 9.34 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,99.59				
2235-03.789.13- राज्य वृद्धावस्था पेंशन (योजना (योजना)	मूल	32,72.40	25,18.12	25,18.12	0.00	₹7,54.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,54.28				
2235-03.789.15- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (योजना)	मूल	1,94.93	98.83	98.83	0.00	₹ 96.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)96.10				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-03.789.18- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता) (योजना)	मूल	1,94.93	98.83	98.83	0.00	₹ 96.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)96.10				
2235-03.789.19- राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना (कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)	मूल	4,20.80	1,48.10	1,48.10	0.00	₹ 2,72.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,72,70				
2235-03.789.21- एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित व्यक्तियों हेतु राज्य पेंशन योजना (योजना)	मूल	44.00	2.32	2.32	0.00	₹ 41.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)41.68				
2235-03.796.13- राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना)	मूल	98,17.20	83,39.92	83,39.92	0.00	₹ 14,77.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,77.28				
2235-03.796.15- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (योजना)	मूल	5,42.96	2,39.80	2,39.80	0.00	₹ 3,03.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,03.16				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-03.796.16- आदिम जनजाति समुहों के लिए पेंशन योजना (योजना)	मूल	23,40.00	14,65.25	14,65.25	0.00	₹ 8,74.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,74.75				
2235-03.796.18- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता) (योजना)	मूल	5,42.96	2,39.80	2,39.80	0.00	₹ 3,03.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,03.16				
2235-03.796.19- राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना (कार्यान्वित करनेवाले अभिकरण को सहायता) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)	मूल	12,62.20	6,60.40	6,60.40	0.00	₹ 6,01.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,01.80				
2235-03.796.20- राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना (योजना)	मूल	25,92.00	21,74.62	21,74.62	0.00	₹ 4,17.38 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,17.38				
2235-03.796.21- एच.आई.वी./ एड्स से प्रभावित व्यक्तियों हेतु राज्य सुरक्षा पेंशन योजना	मूल	1,92.00	10.40	10.40	0.00	₹ 1,81.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,81.60				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-60.102.10- वृद्धावस्था पेंशन (गैर-योजना)	मूल	11,33.28	6,44.11	6,44.11	0.00	₹ 4,89.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,89.17				
2236-02.101.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	1,54,08.00	84,56.71	84,56.71	0.00	₹ 69,51.29 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)69,51.29				
2236-02.101.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (योजना)	मूल	1,54,08.00	1,22,91.05	1,22,91.05	0.00	₹ 31,16.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31,16.95				
2236-02.101.05- किशोरी बालिकाओं के सुदृढीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)-नवीन योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	13,39.00	5,18.68	5,18.68	0.00	₹ 8,20.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,20.32				
2236-02.101.05- किशोरी बालिकाओं के सुदृढीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)-नवीन योजना (योजना)	मूल	13,39.00	3,92.07	3,92.07	0.00	₹ 9,46.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,46.93				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2236-02.789.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	41,34.00	21,68.38	21,68.38	0.00	₹ 19,65.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,65.62				
2236-02.789.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (योजना)	मूल	41,34.00	31,60.46	31,60.46	0.00	₹ 9,73.54 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,73.54				
2236-02.789.05- किशोरी बालिकाओं के सुदृढीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)- नवीन योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	3,59.00	1,65.91	1,65.91	0.00	₹ 1,93.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,93.09				
2236-02.789.05- किशोरी बालिकाओं के सुदृढीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)- नवीन योजना (योजना)	मूल	3,59.00	1,47.56	1,47.56	0.00	₹ 2,11.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,11.44				
2236-02.796.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	1,80,38.00	1,00,34.03	1,00,34.03	0.00	₹ 80,03.97 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80,03.97				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2236-02.796.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (योजना)	मूल	1,80,38.00	1,45,33.52	1,45,33.52	0.00	₹ 35,04.48 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35,04.48				
2236-02.796.05- किशोरी बालिकाओं के सुदृढीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)-नवीन योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	15,68.00	7,46.64	7,46.64	0.00	₹ 8,21.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,21.36				
2236-02.796.05- किशोरी बालिकाओं के सुदृढीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)-नवीन योजना (योजना)	मूल	15,68.00	6,39.18	6,39.18	0.00	₹ 9,28.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,28.82				

(4) निम्नलिखित मामलों में, संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2235-02.102.47- दवा किट्स (के.प्रा.यो.)	मूल	1,01.00	0.00	0.00	0.00	₹1,01.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,01.00				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.102.47- दवा किट्स (योजना)	मूल	68.00	0.00	0.00	0.00	₹68.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)68.00				
2235-02.103.79- आंगनबाड़ी केन्द्रों में तौल मशीन की आपूर्ति (90:10) (के.प्रा.यो.)	मूल	83.00	0.00	0.00	0.00	₹83.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)83.00				
2235-02.103.79- आंगनबाड़ी केन्द्रों में तौल मशीन की आपूर्ति (90:10) (योजना)	मूल	55.00	0.00	0.00	0.00	₹ 55.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)55.00				
2235-02.103.A9- महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.ई.डब्ल्यू) के अन्तर्गत ग्राम अभिसरण एवं सुगमता सेवा (बी.सी.एफ. एस.) का कार्यान्वयन (के.प्रा.यो.)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹46.08 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	46.08				
	पुनर्वि.	(-)46.08				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.103.A9- महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.ई.डब्ल्यू.) के अन्तर्गत ग्राम अभिसरण एवं सुगमता सेवा (बी.सी.एफ.एस.) का कार्यान्वयन (योजना)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹ 30.72 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	30.72				
	पुनर्वि.	(-)30.72				
2235-02.106.01- किशोर-न्याय बोर्ड/ बाल कल्याण समितियों एवं विकलांगता से संबंधित राज्य स्तरीय समन्वय समिति/ कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के बैठक भत्ता/मानदेय तथा रिमाण्ड होम के अंतः वासियों के लिए परिवहन (गैर-योजना)	मूल	92.00	0.00	0.00	0.00	निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹3.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 89.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)92.00				
2235-02.106.96- आई.सी.डी.एस. सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण (के.प्रा.यो.)	मूल	13,00.00	0.00	0.00	0.00	₹13,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,00.00				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2235-02.106.96- आई.सी.डी.एस. सुदृढीकरण एवं पुनर्निर्माण (योजना)	मूल	8,64.00	0.00	0.00	0.00	₹8,64.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,64.00				
2235-02.796.47- दवा किट (10 प्रतिशत राज्यांश) (के.प्रा.यो.)	मूल	1,10.00	0.00	0.00	0.00	₹1,10.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,10.00				
2235-02.796.47- दवा किट्स (10 प्रतिशत राज्यांश) (योजना)	मूल	73.00	0.00	0.00	0.00	₹ 73.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)73.00				
2235-02.796.79- आंगनबाड़ी केन्द्रों में तौल मशीन की आपूर्ति (90:10) (के.प्रा.यो.)	मूल	90.00	0.00	0.00	0.00	₹ 90.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90.00				
2235-02.796.79- आंगनबाड़ी केन्द्रों में तौल मशीन की आपूर्ति (90:10) (योजना)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹60.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.84- विभागीय पदाधिकारियों/ कर्मियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम (योजना)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹30.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2235-02.796.96- समेकित बाल विकास योजना (सुदृढीकरण एवं पुनर्गठन) (के.प्रा.यो.)	मूल	14,00.00	0.00	0.00	0.00	₹14,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,00.00				
2235-02.796.96- समेकित बाल विकास योजना (सुदृढीकरण एवं पुनर्गठन) (योजना)	मूल	9,36.00	0.00	0.00	0.00	₹9,36.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,36.00				
2235-02.796.A3- महिला हेल्पलाईन योजना (के.प्रा.यो.)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

अनुदान संख्या-60 क्रमशः

(5) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामलों में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.102.51- समेकित बाल विकास योजना (224 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय की स्थापना (योजना)	मूल	76,80.00	42,03.26	46,46.68	+4,43.42	₹ 34,76.74 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹4,43.42 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34,76.74				
2235-02.796.51- समेकित बाल विकास योजना (224 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय की स्थापना) (योजना)	मूल	83,20.00	49,70.57	57,32.05	+7,61.48	₹ 33,49.43 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 7,61.48 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33,49.43				

पूँजी :

(6) ₹ 1,48,13.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवंबर 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 1,21,80.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(7) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4235-02.103.73- ए.एल.एस. का निर्माण/ अनुरक्षण/ उत्क्रमण आई.सी. डी.एस. योजना के अंतर्गत (के.प्रा.यो.)	मूल	35,08.00	28,80.00	28,80.00	0.00	₹ 41,36.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	35,08.00				
	पुनर्वि.	(-)41,36.00				

अनुदान संख्या-60 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4235-02.103.73- समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, रखरखाव, उन्नयन (योजना)	मूल	23,39.00	19,20.00	19,20.00	0.00	₹ 27,58.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	23,39.00				
	पुनर्वि.	(-)27,58.00				
4235-02.106.74- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों/ गृहों इत्यादि का निर्माण (योजना)	मूल	10,00.00	8,00.00	8,00.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
4235-02.796.73- समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, रखरखाव, उन्नयन (के.प्रा.यो.)	मूल	38,00.00	31,20.00	31,20.00	0.00	₹ 44,80.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	38,00.00				
	पुनर्वि.	(-)44,80.00				
4235-02.796.73- समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, रखरखाव, उन्नयन (योजना)	मूल	25,33.00	20,80.00	20,80.00	0.00	₹ 29,86.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	25,33.00				
	पुनर्वि.	(-)29,86.00				

(8) निम्नलिखित मामले में संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया -

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4235-02.796.75- विशेष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/ विशेष निःशक्त केन्द्र (योजना)	मूल	2,50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50.00				

परिशिष्ट

लेखे में समायोजित व्यय में कमी के रूप में वसूली से संबंधित प्राक्कलन/वास्तविकी का अनुदानवार विवरण
(पृष्ठ संख्या xvi पर विनियोग लेखे का सारांश में संदर्भित)

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	बजट प्राक्कलन	वास्तविकी	बजट प्राक्कलन के साथ वास्तविकी की तुलना अधिक (+)/कमी(-)	
1	2	3	4	
(₹ हजार में)				
03. भवन निर्माण विभाग	राजस्व दत्तमत	30,00	00	(-) 30,00
12. योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	पूंजी दत्तमत	15,11,00	00	(-)15,11,00
38. राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (निबंधन प्रभाग)	राजस्व दत्तमत	10,00	00	(-)10,00
39. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	राजस्व दत्तमत	3,82,00,00	70,13,35	(-)3,11,86,65
56. ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	पूंजी दत्तमत	1,50,00	00	(-)1,50,00
जोड़:	राजस्व दत्तमत	3,82,40,00	70,13,35	(-) 3,12,26,65
	पूंजी दत्तमत	16,61,00	00	(-) 16,61,00
कुल जोड़:	राजस्व	3,82,40,00	70,13,35	(-)3,12,26,65
	पूंजी	16,61,00	00	(-)16,61,00

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2017
www.cag.gov.in

www.agjh.cag.gov.in